खण्ड-464, अंक-8
शुक्रवार, 15 आषाढ़, शक संवत् 1929
(6 जुलाई, 2007 ई0)

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

# कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(पंद्रहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2007)

खण्ड 464 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2007

---

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

# विषय-सूची


| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| उपस्थित सदस्य ... ... ... | क-च |
| प्रश्नोत्तर ... ... ... | 1-50 |
| नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें ... ... ... | 50-51 |
| जनपद बदायूं के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र बिसौली एवं सहसवान को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करते हुए नये उद्योग लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 51 |
| समाज कल्याण विभाग द्वारा शादी विवाह एवं बीमारी के इलाज हेतु गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... ... | 52 |
| जे0 पी0 नगर के विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत बिजली के तार की चपेट में आने से मृतक व्यक्तियों के परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... | 52-53 |
| जनपद शाहजहांपुर के कस्बा पुवायां स्थित स्कूल के खेल के मैदान के पास पड़ी हुई विद्यालय की भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 53 |
| जमुना प्रसाद निवासी ग्राम चुहिया, थाना भटनी, जनपद देवरिया की हत्या के फलस्वरूप अभी तक हत्यारों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... | 53-54 |
| जनपद फैजाबाद के सोहावल क्षेत्रान्तर्गत मा0 विधायक द्वारा प्रस्तावित सड़कों के स्थान पर अन्य सड़कों का निर्माण कराये जाने की जांच के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... | 54 |
| जनपद सीतापुर के महमूदाबाद क्षेत्रान्तर्गत शासन द्वारा घोषित विद्युत आपूर्ति के सापेक्ष उपभोक्ताओं को 16 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 54-55 |
| सीतापुर सदर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रमराजपुर की कतिपय महिलाओं के उत्पीड़न की मजिस्ट्रेटी जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... | 55 |
| उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 (सदन के पटल पर रखा गया) ... ... ... | 55 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ... ... ... | 56 |
| उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ... ... ... | 56 |
| विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण हेतु सिफारिश विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत) ... ... ... | 56-58 |
| वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा ... | 58-93 |
| नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं (जारी) ... ... ... | 93 |
| बजट अनुदानों का साहित्य समय से मा0 सदस्यों को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में सदन का ध्यानाकर्षण ... ... ... | 94-95 |
| नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं ... ... ... | 95-96 |
| प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उत्पन्न गम्भीर पेयजल संकट के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य ... ... ... | 97-98 |
| आगरा जनपद में फतेहाबाद-फिरोजाबाद को जोड़ने वाला यमुना नदी पर अर्द्धनिर्मित पुल का निर्माण पूर्ण कराने के सम्बन्ध में डा0 राजेन्द्र सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य ... ... ... | 98-99 |
| प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के सहायतार्थ भारत सरकार द्वारा जारी समाज कल्याण निधि की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मपाल यादव डी0पी0 यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का वक्तव्य ... | 99-100 |
| प्रदेश के राजकीय शिक्षकों (एल0टी0) की प्रदेश स्तरीय ज्येष्ठता सूची को शीघ्र जारी कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उदयराज द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य ... | 101-102 |
| जनपद प्रतापगढ़ के मंगरौरा विकास खण्ड के अन्तर्गत इन्दिरा आवास लाभार्थियों को निर्माण हेतु अनुदान की दूसरी किश्त उपलब्ध न कराये जाने पर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य ... ... ... | 102-103 |

| विषय | | | | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|---|---|---|
| जनपद बांदा के जसपुरा तिंदवारी तथा बड़ोखर खुर्द विकास क्षेत्रों में तूफान से विद्युत पोलों के टूटने के सम्बन्ध में श्री विशम्भर प्रसाद निषाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य | ... | ... | ... | 103 |
| जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज एवं कुण्डा के अन्तर्गत कतिपय थाना क्षेत्रों में कुख्यात माफियाओं द्वारा अवैध रूप से बेची जा रही जहरीली शराब के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आबकारी मंत्री का केवल वक्तव्य | ... | ... | ... | 104-105 |
| नत्थी | ... | ... | ... | 106-110 |


उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## पन्द्रहवीं विधान सभा

---

शुक्रवार, दिनांक 06 जुलाई, 2007

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

**उपस्थित सदस्य 329**

| | |
|---|---|
| अंगद यादव, श्री | आजमगढ़ |
| अकबर हुसैन, श्री | मुरादाबाद |
| अकीलुर्रहमान, श्री | मुरादाबाद |
| अखिलेश कुमार सिंह, श्री | रायबरेली |
| अजय तोमर, डा0 | बागपत |
| अजय सिंह, श्री | जालौन |
| अनिल कुमार, श्री | कन्नौज |
| अनिल कुमार, श्री | मुजफ्फरनगर |
| अनिल कुमार अहिरवार, श्री | महोबा |
| अनिल कुमार मौर्य, श्री | मिर्जापुर |
| अनिल कुमार सिंह यादव, श्री | एटा |
| अनिल चौधरी, डा0 | हाथरस (महामायानगर) |
| अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री | पीलीभीत |
| अनूप कुमार गुप्ता, श्री | सीतापुर |
| अनूप सण्डा, श्री | सुल्तानपुर |
| अब्दुल कलाम, श्री | सन्तकबीरनगर |
| अब्दुल मन्नान, श्री | हरदोई |
| अब्दुल वारिस खां, श्री | मुजफ्फरनगर |
| अब्दुल समद अंसारी हाजी, श्री | वाराणसी |
| अब्बास अली जैदी उर्फ रूश्दी मियां, श्री | फैजाबाद |
| अमरेश कुमार शुक्ल, श्री | बाराबंकी |
| अम्बिका चौधरी, श्री | बलिया |
| अमेरिका प्रधान, श्री | गाजीपुर |
| अयोध्या प्रसाद पाल, श्री | फतेहपुर |
| अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री | बाराबंकी |
| अरविन्द सिंह, श्री | कन्नौज |
| अरशद खान, श्री | पीलीभीत |
| अरूण कुमार यादव, श्री | आजमगढ़ |
| अरूणा तोमर, श्रीमती | कानपुर नगर |
| अर्चना सरोज, श्रीमती | सन्तरविदास नगर (भदोही) |
| अलाउद्दीन, श्री | बलरामपुर |
| अलीम हाजी, श्री | बुलन्दशहर |
| अवधेश कुमार वर्मा, श्री | शाहजहांपुर |
| अवधेश प्रसाद, श्री | फैजाबाद |
| अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दूबे, श्री | महराजगंज |
| अवस्थी बाला प्रसाद, श्री | लखीमपुर खीरी |
| अशोक कुमार, श्री | औरैया |
| अशोक कुमार कंसल, श्री | मुजफ्फरनगर |
| अशोक कुमार राणा, श्री | बिजनौर |
| अशोक कुमार सिंह, श्री | रायबरेली |
| आदित्य पाण्डेय, श्री | फतेहपुर |
| आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री | इलाहाबाद |
| आनन्द सेन, श्री | फैजाबाद |
| आर0 ए0 उस्मानी, श्री | लखीमपुर खीरी |
| आर0 के0 चौधरी, श्री | लखनऊ |
| आर0 के0 शर्मा, पंडित | बरेली |
| आरिफ अनवर हाशमी, श्री | गोण्डा |
| आलोक कुमार शाक्य, श्री | मैनपुरी |
| आसिफ, श्री | हरदोई |

| | |
|---|---|
| इकबाल महमूद, श्री | मुरादाबाद |
| इन्द्रजीत सरोज, श्री | कौशाम्बी |
| ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री | सिद्धार्थनगर |
| उदयभान करवरिया, श्री | इलाहाबाद |
| उदयराज, श्री | उन्नाव |
| उदयलाल मौर्य, श्री | वाराणसी |
| उमेश पाण्डेय, श्री | मऊ |
| उस्मानुल हक, श्री | मुरादाबाद |
| ओम प्रकाश सिंह, श्री | मिर्जापुर |
| ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री | सुल्तानपुर |
| ओमवती देवी, श्रीमती | बिजनौर |
| कमलेश चन्द्र दिवाकर, श्री | कानपुर देहात |
| कामेश्वर उपाध्याय, श्री | देवरिया |
| कालीचरन, श्री | गाजीपुर |
| कुवेर सिंह, श्री | एटा |
| कुलदीप सिंह गंगवार, श्री | फर्रुखाबाद |
| कुलदीप सिंह सेंगर, श्री | उन्नाव |
| कृपा शंकर सिंह, श्री | उन्नाव |
| कृष्ण कुमार, श्री | बहराइच |
| कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री | हरदोई |
| कृष्ण गोपाल पटेल, श्री | लखीमपुर खीरी |
| कृष्णाराज, श्रीमती | लखीमपुर खीरी |
| के0 के0 सवान, डा0 | जौनपुर |
| केदारनाथ वर्मा, श्री | बलिया |
| कैलाश चौरसिया, श्री | मिर्जापुर |
| कैलाश सिंह राजपूत, श्री | कन्नौज |
| कौशल किशोर, डा0 | लखीमपुर खीरी |
| कौशलेन्द्र नाथ योगी, महंत | बलरामपुर |
| गजेन्द्र सिंह, श्री | बुलन्दशहर |
| गिरीश चन्द्र, श्री | मुरादाबाद |
| गुटियारी लाल दुबेश, श्री | आगरा |
| गुरू प्रसाद मौर्य, श्री | इलाहाबाद |
| गुलाम मोहम्मद खान, श्री | बहराइच |
| गेंदा लाल चौधरी, श्री | हाथरस (महामायानगर) |
| गौरी शंकर एडवोकेट, श्री | लखनऊ |
| घूराराम, श्री | बलिया |
| चन्द्रदेव, श्री | आजमगढ़ |
| चन्द्र प्रकाश मिश्र "मटियारी", श्री | सुल्तानपुर |
| चन्द्रमणि प्रसाद, श्री | सोनभद्र |
| चन्द्रवीर सिंह, श्री | मेरठ |
| छत्रपाल सिंह, श्री | बरेली |
| छोटे सिंह, श्री | जालौन |
| जगदीश नारायण, श्री | जौनपुर |
| जगदीश सोनकर, श्री | जौनपुर |
| जगन प्रसाद गर्ग, श्री | आगरा |
| जगपाल, श्री | सहारनपुर |
| जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री | महराजगंज |
| जमुना निषाद, श्री | गोरखपुर |
| जयवीर सिंह, श्री | मैनपुरी |
| जयवीर सिंह, ठाकुर | अलीगढ़ |
| जसवन्त सिंह उर्फ अतुल, श्री | कुशीनगर |
| जावेद अंसारी, श्री | जौनपुर |
| जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री | चन्दौली |
| जितेन्द्र कुमार, श्री | बस्ती |
| जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री | आगरा |
| जोखू लाल यादव, श्री | इलाहाबाद |
| ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0 | वाराणसी |
| ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री | फर्रुखाबाद |
| तौफीक अहमद, श्री | सिद्धार्थनगर |
| त्रिभुवन दत्त, श्री | अम्बेडकरनगर |
| ददन मिश्रा, श्री | श्रावस्ती |
| ददू प्रसाद, श्री | चित्रकूट |
| दयाराम, श्री | कौशाम्बी |
| दशरथ प्रसाद चौहान, श्री | सन्तकबीर नगर |
| दाउद अहमद, श्री | हरदोई |
| दिनेश प्रसाद, श्री | चित्रकूट |
| दीनानाथ कुशवाहा, श्री | देवरिया |
| दीनानाथ पाण्डेय, श्री | वाराणसी |
| दुर्गा प्रसाद यादव, श्री | आजमगढ़ |

| | |
|---|---|
| दूधराम, श्री | बस्ती |
| धर्मपाल यादव | |
| डी0पी0 यादव, श्री | बदायूँ |
| धर्मराज निषाद, श्री | अम्बेडकरनगर |
| धर्म सिंह सैनी, डा0 | सहारनपुर |
| धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री | बरेली |
| धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री | बलरामपुर |
| धू राम लोधी, चौधरी, श्री | हमीरपुर |
| नकुल दूबे, श्री | लखनऊ |
| नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री | इलाहाबाद |
| नन्दिता शुक्ला, श्रीमती | गोण्डा |
| नरेन्द्र सिंह, श्री | फर्रुखाबाद |
| नरेन्द्र सिंह, श्री | सीतापुर |
| नर्सारुद्दीन, श्री | फिरोजाबाद |
| नाथू राम कुशवाहा | |
| 'इंजीनियर', श्री | ललितपुर |
| नारायण सिंह, श्री | आगरा |
| निर्मल वर्मा, श्री | सीतापुर |
| नीरज कुशवाहा, श्री | शाहजहाँपुर |
| पंकज कुमार, श्री | मुजफ्फरनगर |
| पशुपति, श्री | गाजीपुर |
| पी0 के0 राय, डा0 | कुशीनगर |
| पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री | बाँदा |
| पूजा पाल, श्रीमती | इलाहाबाद |
| पूरन प्रकाश, श्री | मथुरा |
| प्रदीप जैन 'आदित्य', श्री | झाँसी |
| प्रमोद तिवारी, श्री | प्रतापगढ़ |
| प्रमोद सिंह, श्री | देवरिया |
| प्रवीण पटेल, श्री | इलाहाबाद |
| प्रेमलता कटियार, श्रीमती | कानपुर नगर |
| फतेह बहादुर, श्री | महराजगंज |
| फरीद महफूज किदवई, श्री | बाराबंकी |
| फागू, श्री | मऊ |
| बजरंग बहादुर सिंह, श्री | महराजगंज |
| बलबीर, श्री | मुजफ्फरनगर |
| बादशाह सिंह, श्री | हमीरपुर |
| बिरजू राम, श्री | जौनपुर |
| बृजेश सौरभ, श्री | प्रतापगढ़ |
| बैजनाथ दूबे, श्री | गोण्डा |
| भगवत शरण गंगवार, श्री | बरेली |
| भगवती प्रसाद सागर, श्री | झाँसी |
| भगवान दास, श्री | सन्तकबीरनगर |
| भगवान सिंह कुशवाहा, श्री | आगरा |
| भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री | इटावा |
| भोला, श्री | आजमगढ़ |
| मंजू, श्रीमती | बलिया |
| मदन भैया, श्री | बागपत |
| मदन चौहान, श्री | गाजियाबाद |
| मधुसूदन शर्मा, श्री | आगरा |
| मनोज चौधरी, श्री | सहारनपुर |
| ममतेश शाक्य, श्री | एटा |
| महबूब अली, श्री | ज्योतिबाफूलेनगर |
| महिपाल सिंह, श्री | सहारनपुर |
| महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री | सीतापुर |
| महेन्द्र सिंह, श्री | अलीगढ़ |
| महेश चन्द्र गुप्ता, श्री | बदायूं |
| माता प्रसाद पाण्डेय, श्री | सिद्धार्थनगर |
| माधव पासवान, श्री | गोरखपुर |
| मिथिलेश कुमार, श्री | शाहजहाँपुर |
| मिथलेश कटियार, श्रीमती | कानपुर देहात |
| मीता गौतम, कु0 | बाराबंकी |
| मुरलीधर, श्री | फतेहपुर |
| मुस्लिम खां, श्री | बदायूं |
| मोहम्मद आजम खां, श्री | रामपुर |
| मोहम्मद इरशाद खान, श्री | लखनऊ |
| मोहम्मद गाजी, श्री | बिजनौर |
| मोहम्मद जलील खान, श्री | गोण्डा |
| मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री | सीतापुर |
| मोहम्मद ताबीश खां, श्री | सन्तकबीरनगर |
| मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री | इलाहाबाद |

उत्तर प्रदेश सभा

| | |
|---|---|
| यशपाल सिंह, श्री | बिजनौर |
| यशवन्त सिंह, डा0 | मुजफ्फरनगर |
| यसपाल सिंह रावत, श्री | गोरखपुर |
| योगराज सिंह, श्री | मुजफ्फरनगर |
| योगेन्द्र सागर, श्री | बदायूँ |
| योगेश वर्मा, श्री | मेरठ |
| रंगनाथ मिश्र, श्री | सन्तरविदासनगर(भदोही) |
| रघुनाथ प्रसाद संखवार, डा0 | कानपुर देहात |
| रघुराज प्रताप सिंह, "राजा भइया" कुंवर | प्रतापगढ़ |
| रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री | फतेहपुर |
| रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर | कुशीनगर |
| रतनलाल अहिरवार, श्री | झाँसी |
| रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री | कुशीनगर |
| रमेश गौतम, श्री | गोण्डा |
| रमेश चन्द्र विन्द, डा0 | मिर्जापुर |
| रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री | जौनपुर |
| रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री | सहारनपुर |
| राकेश कुमार गोस्वामी, श्री | महोबा |
| राकेश धर त्रिपाठी, डा0 | इलाहाबाद |
| राकेश बाबू, श्री | फिरोजाबाद |
| राघव लखन पाल, श्री | सहारनपुर |
| राजकुमार सिंह गौतम, डा0 | गाजीपुर |
| राजकुमार रावत, श्री | मथुरा |
| राजपाल सिंह, श्री | गाजियाबाद |
| राजबली जैसल, श्री | इलाहाबाद |
| राजाराम त्यागी, श्री | रायबरेली |
| राजीव कुमार सिंह, श्री | बाराबंकी |
| राजेन्द्र कुमार, श्री | मऊ |
| राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री | प्रतापगढ़ |
| राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री | बस्ती |
| राजेन्द्र सिंह, डा0 | आगरा |
| राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री | गोरखपुर |
| राजेश अग्रवाल, श्री | बरेली |
| राजेश कुमार, श्री | लखीमपुर खीरी |
| राजेश त्रिपाठी, श्री | गोरखपुर |
| राजेश्वरी, श्रीमती | हरदोई |
| राधामोहन दास अग्रवाल, डा0 | गोरखपुर |
| राधे लाल रावत, श्री | उन्नाव |
| राधे श्याम गुप्ता, श्री | फतेहपुर |
| राधेश्याम जायसवाल, श्री | सीतापुर |
| राम अचल राजभर, श्री | अम्बेडकरनगर |
| राम किशुन, श्री | चन्दौली |
| राम कुमार तिवारी, पण्डित | ललितपुर |
| रामपाल वर्मा, श्री | हरदोई |
| राम प्रकाश कुशवाहा, श्री | कानपुर नगर |
| राम प्रकाश यादव, श्री | फिरोजाबाद |
| राम प्रसाद चौधरी, श्री | बस्ती |
| राम प्रसाद जायसवाल, श्री | देवरिया |
| राम बिशुन आजाद, श्री | गोण्डा |
| रामवीर उपाध्याय, श्री | हाथरस |
| राम शिरोमणि शुक्ल, श्री | प्रतापगढ़ |
| राम सागर अकेला, श्री | श्रावस्ती |
| रामसेवक, श्री | सुल्तानपुर |
| रामहेत भारती, श्री | सीतापुर |
| रिजवान अहमद खाँ, श्री | ज्योतिबाफूलेनगर |
| रियाज अहमद, श्री | पीलीभीत |
| रोशन लाल वर्मा, श्री | शाहजहाँपुर |
| लक्ष्मी नारायण, श्री | मथुरा |
| लखीराम नागर, श्री | मेरठ |
| लल्लू सिंह, श्री | फैजाबाद |
| लालजी टण्डन, श्री | लखनऊ |
| लालजी यादव, श्री | सिद्धार्थनगर |
| लालजी वर्मा, श्री | अम्बेडकरनगर |
| वकार अहमद शाह, डा0 | बहराइच |
| वाचस्पति, श्री | कौशाम्बी |
| वारिस अली, श्री | बहराइच |
| वासुदेव सिंह "बाबू", श्री | बुलन्दशहर |

प्रति हटेव प्रतिलिपि

| | |
|---|---|
| विजय कुमार, श्री | गाजीपुर |
| विजय कुमार उर्फ | |
| विजय यादव, श्री | मुरादाबाद |
| विजय पाल सिंह, श्री | बरेली |
| विजय बहादुर यादव, श्री | गोरखपुर |
| विद्या चौधरी, श्रीमती | आजमगढ़ |
| विनोद कुमार, श्री | प्रतापगढ़ |
| विनोद सिंह, श्री | सुल्तानपुर |
| विनोद कुमार हरित, श्री | मेरठ |
| विनोद चतुर्वेदी, श्री | जालौन |
| विवेक कुमार सिंह, श्री | बांदा |
| विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री | बांदा |
| विशम्भर सिंह यादव, श्री | बांदा |
| विश्वनाथ, श्री | कुशीनगर |
| वीरेन्द्र कुमार, श्री | हरदोई |
| वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री | बुलन्दशहर |
| वेदराम भाटी, श्री | बुलन्दशहर |
| शर्वीर अहमद, श्री | बहराइच |
| शम्भू चौधरी, श्री | कुशीनगर |
| शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री | बरेली |
| शारदा प्रसाद, श्री | चन्दौली |
| शिव गणेश, श्री | रायबरेली |
| शिवबालक पासी, श्री | रायबरेली |
| शिवशंकर, श्री | बलिया |
| शीशराम, श्री | बिजनौर |
| शेखर तिवारी, श्री | औरैया |
| शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री | जौनपुर |
| श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री | वाराणसी |
| श्याम नरायण यादव, श्री | आजमगढ़ |
| श्याम सुन्दर शर्मा, श्री | मथुरा |
| श्रीपति आजाद, श्री | महराजगंज |
| श्रीभगवान पाठक, श्री | बलिया |
| श्रीभगवान शर्मा, श्री | बुलन्दशहर |
| संग्राम सिंह, श्री | बाराबंकी |
| संजय कुमार, श्री | प्रतापगढ़ |
| संजय कपूर, श्री | रामपुर |
| संजीव दरियाबादी, श्री | कानपुर नगर |
| संध्या, कुमारी | मैनपुरी |
| सतीश महाना, श्री | कानपुर नगर |
| सत्य नारायण जैसल, श्री | सोनभद्र |
| सत्यपाल सिंह, चौ0 | अलीगढ़ |
| सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री | गौतमबुद्धनगर |
| सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0 | बागपत |
| सदल प्रसाद, श्री | गोरखपुर |
| सनातन, श्री | बलिया |
| सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री | आजमगढ़ |
| सलिल विश्नोई, श्री | कानपुर नगर |
| सिनोद कुमार शाक्य, श्री | बदायूं |
| सिवगतुल्लाह अंसारी, श्री | गाजीपुर |
| सीमा द्विवेदी, श्रीमती | जौनपुर |
| सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री | फतेहपुर |
| सुखदेव राजभर, श्री | आजमगढ़ |
| सुखलाल, श्री | पीलीभीत |
| सुधीर कुमार, श्री | उन्नाव |
| सुनील शर्मा, श्री | गाजियाबाद |
| सुन्दर लाल लोधी, श्री | उन्नाव |
| सुन्दर सिंह, श्री | बुलन्दशहर |
| सुभाष, श्री | बलिया |
| सुभाष पाण्डेय, श्री | जौनपुर |
| सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री | आजमगढ़ |
| सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री | वाराणसी |
| सुरेश तिवारी, श्री | देवरिया |
| सुरेश कुमार खन्ना, श्री | शाहजहांपुर |
| सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री | लखनऊ |
| सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री | लखनऊ |
| सुरेश्वर सिंह, श्री | बहराइच |
| सुल्तान बेग, श्री | बरेली |
| सूरजपाल ठाकुर, श्री | आगरा |
| सूरज सिंह शाक्य, श्री | एटा |
| सूर्यभान, श्री | मिर्जापुर |

| | | | |
|---|---|---|---|
| सैयदा शादाब फातिमा, श्रीमती | गाजीपुर | हसरत उल्ला, श्री | एटा |
| सोवरन सिंह, श्री | मैनपुरी | हुकुम सिंह, श्री | मुजफ्फरनगर |
| हरगोविन्द भार्गव, डा0 | सीतापुर | होराम सिंह, श्री | गौतमबुद्धनगर |
| हरिओम, श्री | जालौन | | |

**नोट**–आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी) तथा भूतत्व एवं खनिकर्म तथा पंचायती राज मंत्री (श्री बाबू सिंह कुशवाहा) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

# प्रश्नोत्तर

## तारांकित प्रश्न

### बेरोजगारी भत्ता समाप्त करने का औचित्य

*1-श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वर्तमान सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो उसका क्या औचित्य है ? क्या सरकार इसके विकल्प पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री वेदराम भाटी)-

जी हां।

बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने से सम्बन्धित बेरोजगारों में अकर्मण्यता आ जाती है तथा इसके साथ-साथ बिना कार्य किये धनराशि प्राप्त करने के कारण हीनता की भावना भी उत्पन्न होती है। अतः बेरोजगारी भत्ता के स्थान पर रोजगार उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है ताकि वे अपनी जीविका चला सकें।

सरकार बेरोजगारी भत्ता देने के स्थान पर रोजगार के अवसर की सम्भावनाओं पर विचार कर रही है।

शासन के विभिन्न विभागों द्वारा रोजगार के अवसर उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है एवं शासन के विभिन्न विभागों द्वारा स्वतः रोजगार की अनेक योजनायें चलायी जा रही हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि बेरोजगारी की समस्या न केवल हमारे प्रदेश में, देश में अपितु पूरे विश्व में व्यापक पैमाने पर विचार हो रहा है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, इसको कैसे रोका जाय। मान्यवर, मैंने पूछा था कि जो बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा था, उसको आपने समाप्त कर दिया तो स्वीकार किया कि समाप्त कर दिया। इसका औचित्य क्या है ? औचित्य में आपने जो बताया कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने से सम्बन्धित बेरोजगारों में अकर्मण्यता आ जाती है तो यदि 500 रुपया नहीं देंगे तो वह कर्मण बना रहेगा, आपके इस उत्तर पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। आगे आपने कहा है कि शासन के विभिन्न विभागों द्वारा रोजगार के अवसर उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है एवं शासन के विभिन्न विभागों द्वारा स्वतः रोजगार की अनेक योजनायें चलायी जा रही है। वह कौन सी रोजगार की व्यवस्था आप कर रहे हैं और कौन से रोजगार उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है, इसके बारे में कृपया बताने की कृपा करें ?

श्री वेदराम भाटी-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे उत्तर में स्पष्ट दिया है कि शासन के विभिन्न विभागों द्वारा रोजगार के अवसर उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है एवं शासन के विभिन्न विभागों द्वारा स्वतः रोजगार की अनेक योजनायें चलायी जा रही है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

माननीय मंत्री जी ने कहा कि शासन के विभिन्न विभागों द्वारा रोजगार के अवसर उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है एवं शासन के विभिन्न विभागों द्वारा स्वतः रोजगार की अनेक योजनायें चलायी जा रही है, मैं इस सम्बन्ध में आपसे यह जानना चाहता हूं कि शासन के विभिन्न विभागों द्वारा रोजगार के कौन से अवसर उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है, वह अवसर किस प्रकार के हैं आप बेरोजगारों को कैसे रोजगार उपलब्ध करायेंगे जबकि एक तरफ केन्द्र सरकार का दबाव है कि सरकारी नौकरियों में पोस्ट कम किये जायें तो ऐसी स्थिति में रोजगार के अवसर उत्पन्न करना कैसे सम्भव है ?

रेशम एवं वस्त्रोद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी आगे हम विभागीय बजट पेश करने जा रहे हैं, उसमें रोजगार के क्या अवसर मिलने वाले हैं, वह सब सामने आ जायेगा, अभी कुछ कहना उचित नहीं है।

श्री उदयराज यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय श्रम मंत्री जी ने बेरोजगारी भत्ता समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में यह उत्तर दिया है कि बेरोजगारी भत्ता समाप्त कर दिया गया है साथ ही यह कहा है कि विभिन्न विभागों द्वारा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे। मान्यवर, आप भी जानते हैं कि पूरे प्रदेश में कितनी बड़ी तादाद बेरोजगारों की है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी उत्तर प्रदेश के सभी बेरोजगार नौजवानों को सरकारी नौकरियां देने का काम करेंगे या कहीं ऐसी योजना तो नहीं है जैसे कि ग्राम्य विकास विभाग द्वारा योजना चलाई जा रही है जिसमें 80 रुपये प्रतिदिन मजदूरी के हिसाब से दिया जा रहा है, कहीं इसी प्रकार पढ़े-लिखे नौजवानों से 80 रुपये प्रतिदिन मजदूरी पर काम कराने का प्रयास तो नहीं किया जायेगा ?

श्री वेदराम भाटी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहता हूं जो हमारे प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार हैं उनकी संख्या लगभग 32 लाख है और उनके लिए विभागों में स्वतः रोजगार योजना के अवसर प्राप्त करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। मान्यवर, केवल दो

तरह के रोजगार होते हैं एक सवेतन और दूसरा स्वतः रोजगार। मान्यवर, जो सवेतन है उसका अधिक प्रयास किया जाएगा, उसके अलावा फिर जो स्वतः रोजगार है उसके अवसर प्रदान किये जायेंगे।

डॉ0 वकार अहमद शाह-

मान्यवर, बेरोजगारी भत्ता समाप्त कर दिया गया, वह अलग विषय है लेकिन पिछली सरकार ने एक साल के लिए बेरोजगारी भत्ते के लिए धन स्वीकृत किया था और उसके लिए धन भी चला गया था। कुछ जिलों में दो महीने का कुछ में चार महीने का धन इलेक्शन की आचार संहिता की वजह से नहीं दिया जा सका तो मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उस धन का जो पी0एल0ए0 में पड़ा हुआ है, उसका क्या करेंगे ?

श्री वेदराम भाटी-

अध्यक्ष जी, जो योजना समाप्त हो गई उस योजना को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है।

डॉ0 वकार अहमद शाह-

मान्यवर, जो धन निकाला जा चुका है और उसे जनपद के पी0एल0ए0 में डाला जा चुका है, उसका क्या होगा ? वह धन आचार संहिता लगने के कारण पी0एल0ए0 में डाल दिया गया था तो क्या उस धन को जो पात्र बेरोजगार हैं उनको दिया जाएगा ?

श्री वेदराम भाटी-

अध्यक्ष जी, यही जवाब मैंने दिया था जब योजना समाप्त हो चुकी है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, उसे समाप्त कर दिया गया है।

डॉ0 वकार अहमद शाह-

मान्यवर, बेरोजगारी भत्ते के मद में जो पैसा जिलों में जा चुका है और आचार संहिता लगने के कारण वह धन वितरित नहीं किया जा सका है, उसे पी0एल0ए0 में डाल दिया गया है तो क्या उस धन को जो पात्र लोग हैं उन्हें दिया जाएगा ?

श्री अध्यक्ष-

कहां के पी0एल0ए0 में ?

डॉ0 वकार अहमद शाह-

मान्यवर, जनपदों के पी0एल0ए0 में। मान्यवर, शायद माननीय मंत्री जी को स्पष्ट जानकारी नहीं है कृपया जानकारी करके जवाब दें तो अच्छा रहेगा। मान्यवर, जो पैसा बेरोजगारी भत्ते के लिए स्वीकृत हो चुका है, बेरोजगारों के लिए जो पैसा निकल चुका है और जिलों के पी0एल0ए0 में डाला जा चुका है उसका उपयोग किया जाएगा या उसे वापस किया जाएगा।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

मान्यवर, 32 लाख की संख्या बेरोजगारों की माननीय मंत्री जी ने बतायी है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक वर्ग में कितने बेरोजगारों को रोजगार देने की सरकार की योजना है ?

आबकारी, लो0नि0, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति चाहता हूं हमारे सामने बैठे हुए माननीय सदस्य शायद अपनी योजना से बड़े खुश हैं। वह जानना चाहते हैं कि एक महीने में कितने बेरोजगारों को रोजगार देंगे, क्या शिड्यूल बनाया गया है। माननीय राय साहब ने जवाब दे दिया कि बजट चल रहा है सारे जवाब आ जायेंगे और माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि लगभग 32 लाख शिक्षित बेरोजगार हैं। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि लगभग 32 लाख लोग प्रदेश में बेरोजगार पंजीयन हैं, सामने बैठे हुए लोगों ने पूरा अभियान चलाया, शिकायतें भी आयीं, जांच के तहत वह पैसा रुका, जांच इन्होंने ही करायी, सभी कुछ करने के बाद भी 32 लाख बेरोजगारों में से मात्र 5 लाख 90 हजार लोगों को ही वह धनराशि दी गयी। ऐसी योजना का क्या मतलब है ? हमारी जो मंशा है, कुमारी मायावती जी की जो मंशा और प्रयास है उसको हम विभिन्न योजनाओं के तहत विभागीय बजट में भी बतायेंगे। इस प्रदेश में जो भी हमारे बेरोजगार हैं, उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाए। उस योजना का कोई मतलब नहीं था जिस योजना में एक चौथाई लोग भी लाभान्वित नहीं हुये।

**प्रदेश में किसानों को निजी नलकूप हेतु विद्युत कनेक्शन दिये जाने की मांग**

*2-श्री हुकुम सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सिंचाई की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए किसानों को निजी नलकूप हेतु आवेदन-पत्र देने के 30 दिन के भीतर विद्युत कनेक्शन दिये जाने की व्यवस्था की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)-

जी नहीं।

निजी नलकूपों की जनपदवार लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं। किसानों द्वारा निजी नलकूप संयोजन हेतु आवेदन करना एक सतत प्रक्रिया है। किसानों द्वारा आवेदन के पश्चात पूर्व से लम्बित बी एण्ड एल फार्मों की वरीयता क्रम के अनुसार संयोजन प्रदान किये जाते हैं।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने नीति बता दी कि क्या किया जाता है ? नीति संतोषजनक रही होती तो प्रश्न नहीं करते। मुझे मालूम है कि आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं।

मान्यवर, 3-3 वर्ष हो जाते हैं, इस वजह से भारी भ्रष्टाचार भी व्याप्त हो गया है। सरकार किसानों की चिन्ता करती है और सरकार इस बात से संतुष्ट है कि यहां पर कृषि का क्षेत्र बढ़ना चाहिए, उत्पादन बढ़ना चाहिए तो उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई की व्यवस्था करनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूं कि प्राथमिकता के आधार पर इस बात को सोचें। एक महीने का समय किस बात के लिए रखा है, कठिनाई क्या है, आप बताइये कि इस कारण से एक महीने के अन्दर संयोजन नहीं दे पा रहे हैं। आपने कहा है कि जी नहीं, यह नीति है। नीति न जाने कितनी रोज जनहित में संशोधित होती है, जनहित में, किसानों के हित में, कृषि के हित में जो वर्तमान पॉलिसी है उसको संशोधित करते हुए एक महीने में कनेक्शन देंगे, अगर नहीं देंगे तो कारण क्या है ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मा0 हुकुम सिंह जी को बताना चाहता हूं, वैसे बताने की आवश्यकता नहीं है, हमसे बहुत वरिष्ट हैं, जितनी मेरी उम्र है उतना उनका राजनीतिक अनुभव है और ऊर्जा मंत्री भी रहे हैं। मान्यवर, 23 हजार से ज्यादा फार्म पूरे उत्तर प्रदेश में लम्बित हैं और हम एक साल में 10 हजार से ज्यादा कनेक्शन दे नहीं सकते। वरीयता के क्रम में जिनके फार्म पहले से जमा हैं उनको देना शुरू करते हैं।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी कह रहे हैं कि 10 हजार से ज्यादा कनेक्शन एक साल में नहीं दे सकते। क्या किसी कानून में, संविधान में ऐसा प्रतिबन्ध है कि 10 हजार से ज्यादा नहीं दे सकतें पेन्डेंसी भी ज्यादा नहीं है, केवल 23 हजार की है। जहां तक मुझे जानकारी है, इस वर्ष 20 हजार नलकूपों के ऊर्जीकरण का लक्ष्य भी है। मैंने बजट भाषण सुना था उसमें माननीया मुख्यमंत्री जी ने 50 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है और इस वर्ष 20 हजार नलकूपों के ऊर्जीकरण का लक्ष्य है। इसके बाद तो 3 हजार ही बचते हैं। इसलिए माननीय मंत्री जी आपका ध्यान फिर आकर्षित करना चाहता हूं, बजट में बात स्पष्ट हो चुकी है और अगर आपने नहीं सुना हो तो आपके पास बजट भाषण की प्रति भेज दूं इसमें पृष्ठ-10 पर उल्लेख किया गया है कि 'ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूपों के ऊर्जीकरण के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है' और 20 हजार नलकूपों का ऊर्जीकरण किया जायेगा। कुल 23 हजार की पेन्डेंसी है, 20 हजार कनेक्शन दे देंगे। जो सतत प्रक्रिया है, एक महीने में एक हजार से ज्यादा फार्म आने वाले नहीं हैं। वर्ष 2005 से लेकर अब तक की पेन्डेंसी है। मैंने विभाग से जानकारी की है अप्रैल, 2005 से लेकर अब तक कुल 23 हजार की पेन्डेंसी है। माननीय मंत्री जी आप उन लोगों की सोचिये जिन्होंने अप्रैल, 2005 में अप्लाई किया होगा, कुछ जगह चकबन्दी हुई होगी, जिनको नया चक मिल गया होगा वह सिंचाई कहां से करें ? दूसरे की पीड़ा भी मंत्री जी आप समझिये। क्योंकि विभाग के अधिकारियों ने ऐसा लिखा है। मंत्री जी आपका भी तो अनुभव है आप भी जमीन से

जुड़े हैं। इस बात पर सजगता और संवेदनशीलता का परिचय दीजिए यह महत्वपूर्ण समस्या है इसकी सदन में घोषणा करके वाहवाही लीजिए कि इतनी जो पेंडेन्सी है उसको एक माह के अन्दर खत्म कर देंगे और हर ट्यूबवेल का ऊर्जीकरण कर दिया जायेगा।

श्री रामवीर उपाध्याय-

अध्यक्ष जी मैंने पहले ही बता दिया है कि वरीयता क्रम में जितने फार्म जमा हैं तो बजट में जितना प्राविधान किया है उसके हिसाब से वरीयता क्रम में ट्यूबवेलों का ऊर्जीकरण कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी ने अब तो स्थिति स्पष्ट कर दी।

श्री हुकुम सिंह-

मंत्री जी बार-बार वही उत्तर दे रहे हैं उनको आगे भी तो बढ़ना चाहिए 23 हजार की पेंडेन्सी इतनी ज्यादा नहीं है आपने 20 हजार का लक्ष्य भी निर्धारित किया है उसके लिए पैसे का प्राविधान भी है अब 3 हजार ही बचे यह जो मेरी जानकारी है वह अगर गलत हो तो उसको सही कर दीजिए यह 23 हजार प्रार्थना-पत्र अप्रैल, 2005 से आज जुलाई, 2007 के बीच के हैं सवा दो साल का अन्तराल है पेंडेन्सी भी इतनी ज्यादा नहीं है। यह जो वरीयता पर लेने की बात कर रहे हैं यह व्यवहार में हो नहीं पाती है। स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार होता है और ठेकेदार पैदा हो गये हैं और किसानों का शोषण हो रहा है। उनसे यह कहा जा रहा है कि 25 हजार दीजिए और कनेक्शन लीजिए। यह भ्रष्टाचार समाप्त हो इसलिए मैंने कहा कि आप एक नीति बना दीजिए कि एक माह डेढ़ माह या दो माह में जितने फार्म जमा हैं सभी को कनेक्शन दे दिया जाएगा। वरीयता का पालन होता तो यह दिक्कत न आती।

श्री अध्यक्ष-

आपने बजट का उल्लेख किया है।

श्री रामवीर उपाध्याय-

अध्यक्ष जी माननीय हुकुम सिंह जी ने भ्रष्टाचार की बात कही मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसमें भ्रष्टाचार कतई नहीं होने दिया जायेगा जिन लोगों ने पहले फार्म जमा किए हैं उनको पहले कनेक्शन दिया जायेगा। किसी भी किस्म का भ्रष्टाचार नहीं होने दिया जायेगा।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

सिंचाई सुविधा की वृद्धि खाद्यान्न उत्पादन और किसानों की समृद्धि के लिए आवश्यक है। अनेक कारणों से शासन नये सरकारी नलकूप लगा नहीं पा रहा है। हुकुम सिंह जी ने प्रश्न

में यही पूछा कि एक समय सीमा घोषित कर दें उन्होंने 30 दिन कहा। हम सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार पनपता है और हम उसको चाहते हुए भी रोक नहीं पाते हैं। मैं सुनिश्चित रूप से यह पूछना चाहता हूं कि यह भ्रष्टाचार तभी रुकेगा जब शासन एक निश्चित अवधि निर्धारित करके सुनिश्चित कर दे जिससे कम से कम एक माह डेढ़ माह तक किसान इन्तजार करे और उसे किसी को पैसा नहीं देना पड़ेगा। वह आश्वस्त रहेगा कि इतने समय बाद ऊर्जीकरण हो जाएगा। यह आश्वासन देने में मंत्री जी को क्या कठिनाई हो रही है। मंत्री जी ने जो नीति बताई है उस पर व्यवहारिक रूप में दिक्कतें आती हैं। इसलिए क्या मंत्री जी एक निश्चित अवधि सुनिश्चित करेंगे यही मेरा प्रश्न है ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

बजट के बाद तत्काल इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी शीघ्र से शीघ्र ट्यूबवेल्स लगवा दिये जायेंगे।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

सरकार किसानों के हित के प्रति उदासीन है। सरकार सिंचाई सुविधा नहीं बढ़ाना चाहती इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन से बर्हिगमन करता है।

[श्री ओम प्रकाश सिंह अपने दल (भारतीय जनता पार्टी) के साथ सदन का त्याग किया ]

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि पूर्व की सरकार में 5 एच0पी0 के कनेक्शन की स्वीकृति थी। छोटे-छोटे किसानों को भी उसका फायदा हो जाता था। बिल भी कम आता था। क्या सरकार पहले की तरह से आज जो साढ़े सात की स्वीकृति जरूरी कर दी गई है उसकी जगह 5 एच0पी0 के कनेक्शन देने की व्यवस्था करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ऐसी व्यवस्था है कोई ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

माननीय अध्यक्ष जी, असल में जो 5 हार्स पावर का कनेक्शन दिया जाता था उसको अब साढ़े सात एच0पी0 कर दिया गया है क्योंकि हो यह रहा था कि पांच हार्स पावर का कनेक्शन ले लेते थे और यूज साढ़े सात से दस हार्स पावर तक का करते थे। इससे बड़े पैमाने पर बिजली का दुरुपयोग होता था। इसलिए नियामक आयोग ने अपने विद्युत बोर्ड में यह व्यवस्था कर दी है कि पांच किलोवाट वाले को 7 किलोवाट कर दिया जाय।

श्री उदय राज-

मान्यवर, मेरा प्रश्न थोड़ा मूल प्रश्न से अलग हटकर है।

श्री अध्यक्ष-

काहे हट रहे हैं ?

श्री उदय राज-

मान्यवर, सुन तो लीजिए। हो सकता है कि आपके यहां भी हो रहा हो। मूल प्रश्न से ही जुड़ा है।

श्री अध्यक्ष-

तो ऐसा कहिये ना।

श्री उदय राज-

मान्यवर, इस समय पूरे प्रदेश में बिजली चोरी रोकने के लिये अभियान चलाया जा रहा है और उसके अन्तर्गत तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर किसानों से पैसा लेकर उनके ट्यूबवैल चालू कर दिये थे आज पकड़े जा रहे हैं तो किसान जेल जा रहे हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से किसानों के साथ कार्यवाही कर रहे हैं उसी तरह से दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों जिन्होंने किसानों के साथ मिलकर पैसा लेकर ट्यूबवैल चलवा रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी जानना चाहते हैं कि जिन किसानों ने अवैध तरीके से कनेक्शन लिया था उनको तो आप पकड़कर जेल भेज रहे हैं। इसमें कहीं न कहीं अधिकारी/कर्मचारी भी लिप्त रहे हैं तो क्या उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, बड़े युद्ध स्तर पर विद्युत चोरी रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अगर किसी किसान ने अनियमित और अवैधानिक तरीके से कनेक्शन लिया है तो अधिकारी और किसान दोनों दोषी हैं। हम उनके खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है। अब मैं अगला प्रश्न लेता हूं।

**नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से नया बिजली घर लगाये जाने का विचाराधीन निर्णय**

*3-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन और राज्य सरकार द्वारा मिलकर नया बिजली घर लगाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त बिजली घरों का निर्माण कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

भारत सरकार के स्तर पर निर्णय विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, मैंने यह पूछा था कि क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि नेशनल थर्मल कारपोरेशन और राज्य सरकार द्वारा मिलकर नया बिजलीघर लगाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? माननीय मंत्री जी ने कहा, जी हां। लेकिन यह क्या योजना है, यह आपने नहीं बताया है जो कि उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है। मान्यवर, आज बिजली शून्य है, पूरे अंधेरे में हम लोग हैं। माननीय मंत्री जी ने बताया है कि भारत सरकार के स्तर पर निर्णय विचाराधीन है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कई बैठकें आपने प्रदेश में की हैं, दिल्ली में की हैं तो निश्चित है कि इस योजना के कुछ बिन्दु होंगे। वे बिन्दु क्या हैं, और उनमें से किन बिन्दुओं पर सहमति बन चुकी है ? और जिन बिन्दुओं पर सहमति नहीं बनी है वे बिन्दु कौन से हैं ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इलाहाबाद में 1320 मेगावाट का एन0टी0पी0सी0 और प्रदेश सरकार दोनों मिलकर पावर हाउस बनाना चाहती है। जिसकी 75 प्रतिशत बिजली का उत्पादन वह हमको देंगे और हम कह रहे हैं कि हमको 90 प्रतिशत मिलनी चाहिए।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

माननीय विद्युत मंत्री जी कुछ बातें बता रहे हैं और कुछ नहीं बता रहे हैं। उनको मेरे अनुपूरक के लिये छोड़े दे रहे हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपने इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए कई बैठकों का आयोजन किया और यह स्वाभाविक है लेकिन विचारणीय बिन्दु क्या है लागत सहित मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि संयंत्र को लगाने पर जो 1320 मेगावाट बता रहे हैं इसके लगाने पर जो लागत आयेगी उसके सहित वह कौन से बिन्दु हैं जिन पर आप निर्णय ले चुके हैं और कौन से बिन्दु बाकी हैं जो भारत सरकार के स्तर पर अभी निर्णय लम्बित हैं।

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, निर्णय भारत सरकार को, एन0टी0पी0सी0 को लेना है। हमने सहमति दे दी है जमीन देने की, पानी देने की, और मा0 मुख्य मंत्री जी से भी एन0टी0पी0सी0 के चेयरमैन साहब

को मिलवाया था। 21 तारीख को मैं दिल्ली गया था। तो मैं भी भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री से मिला था उनसे भी कहा गया कि 75 परसेन्ट से 90 परसेन्ट किया जाए।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मैं फिर दुबारा इसको रिपीट कर दूं। लागत सहित जो संयंत्र संयुक्त क्षेत्र में लगाना चाहते हैं इस पर लागत सहित वह कौन से बिन्दु हैं जिन पर सहमति बन चुकी है और वह कौन से बिन्दु हैं जिन पर भारत सरकार का निर्णय लम्बित है।

श्री रामवीर उपाध्याय-

सारे बिन्दु भारत सरकार के स्तर पर लम्बित हैं। प्रस्ताव हम लोग कर चुके हैं।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

लागत कितनी आएगी।

श्री अध्यक्ष-

जोड़ना पड़ेगा।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, क्या प्रदेश की जनता को जानने का अधिकार नहीं है कितनी लागत आयेगी। कितना राज्य सरकार वहन करेगी। कितना एन0टी0पी0सी0 वहन करेगा। क्या शर्तें हैं किन शर्तों के आधार पर आप इसको करने जा रहे हैं। उत्पादन की कितनी बिजली राज्य सरकार को मिलेगी। कितना अंश मिलेगा।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी ने बताया हमारी भारत सरकार और एन0टी0पी0सी0 से वार्ता चल रही है कुछ जमीन के सन्दर्भ में, कुछ पानी के संदर्भ में। यह आपने पूछा कि अनुमानित लागत कितनी आ रही है तो अभी बिजली पैदा नहीं हुई, कहां देंगे, कहां नहीं देंगे। पहले पैदा होना शुरू हो। उसी के सन्दर्भ में कह रहे हैं जमीन और पानी के लिए बात कर लिया है शेष कोई वार्ता हुई हो तो बता दें। क्या प्रगति है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

अनुमानित लागत बता दें।

श्री रामवीर उपाध्याय-

श्रीमन्, मुख्य मंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से बात की है एन0टी0पी0सी0 के चेयरमैन आए उनसे हमने मा0 मुख्य मंत्री जी को मिलवाया यह सहमति भी दिलवा दी कि जमीन देने के लिए तैयार हैं। एन0टी0पी0सी0 का कहना है कि बिजली का जो उत्पादन होगा वह 75 परसेन्ट देंगे हमारा कहना है 90 परसेन्ट दें।

प्रदेश में अन्य राज्यों की तुलना में निजी वाहनों पर पंजीयन शुल्क में असमानता का कथित

**प्रकरण**

*4-श्री योगेन्द्र सागर-

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि निजी वाहनों पर पंजीयन शुल्क पांच प्रतिशत होने के कारण प्रति वर्ष प्रदेश में हजारों वाहनों का पंजीकरण अन्य सीमावर्ती प्रदेशों में हो रहा है जिसके कारण प्रदेश को लाखों रुपये के राजस्व की हानि हो रही है ? क्या सरकार अन्य सीमावर्ती प्रदेशों की तरह वाहनों की कीमत पर तीन प्रतिशत शुल्क निर्धारित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (श्री राम अचल राजभर)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सभी राज्यों में पंजीयन शुल्क की दर समान है।

(मा0 मंत्री जी द्वारा उत्तर पढ़ा गया)

श्री योगेन्द्र सागर-

उत्तर आ गया है।

प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के साथ महानगरों एवं मुख्यालयों आदि में विद्युत सप्लाई व

**कटौती के विवरण की जानकारी**

*5-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महानगरों, मण्डल मुख्यालयों एवं जिला मुख्यालयों के शहरी क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों को सरकार द्वारा कितने घण्टे बिजली दिये जाने का प्राविधान किया गया है ? क्या यह सही है कि प्रदेश में निर्धारित सीमा से अधिक विद्युत कटौती की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

शासन द्वारा विद्युत आपूर्ति हेतु प्राविधान निम्नवत् है :-

| | |
|---|---|
| **1-ग्रामीण क्षेत्र** | **14 घण्टे** |
| **2-तहसील स्तरीय नगर** | **15 घण्टे** |
| **3-जनपद स्तरीय नगर** | **16 घण्टे** |
| **4-मण्डल स्तरीय नगर** | **18 घण्टे** |

| | |
|---|---|
| 5-बुन्देलखण्ड क्षेत्र | 16 घण्टे |
| 6-महानगर | 20 घण्टे |

विद्युत की मांग एवं उपलब्धता में अधिक अन्तर आ जाने के कारण आवश्यकता पड़ने पर ग्रिड की सुरक्षा हेतु विद्युत की कटौती कराना अपरिहार्य हो जाता है।

उपरोक्तानुसार।

श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की बहुत सी आबादी गांव में बसती है। इनकी सरकार का नारा है जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी, श्रीमन्, जो 16 घण्टे 18 घण्टे बिजली देने की बात कही जाती है। मान्यवर, हम आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि मंत्री जी बताने की कृपा करें कि जो विद्युत आपूर्ति का रोस्टर आपने बताया है, 14 घण्टे ग्रामीण क्षेत्र, 15 घण्टे तहसील स्तरीय नगर, 16 घण्टे जनपद स्तरीय नगर, 18 घण्टे मण्डल स्तरीय नगर, 16 घण्टे बुन्देलखण्ड क्षेत्र और 20 घण्टे महानगर, तो क्या इस रोस्टर के अनुसार बिजली नहीं देने वाले अधिकारियों के खिलाफ आप कार्यवाई करेंगे ? दूसरा प्रश्न मेरा है, मान्यवर, बुन्देलखण्ड क्षेत्र पहले से विद्युत कटौती से मुक्त था तो क्या उस क्षेत्र को कटौती मुक्त घोषित करेंगे ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, माननीय सदस्य पुराने बी0एस0पी0 के हैं, अभी वह दिल से निकल नहीं पाया है, भले ही वह समाजवादी पार्टी में है लेकिन रह रहकर बी0एस0पी0 की याद आती है और आपके प्रश्न में भी बी0एस0पी0 की याद आ गई "जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी" यह तो बी0एस0पी0 का नारा है, यदि आपको पसन्द है तो आ जाओ, क्यों परेशान हैं ?

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी, इनका प्रश्न है कि जितने घण्टे का रोस्टर है यदि वहां के अधिकारी उस रोस्टर के अनुसार बिजली नहीं दे रहे हैं या कम देते हैं तो क्या उनके खिलाफ कार्यवाई करेंगे और बुन्देल खण्ड क्षेत्र की जो स्थिति है, उसके अनुसार वहां बिजली बढ़ाने की कोशिश करेंगे ? यह दो प्रश्न मा0 सदस्य ने पूछे हैं।

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, विशम्भर प्रसाद निषाद जी से कहना चाहता हूं यदि इस तरह की रोस्टर में कमी आ रही है तो वह लोकल फाल्ट की वजह से हो सकती है लेकिन यदि अधिकारी गड़बड़ी करते हैं, संज्ञान में है और बतायेंगे तो निश्चित रूप से कार्यवाई करेंगे और कर रहे हैं।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो रेग्स्टर बनाया है, वह सैद्धान्तिक रूप से सही मान लिया जाए, तो जो उत्तर में लिखा है कि 'विद्युत की मांग एवं उपलब्धता में अधिक अन्तर आ जाने के कारण आवश्यकता पड़ने पर ग्रिड की सुरक्षा हेतु विद्युत की कटौती कराना अपरिहार्य हो जाता है।' मान्यवर, मैं इससे सम्बन्धित प्रश्न पूछ रहा हूं जो हम लोग अनुभव देते हैं जब आप कटौती करने का निर्णय लेते हैं तो सभी जिलों की समान रूप से काट देते हैं या पूरे जिले को एक साथ काट देते हैं। उसमें ऐसा जिला जो आपकी कलेक्शन इफीसियेंसी, अगर आपने सुनिश्चित मात्रा की बिजली दिया और उसने उतना राजस्व वापस किया और किसी दूसरे जिले को जिसे आपने निश्चित मात्रा की बिजली दिया और उसमें उसकी तुलना में राजस्व बहुत कम वापस किया। अब कलेक्शन इफीसियेंसी का जमाना आ गया मैं आपसे सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि आप जो अतिरिक्त कटौती करेंगे तो सब धान बाइस पसेरी की जगह पर जिन जिलों ने आपको राजस्व अधिक प्रतिशत दिया है, उनकी कटौती कम करेंगे और जिन्होंने कम राजस्व दिया है उनकी कटौती अधिक करेंगे और जिलों में भी जब आपने हर फीडर पर मीटर लगा रहे हैं तो एक जिले में जिस फीडर पर आपको राजस्व कम मिला है, पूरे जिले की कटौती करने की जगह पर पूरे प्रदेश में व सारे फीडर जहां से आप राजस्व कम पाते हैं, इसका एक कारण है तो क्या आप कम राजस्व देने वाले फीडर की कटौती करेंगे या जो बिजली की पेमेन्ट नहीं करते हैं उनकी सजा के रूप में जो पेमेन्ट करते हैं, उनको भी सजा दे देंगे ? एक प्रश्न तो यह है तो क्या जो नागरिक नियमों का पालन कर रहे हैं, कानून का पालन कर रहे हैं, राजस्व का पेमेन्ट कर रहे हैं या जो जिले पेमेन्ट कर रहे हैं क्या उनको पेमेन्ट करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे या जो पेमेन्ट नहीं कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करेंगे और पेमेन्ट करने वालों को निरूत्साहित करेंगे ? दूसरी चीज यह जो आपने घण्टे बताये, क्या यह घण्टे किसी अपवाद में हैं किसी जिले में या कोई नियम हैं कि इस नियम के तहत सबको बिजली दी जाती है और सब की बिजली काटी जाती है ? दो प्रश्न हैं।

श्री रामवीर उपाध्याय-

अध्यक्ष जी, अगर जहां बिजली का उपयोग ज्यादा हो रहा है और कम पैसा मिल रहा है, बिजली की चोरी ज्यादा हो रही है, अगर वह मानक है तो सबसे पहले प्रभावित होने वाले अग्रवाल साहब होंगे और वह हल्ला मचायेंगे। हमें सबसे कम पैसा पूर्वांचल से मिलता है।

श्री राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, कितनी बिजली दी और कितना राजस्व पाया, उसका आंकड़ा सदन में रख सकते हैं ? आपने पूर्वांचल का नाम लिया। आपने पूर्वांचल का नाम लिया इसलिए बतायें।

श्री रामवीर उपाध्याय-

माननवर, यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री राधा मोहन दास अग्रवाल-

आप पूर्वांचल का नाम ले रहे हैं। अगर वह राजस्व कम देते हैं तो उनके आंकड़े सदन में रख दें।

श्री रामवीर उपाध्याय-

आपके पूर्वांचल में 30 प्रतिशत से ज्यादा लाइन हानियां हैं।

श्री राधा मोहन दास अग्रवाल-

पूरे प्रदेश में 47 प्रतिशत से ज्यादा है, क्या करिएगा। आपने अगर पूर्वांचल का नाम लिया है तो आपको बताना चाहिए कि आपने पूर्वांचल को कितनी बिजली दी और आपको कितना राजस्व मिला। माननवर, किसी एक क्षेत्र पर टिप्पणी कैसे की जा सकती है। आप जवाब दे दें।

श्री रामवीर उपाध्याय-

माननवर, मैं पूरे सदन के सामने लाइन हानियां और उसके तथ्य बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

राधा मोहन दास अग्रवाल जी, माननीय मंत्री जी कोई आक्षेप नहीं लगा रहे हैं।

श्री राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननवर, जो लाइन हानियां हो रही हैं उसके लिए विद्युत चोरी जिम्मेदार नहीं है। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में विद्युत की चोरी अधिक हो रही है। लाइन लास के लिए कोई नागरिक जिम्मेदार नहीं है। माननवर, वर्ष 2006 की वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट कहती है कि इसके लिए आपका विभाग जिम्मेदार है और आप यह बता दें कि आप पूर्वांचल को कितनी बिजली देते हैं और कितना राजस्व मिलता है?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

माननवर, किसी मंत्री द्वारा प्रदेश के किसी अंचल को इस तरह लांछित करना इस प्रदेश और उस क्षेत्र की जनता के हित में नहीं है। लाइन लास अलग है और विद्युत चोरी अलग है। लाइन लास विभाग की जिम्मेदारी है और विद्युत चोरी के लिए आपके विभाग की व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार जिम्मेदार है। यह जिम्मेदारी मंत्री की है। माननवर, आप भी पूरब से आते हैं इसलिए इससे पूरब की जनता को टेंस पहुंची है। माननीय मंत्री जी से कहना है कि वह इसका विवरण दे दें कि 30 प्रतिशत से जहां पर ज्यादा लाइन हानि है उसका विवरण दे दें। माननीय मंत्री जी एक क्षेत्र विशेष को अपमानित करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किए हैं। वह शब्द वापस ले लें अन्यथा हम इसका विरोध करेंगे।

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, कदाचित माननीय मंत्री जी का किसी क्षेत्र को लांछित करने का उद्देश्य नहीं है। इस प्रश्न पर कि क्या इन क्षेत्रों को जहां कम राजस्व मिलता है उनकी कटौती ज्यादा और जहां राजस्व ज्यादा मिलता है वहां पर कटौती कम करेंगे ? मान्यवर, इस प्रश्न के जवाब में मंत्री जी ने कहा कि इस नार्म्स को मानने से किन्हीं क्षेत्रों के साथ ज्यादती भी हो सकती है इसलिए समान व्यवहार करने का हमने निर्णय लिया है लेकिन किसी क्षेत्र विशेष से इस आधार पर कि वहां से राजस्व कम मिलता है उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। यह मंत्री जी के कहने का मतलब था। यह मंत्री जी ने नहीं कहा था कि पूर्वांचल के क्षेत्र में ज्यादा लाइन लास है बल्कि इन्होंने यह कहा कि किन्हीं जिलों में हो सकता है और नागरिकों का कोई दोष भी नहीं है और हो सकता है कि किन्हीं कारणों से राजस्व कम प्राप्त हो तो ऐसे क्षेत्रों के साथ कोई ज्यादती न हो, तो मान्यवर, उस मापदण्ड को अपनाने की कार्रवाई नहीं की जायेगी।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

क्या मा0 मंत्री जी यह बतायेंगे कि तीस प्रतिशत से अधिक लाइन लास प्रदेश में और कहीं है कि नहीं ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, ओम प्रकाश जी बड़े ही वरिष्ठ सदस्य हैं, इन्होंने अन्यथा ले लिया है। अग्रवाल साहब ने जो बात कही है कि जहां राजस्व कम आ रहा है वहीं ज्यादा कटौती करेंगे ? गोरखपुर में कई जगह ऐसी हैं, मेरे संज्ञान में है, वहां पर लाइन लास ज्यादा है। हमारे लिए सारा प्रदेश बराबर है। हम चौदह घण्टे सोलह घण्टे, अट्ठारह घण्टे बिजली दे रहे हैं और पूरे प्रदेश को देख रहे हैं। मैंने तो यह कहा कि अगर यह कार्य करेंगे तो इनके क्षेत्र को नुकसान हो जायेगा। अग्रवाल साहब हमारे मित्र हैं।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर में महानगर, नगर, तहसील स्तर की विद्युत आपूर्ति का ब्योरा दिया। मान्यवर, पहले वी0आई0पी0 क्षेत्र हुआ करते थे तो क्या इस सरकार में वर्तमान समय में, प्रदेश में ऐसे जिले है जिन्हें कटौती मुक्त किया है, उनके नाम बतायेंगे ? दूसरा मेरा कहना यह है कि राजस्व के लिहाज से कानपुर महानगर ज्यादा देता है तो उसे कटौती मुक्त करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, माननीय [illegible] का कहना है कि परम्परागत वी0आई0पी0 क्षेत्र में रहते रहे हैं।

श्री राम[illegible] उपाध्याय-

मान्यवर, लखनऊ को छोड़कर जो टी0टी0 जेड क्षेत्र आते हैं आगरा के जैसे फिरोजाबाद, हाथरस और मथुरा का हिस्सा है, उसको बराबर बिजली दी जा रही है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी वहां से है और मुझे कोई आपत्ति भी नहीं है कि वहां बराबर बिजली दी जा रही है। उनको 24 घण्टे से ज्यादा बिजली दे सकते हैं, लेकिन क्या कानपुर महानगर को कटौती मुक्त करेंगे।

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, महाना साहब अच्छी तरह से जानते हैं मैं दो बार कानपुर गया हूं पहले वहां की बहुत दुर्दशा थी। मैंने अधिकारियों की मीटिंग की, उन्हें हिदायत दी कि जो कटौती अनुमन्य है उससे ज्यादा न करें। विद्युत चोरी पर भी हम अंकुश लगा रहे हैं। इससे भी सुधार होगा।

श्रीमती सीमा द्विवेदी-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि विद्युत कटौती की जाती है। कभी-कभी फाल्ट हो जाता है और बिजली काट दी जाती है। तो मैं यह कहना चाहूंगी कि अगर कहीं पर अट्ठारह घण्टे बिजली दी जा रही है और इन अट्ठारह घण्टों में फाल्ट आ गया तो जितनी देर विद्युत कटौती की गयी उतनी देर आगे यह देंगे।

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर यह व्यवहारिक रूप से उचित नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सीमा द्विवेदी जी आप कोई प्रश्न पूछना चाहती तो आप पूछ लें।

श्रीमती सीमा द्विवेदी-

माननीय अध्यक्ष, माननीय मंत्री श्री जगदीश नारायण राय जी जनपद जौनपुर से ही चुनकर आते हैं, लेकिन शायद उनको न पता हो, मैं बताये देती हूं, मान्यवर, जनपद जौनपुर में कल-परसों में 40 घण्टे बिजली की कटौती हुई, लोग एक-एक बूंद पानी के लिए तरस गये। मैं सदन में इस बात को रख रही हूं तो मैं माननीय मंत्री जी से इसका उत्तर जानना चाहूंगी कि यह कटौती किस कारण से की गई और क्या इस कटौती की पूर्ति हमें अतिरिक्त बिजली प्रदान करके की जायेगी ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्या जी जानना चाहती हैं कि कल कटौती ज्यादा हो गई, इस पर कोई ऐसी व्यवस्था दे दें कि इनके जिले में ज्यादा कटौती न हो।

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, हो सकता है कोई लोकल फाल्ट पैदा हो गया हो, जिसकी वजह से इतनी देर तक बिजली न आई हो। मैं इसको दिखवा लेता हूं ताकि आगे से ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो।

श्रीमती सीमा द्विवेदी-

अध्यक्ष जी मेरा जवाब स्पष्ट नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष-

आपको दिखवाने के लिए कह तो दिया गया है।

श्रीमती सीमा द्विवेदी-

माननीय अध्यक्ष जी, हमने यह कहा है कि क्या हमको जो कटौती हुई है, उसके बदले में हमें बिजली मिलेगी या नहीं मिलेगी ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय सीमा जी, इतना तगड़ा हिसाब मत करिये।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जहां से निर्वाचित होकर के आता हूं, सभी को पता है कि वह धार्मिक नगरी है, सांस्कृतिक राजधानी है, पर्यटन नगरी है और मैं इस बात को जब मैं निर्वाचित होकर के आया हूं इस माननीय सदन में बराबर अपने नगर की विशेषताओं के मद्देनजर मैं हमेशा मांग करता रहा हूं कि जैसे कुछ क्षेत्रों को बिजली कटौती से मुक्त रखा गया है तो काशी नगरी की विशेषता को देखते हुए उसके ऐतिहासिक, पर्यटन और तमाम महत्व को देखते हुए क्या माननीय मंत्री जी मैं आपसे भी व्यक्तिगत रूप से निवेदन कर चुका हूं, खाली सदन में उसका उल्लेख कर रहा हूं कि आप काशी को विद्युत कटौती से मुक्त करने पर या जब बिजली की कमी है उसके मद्देनजर उसकी अवधि को कम करने पर आप विचार करेंगे, कोई निर्णय लेंगे ? अवधि को ही कम कर दीजिए, चार घण्टे हैं, दो घण्टे कर दीजिए अगर कटौती मुक्त नहीं कर सकते ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय चौधरी साहब को बताना चाहता हूं कि ऐसा सम्भव नहीं है, चूंकि हमारे पास बिजली इससे ज्यादा है ही नहीं।

श्री पी0के0 राय-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं और संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में केवल दो गन्ना संस्थान है एक शाहजहांपुर में और दूसरा गन्ना संस्थान है मेरे विधान सभा क्षेत्र सेवरही जनपद कुशीनगर में। गन्ना संस्थान को इतना कम बिजली

आपूर्ति करने की वजह से वहां पर जो रिसर्च कार्य वगैरह हो रहा है, वह प्रभावित हो रहा है। ऐसी स्थिति में क्या जो कटौती वहां पर की जा रही है उसको कुछ कम करने पर माननीय मंत्री जी विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री, स्पेसिफिक अपनी विधान सभा क्षेत्र की माननीय सदस्य ने बात की है। जहां कटौती हो रही है उसको न करने पर विचार करेंगे ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, ऐसा सम्भव नहीं है, बिजली हमारे पास जितनी है उससे ज्यादा हम दे ही नहीं सकते है।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, टी0टी0जेड0 के अन्दर किसानों को प्रति हार्स पावर की दर से जो सात से सत्रह के करीब देना पड़ता था आज 1400 के करीब देना पड़ रहा है जबकि टी0टी0जेड0 क्षेत्र के अन्तर्गत आज भी विद्युत की सप्लाई तीन से लगा करके 14 घण्टे से ज्यादा नहीं हो रही है। किसानों के साथ में यह अन्याय है, मैंने पहले भी इस बात को लिख करके दिया है लेकिन माननीय मंत्री महोदय के संज्ञान में मैं इस बात को लाना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में किसानों को दुगने पैसे देने पड़ रहे हैं प्रति हार्स पावर के हिसाब से उसको घटाने की कृपा करें। माननीय मंत्री जी मुझे यह बताने का कष्ट करें कि टी0टी0जेड0 के अन्तर्गत जो किसान हैं उनका पर हार्स पावर की दर से कम करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी चलिये बहुत स्पष्ट बात नहीं आयी है, माननीय सदस्य की जो समस्या है, जिस बात को वह कह रहे हैं। आप इसको लिखित रूप से मंगवा लीजिए और उसको दिखवा लीजिए।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, टी0टी0जेड0 के अन्दर आप जो बढ़े हुए रेट ले रहे हैं इसके लिए यह भी प्रावधान है कि वहां 24 घण्टे बिजली देंगे। लेकिन उस एरिया में जो किसानों का क्षेत्र है गांव आते हैं वहां एक तो कटौती हो रही है दूसरे रेट वही लगा रहे हैं तो वहां के किसानों के रेट क्या कम करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न से बिल्कुल सम्बन्धित नहीं है। इसे आप अलग से नियमों में दे दें या प्रश्नों में लगा दें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, डा0 राजेन्द्र सिंह जी ने फतेहाबाद क्षेत्र की विशेष रूप से बात कही है। लेकिन यह पूरे प्रदेश की समस्या है कि ऐसे नगरीय क्षेत्रों के आसपास जो किसानों के नलकूप लगे हुए हैं और वहां आपूर्ति कम हो रही है और दूसरी तरफ जो नगरीय क्षेत्रों के रेट हैं वह चार्ज किये जा रहे हैं तो यह किसानों की समस्यायें हैं कि उनके ट्यूबवेल लगे हुए हैं बिजली कम मिल रही है और दरें वही है। मान्यवर, माननीय ऊर्जा मंत्री जी को बिजली विभाग की एक एक चूड़ी एक-एक दरवाजे की जानकारी है कोई बात उनसे अलग नहीं है। विद्वान मंत्री जी हैं। इस पर विचार कर लें।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

यह नीतिगत प्रश्न है मान्यवर, विचार कर लें मंत्री जी या इसका बजट भाषण में जवाब दे दें। यह किसानों का सवाल है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न से हटकर है। ठीक है बजट भाषण में जवाब दे सकते हैं।

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, मेरे संज्ञान में यह है कि अधिकतर गांवों में 20 घण्टे 24 घण्टे बिजली वहां जा रही है। लोकल फाल्ट या ट्रांसफार्मर में कोई कमी हो सकती है जिस कारण से बिजली की आपूर्ति कम हो सकती है। मुझे आप लिखकर के दे दें। मैं उसका समाधान करा दूंगा।

**ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मरों के जलने की शिकायत पर 72 घण्टे में नया लगाने की व्यवस्था के अन्तर्गत शाहजहांपुर के ग्रामों में फुंके ट्रांसफार्मरों को बदलवाने की मांग**

*6-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर फुंकने के बाद, कितने दिनों में नया/ठीक ट्रांसफार्मर लगाने की नीति है ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि भावलखेड़ा ब्लाक जनपद-शाहजहांपुर के ग्राम बरतारा, चचरी, गोटिया एवं बिलन्दापुर के ट्रांसफार्मरों को फुंके कई वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक बदला नहीं गया है ? क्या सरकार इन खराब ट्रांसफार्मरों को शीघ्र बदलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मरों के जलने की सूचना/शिकायत प्राप्त होने पर ट्रांसफार्मर की उपलब्धता के अनुसार 72 घण्टे में ट्रांसफार्मर बदलने की व्यवस्था है।

ब्लाक भावलखेड़ा के ग्राम बरतारा में दिनांक 14 अप्रैल, 2007 को परिवर्तक क्षतिग्रस्त होने पर दिनांक 16 अप्रैल, 2007 को बदला गया था, इसके बाद उसके पुनः दिनांक 5 जून,

2007 को क्षतिग्रस्त होने पर दिनांक 26 जून, 2007 को बदल दिया गया। ग्राम बबरी गौटिया व बिलन्दापुर के ट्रांसफार्मर क्रमशः 23 मार्च, 2007 व 16 जून, 2007 को क्षतिग्रस्त हो गये थे जिन्हें दिनांक 29 जून, 2007 को बदल दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, शासनादेश है और बिजली विभाग की व्यवस्था है कि 72 घण्टे के अन्दर खराब ट्रांसफार्मर को बदल देंगे। जबकि वास्तविकता यह है कि जब यह प्रश्न लगा तो कई वर्षों के बाद यह खराब ट्रांसफार्मर बदल दिये गये हैं। जब एक नियम है कि 72 घण्टे के अन्दर बदला जाना चाहिए जो नहीं बदला जाता है। मान्यवर, अगर आप इसका परीक्षण करायेंगे तो बहुत से क्षेत्र ऐसे मिल जायेंगे जहां महीने दो महीने से ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया है। खास बात यह है कि ट्रांसफार्मर जो आप लगाते हैं उसका तेल चोरी चला जाता है। इस विभाग को तेल चोरी चले जाने की वजह से बहुत बड़ा लास है।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि एक तो 72 घण्टे के अन्दर आप ट्रांसफार्मर का बदला जाना सुनिश्चित करें। दूसरी बात तेल चोरी होने के कारण जो ट्रांसफार्मर फुंकते हैं उनकी रोकथाम की व्यवस्था करायेंगे ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

माननीय अध्यक्ष जी, पूरा सदन इस बात को जानता है कि ट्रांसफार्मर जलने के बाद में महीनों-महीनों तक नहीं बदले जाते थे, यह बात सही है। लेकिन हमारी सरकार ने मुझे जैसे आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने जिम्मेदारी सौंपी तो उन्होंने सख्त हिदायत दी कि जहां-जहां तार गड़बड़ है वहां तार बदलवा दें, जहां-जहां ट्रांसफार्मर फुंके पड़े हैं, खराब पड़े हैं, उनको तत्काल बदलवा दें। इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए हमने अधिकारियों की बैठक बुलाकर सख्त हिदायत दी है कि 72 घण्टे के अन्दर ट्रांसफार्मर बदल जाने चाहिए। यह माननीय सदस्य की बात सही है कि ट्रांसफार्मर अभी बदले गये हैं। मैंने कल शाम को जब मेरे सामने ब्रीफिंग के लिए अधिकारी आये तो मैंने पूछा कि इसमें लिख तो दिया बदले गये। यह सच है कि यह ट्रांसफार्मर कई वर्षों से नहीं बदले गये लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि कह दिया हो कि बदल गये। मैंने अधिकारियों से टेलीफोन करके वहां के चीफ से मालूम किया कि क्या यह बदल गये, आपको पूरा संज्ञान नहीं है जो इनके संज्ञान में नहीं है मैं उसे बताना चाहता हूं लेकिन अभी लाइन वहां नहीं बनी टूट गयी थी। मैंने उसके भी निर्देश दिये हैं कि 10 दिन के अन्दर लाइन बना दी जाय बिजली नहीं पहुंची, ट्रांसफार्मर तो लगा दिये अधिकारियों ने। लेकिन बिजली आज भी वहां नहीं जा रही है लेकिन मैंने सख्त हिदायत दी है अधिकारियों को कि वहां पर 10 दिन के अन्दर यह

सुनिश्चित कर दिया जाय कि गांव में बिजली पहुंच रही है। जहां तक तेल टपकने से वह खराब हो जाता है तेल गिरने से वह खराब हो जाता है उसके लिए भी हिदायत दी गयी है कि कहीं कोई कमी आ जाती है ट्रांसफार्मर में तो उसको बदला जाय, यह नहीं कि जब जल जाय तभी बदला जाय।

डा0 अजय तोमर-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज की तारीख में वर्तमान में इस समय जनपद बागपत में 25 हार्सपावर के लगभग 200 ट्रांसफार्मर लम्बित हैं, 63 के लगभग 100 ट्रांसफार्मर लम्बित हैं और 100 के लगभग 7 ट्रांसफार्मर 2 महीने से लगभग लम्बित हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह उनकी बात पर कहीं कोई यह न कहते हुए कि इस कार्य को नहीं कर रहे हैं, सुचारु रूप से नहीं चला रहे हैं लेकिन मैं अपने जनपद की वस्तुस्थिति से अवश्य अवगत कराना चाहता हूं कि सुबह से मोबाइल फोन इसलिए बन्द करना पड़ता है कि मेरठ से ट्रक आयेगा या नहीं आयेगा, गांव वाले भी पूछते हैं और ट्रांसफार्मर जो मेरठ से बागपत आने हैं वह नहीं पहुंच पा रहा है, इतनी खराब स्थिति है। मई, जून और जुलाई पिछले 3 माह से लगातार कोई भी ट्रांसफार्मर 72 घण्टे तो दूर मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं , आप जिले से सूचना भी मंगवा लें शायद दो हफ्ते से पहले एक भी ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया अगर बदला गया है तो मुझ जैसे विधायक या मेरे किसी साथी विधायक के दबाव में या मेरे लेटर के बाद हो सकता है दूसरे-तीसरे हफ्ते के अन्दर दे दिया गया हो लेकिन कोई ऐसा ट्रांसफार्मर नहीं है जो 2 हफ्ते या 4 हफ्ते से पहले दे दिया गया हो। मैं निवेदन करूंगा कि जनपद बागपत की विद्युत व्यवस्था को सुधारने का कष्ट करें। मैं इनकी इस कार्यशैली में पूर्णतः सहयोग के लिए और यह कष्ट भी है मेरा कि बागपत के लिए क्या करना चाहेंगे जहां इतनी विषम परिस्थिति है। बागपत के खराब ट्रांसफार्मर सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के अधिकारी उनका कोटा कटवा कर ले जाते हैं।

श्री रामवीर उपाध्याय-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं पिछली बार मेरठ गया था और वहां पर मैंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये थे कि इस तरह की कोई शिकायत मेरे पास नहीं आनी चाहिये कि किसानों के ट्रांसफार्मर या किसी के इन्डीविजुअल ट्रांसफार्मर 15-15 दिन तक नहीं बदले जा रहे हैं। उनको बदलवाने के लिये सख्त हिदायत दी थी। हो सकता है कि ट्रांसफार्मर की कमी की वजह से कहीं न बदले गये हों, मैं व्यक्तिगत रूप से इसे देख लूंगा। बहुत जल्दी ही इनको बदलवा दूंगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैंने आपके माध्यम से दो प्रश्न पर जानकारी करना चाही थी। एक तो मैंने प्रश्न किया था कि 72 घण्टे में ट्रांसफार्मर बदलना सुनिश्चित हो और दूसरा प्रश्न किया था कि ट्रांसफार्मर का तेल चोरी होने की वजह से वह फुंक जाते हैं उस पर एक लाइन का भी उत्तर नहीं

आया। तो हम यह जरूर चाहते हैं कि मान्यवर, यह प्रदेश का लास है, बिजली विभाग का लास है और बड़ा जनहित का प्रश्न है। जो तेल चोरी की वजह से ट्रांसफार्मर फुंक जाते हैं तो यह सरकार उसके सम्बन्ध में कोई कार्य योजना, कोई एक्शन प्लान या कोई ऐसी व्यवस्था करेगी कि ट्रांसफार्मरों का तेल चोरी न हो, यह हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय खन्ना साहब को मैं पहले ही जवाब दे चुका हूं मैं दुबारा फिर से दोहरा रहा हूं। ट्रांसफार्मर की जहां-जहां चोरी हो रही है, तार की चोरियां हो रही थीं, उसके तेल की चोरी हो रही है, उसे रोकने के लिये सख्त निर्देश और हिदायत अधिकारियों को दी गयी है। डी0जी0पी0 के माध्यम से और मुख्य सचिव के थ्रू इस पर भेजा गया है कि जहां इस तरह की घटनायें हों, तत्काल रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही की जाय। इस पर रोक लगाने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मान्यवर, जो शासन की नीति है कि 72 घण्टे में ट्रांसफार्मर बदल दिया जायेगा तो जहां-जहां 72 घण्टे में ट्रांसफार्मर नहीं बदले गये हैं, क्या उन अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ आप कोई कार्यवाही करेंगे और जहां पर ट्रांसफार्मर से तेल चोरी करने की बात है, निश्चित तौर पर आपने पुलिस विभाग को निर्देश दे दिया है इसमें मेरा आग्रह है और सुझाव भी है कि जिन गांवों के किनारे ट्रांसफार्मर लगे हुये हैं, जिनसे तेल की चोरी हो रही है, उन गांव में आबादी के अन्दर ट्रांसफार्मर रख दिया जाय तो तेल चोरी रोकने में बहुत बड़ा योगदान होगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य यह चाह रहे हैं कि जो ट्रांसफार्मर की चोरी हो रही है, तेल की चोरी हो रही है, उसको गांव में आबादी के अन्दर रख दिया जाय तो वह सुरक्षित रहेगा ताकि तेल की चोरी न हो और जहां 72 घण्टे में ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे हैं तो क्या उसकी आप जांच करायेंगे और कार्यवाही करेंगे, यह वह जानना चाहते हैं।

श्री रामवीर उपाध्याय

मान्यवर, हमारी सरकार से पहले यह स्थिति थी कि जहां तार चोरी हो जाय, ट्रांसफार्मर चोरी हो जाय, ट्रांसफार्मर से तेल चोरी हो जाय या बिजली विभाग का कोई सामान चोरी हो जाता था तो हमारे अधिकारी थाने का चक्कर लगाते रहते थे और रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी। एस0पी0 से मिलते थे लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी। बहन कुमारी मायावती जी ने सख्त हिदायत दी है और निर्देश भी दिये हैं एस0पी0 को कि यदि बिजली की चोरी होती है तो तत्काल रिपोर्ट लिखी जाए और मान्यवर चोरी के मामले में रिकार्ड कायम हुआ है लगभग 8 हजार से

ज्यादा रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है और कार्यवाही भी हो रही है। मान्यवर, जब कार्यवाही होगी तो आगे से तेल और ट्रांसफार्मर चोरी नहीं हो पायेगा और अगर चोरी होती है तो हम लोग अंकुश लगायेंगे।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा, आपने कहा कि रिपोर्ट दर्ज की जा रही है लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह से तार चोरी हो रहे हैं उसी तरह से जो आपकी लाइन के तार चोरी हुए, रिपोर्ट दर्ज हुई, तार भी बरामद हो गये तार बरामद होने के बाद भी अभी भी लाइन चालू नहीं हुई है। सप्लाई नहीं हो रही है। एक नहीं कई उदाहरण मैं दे दूंगा, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या वहां सप्लाई शुरू होगी या नहीं।

(कई सदस्यों के एक साथ प्रश्न उपस्थित करने के लिए प्रयास करने पर शोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी आपके बहुत ज्यादा अनुपूरक हो चुके हैं आप लोग कृपया बैठ जाएं नहीं तो मंत्री जी जवाब नहीं दे पायेंगे। माननीय मंत्री जी, वर्मा जी का कहना है कि तेल चोरी हो जाती है क्योंकि ट्रांसफार्मर गांव के बाहर रखे हुए हैं तो क्या उन्हें गांव के अन्दर रखने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मान्यवर, मेरी बात सुन लें। अक्सर ट्रांसफार्मर गांव की आबादी के बाहर रखे जाते हैं और आबादी के बाहर होने के कारण रात में उनका तेल चोरी हो जाता है और इस प्रकार से कोई जे0ई0 या दरोगा उस चोरी को रोक नहीं पायेगा। मान्यवर, मेरा सीधा सा सवाल है कि जो डी0पी0 गांव के बाहर है उसी डी0पी0 को उसी ट्रांसफार्मर को क्या गांव के अन्दर रखने पर माननीय मंत्री जी विचार करेंगे ? क्योंकि ऐसा करने से विद्युत विभाग का खर्च भी नहीं बढ़ेगा और ट्रांसफार्मर की चोरी भी रुक जाएगी।

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, यह सम्भव नहीं है ट्रांसफार्मर से पूरे गांव को बिजली दी जाती है और गांव के अन्दर रखने से कभी दुर्घटना जैसी शंका भी हो सकती है, इसलिए यह उचित नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष-

बहुत प्रश्न हो चुके हैं अब सिरोही जी आप पूछ लें।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से दो प्रश्न पूछना चाहूंगा, ट्रान्सफार्मर चोरी में अप्टाचार की जो जड़ है एक तो उसमें सूचना रिपोर्ट लिखने में न होना और दूसरा जे0ई0 के द्वारा ईडिट करना। जब तक जे0ई0 को कुछ न [illegible] नहीं करेंगे तब तक वह रिपोर्ट नहीं करेगा। क्या माननीय मंत्री जी प्रथम सूचना [illegible] लिए यदि वह उपभोक्ता को प्रत्यावेदन देता है तो क्या

वह प्रथम सूचना रिपोर्ट मानी जाएगी थाने में। दूसरा प्रश्न है कि इन्डेन्ट बनता है और इन्डेन्ट बनवाने की जिम्मेदारी किसान को सौंपी जाती है और वह किसान जे0ई0 के पीछे-पीछे भागता है तब तक उसके घुटनों से खून नहीं निकल आयेगा और उसकी एक जोड़ी जूती नहीं टूट जाएगी तब तक वह इन्डेन्ट नहीं बनायेगा, यह दोनों व्यवस्थाएं ठीक हो जाएं तो भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है तो क्या माननीय मंत्री जी इन्डेन्ट बनाने के लिए अगर किसान को दरख्वास्त देता है तो उस बात को माना जाएगा या नहीं वह रिपोर्ट मानी जाएगी या नहीं ? यही मैं जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अभी आपने कहा है कि ट्रांसफार्मर चोरी होने पर एफ0आई0आर0 दर्ज कराने के निर्देश दिये हैं, उसी को सिरोही जी पूछना चाहते हैं कि चोरी के संदर्भ में जो मुकदमें दर्ज नहीं हो रहे थे क्या अब मुकदमें दर्ज होंगे ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, इस तरह की स्थिति 2-3 महीने पहले रही होगी, दो-तीन महीने पहले की पीड़ा होगी, यह मेरी भी पीड़ा थी, तमाम माननीय सदस्य बैठे हैं उनकी भी पीड़ा रही होगी, रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी और लोग जे0ई0 और एस0डी0ओ0 के पीछे घूमते रहते थे। हमारी सरकार बनने के बाद डी0जी0पी0 के माध्यम से समस्त जिलों के एस0एस0पी0 व एस0पी0 को निर्देश दिये गये हैं कि तत्काल रिपोर्ट लिखें और कार्यवाही करें। अधिशासी अभियन्ता को कहा गया है कि ट्रांसफार्मर या तार की चोरी हो गयी है तो सम्बन्धित अधिकारी को बतायें और तत्काल रिपोर्ट करें और उसे बदलने की व ठीक करने की व्यवस्था करें। हम समय-समय पर जहां पर भी जा रहे हैं डी0एम0 और एस0पी0 से कह रहे हैं कि हमारे विभाग की जो चोरियां हो रही हैं उस पर सख्त कार्यवाही करें।

**प्रदेश के नगरों में बिजली चोरी रोकने की कार्य योजना**

*7-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरों में बिजली की चोरी रोकने के लिए सरकार कोई कार्य योजना बना रही है ?, यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

विद्युत चोरी रोकने हेतु उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में तैनात प्रवर्तन दलों एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा समय-समय पर छापे मारे जाते हैं एवं विशेष चेकिंग की जाती है। दिनांक 1-6-2007 से 30-6-2007 तक प्रदेश भर में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इसके अंतर्गत सभी बड़े उपभोक्ताओं के यहां डबल मीटरिंग किये जाने एवं एरियल इन्सूलेटेड बन्च कण्डक्टर का प्रयोग करके कटिया द्वारा विद्युत चोरी किये जाने को रोकने की योजना है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विद्युत की चोरी रोकने के लिए आपने कई उपाय सुझाये है उसमें से एक उपाय एरियल इन्सूलेटेड बन्च कण्डक्टर का प्रयोग करके कटिया द्वारा विद्युत चोरी किये जाने को रोकने की भी है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह योजना लखनऊ महानगर में कब से लागू करेंगे और यह योजना केवल नगरों के लिए है या गांवों के लिए भी है।

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, जहां ज्यादा चोरियां हो रहीं थी या घनी आबादी है, अभी वहीं पर इस योजना को शुरू किया है और धीरे-धीरे इसको बढ़ा रहे हैं।

श्री इकबाल महमूद-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि बिजली का उत्पादन कम है और खपत ज्यादा है, इसके साथ ही चोरी भी हो रही है। सरकार जितने काम कर रही है, रिपोर्ट लिखवा रही है वहीं पर अधिशासी अभियन्ता को निर्देश दिये गये हैं, उनको जिम्मेदारी सौंपी गयी है कि एफ0आई0आर0 लिखवाइये और सक्रिय रोल अदा कीजिये। उनको टारगेट भी दे दिया गया है। इसके पीछे उत्पीड़न हो रहा है और जबरदस्ती एफ0आई0आर0 लिखी जा रही है। मान्यवर, मैं बताना चाहूंगा कि जनपद मुरादाबाद में सिरसी एक जगह है वहां पर कोल्ड स्टोरेज की जांच की गयी, कोई अनियमितता नहीं पायी गयी लेकिन एफ0आई0आर0 लिखा दी गयी, जुर्माने की बात कही गयी, शमन शुल्क में 32 लाख रुपया जमा करने की बात कही गयी, 40 लाख जुर्माना हो गया। मैं कह रहा हूं कि इसकी जांच करवा ली जाए। विद्युत विभाग के मुख्य अभियन्ता श्री के0बी0 लाल ने कहा है कि मीटर की सील टूटना बिजली की चोरी नहीं है, तीन महीने के अन्दर हम उसकी जांच करायेंगे और सही पाये जाने पर दण्डित करेंगे। जो प्रकरण मैंने यहां उठाया उसमें यह बात लिखी है कि मीटर में मोयस्चर मिला है। क्या उस जगह की दुबारा जांच करायेंगे तथा जो एफ0आई0आर0 दर्ज हुई है उसे तब तक रोके रखेंगे जब तक उसकी जांच पूरी नहीं हो जायेगी ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

अध्यक्ष जी बहुत बड़े पैमाने पर कोल्ड स्टोरेज और आइस फैक्ट्रियों में बिजली की चोरी की जा रही है इसको रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अगर मीटर की सील टूटी पाई जाती है तो वह बिजली की चोरी मानी जाएगी।

श्री इकबाल महमूद-

तब तक कोई कार्यवाही रुकवा दें। मीटर में मोयेस्चर था।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी जांच करवा लेंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

मंत्री जी इसको गम्भीरता से दिखवा लेंगे।

(कुछ सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह प्रवर्तन दल जांच के लिए जाता है तो जिस तरह से रेलवे और परिवहन में जांच दल का केस रिकार्ड किया जाता है उसी तरह से इनका भी केस रिकार्ड किया जाना चाहिए, क्योंकि जब यह जांच के बाद लौटते हैं तो इनकी जेबें नोटों और चेकों से भरी रहती हैं क्या केस रिकार्ड की व्यवस्था विभाग में लागू की जाएगी। मेरा दूसरा प्रश्न है जब सभी महानगरों को 20 घण्टे बिजली दी जा रही है तो झांसी भी महानगर है झांसी को 20 घण्टे बिजली क्यों नहीं दी जा रही है ? झांसी को भी 20 घण्टे बिजली मिलनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी जैन साहब ने दो प्रश्न किए हैं पहला क्या प्रवर्तन दल के केस रिकार्ड की व्यवस्था की जाएगी दूसरा झांसी महानगर को भी 20 घण्टे बिजली दी जाएगी।

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री अम्बिका चौधरी-

जो प्रश्न सदस्य ने उठाया है जब तक जांच हो रही है तब तक कार्यवाही रोक दीजिए जांच के बाद कार्यवाही करें।

(अनेक सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

महाना जी, आप बैठ जाएं जैन साहब ने प्रश्न किया है उसका उत्तर आ जाने दें।

श्री संतोष महाना-

माननीय अध्यक्ष जी आपको अनुभव है कि विभाग के अधिकारी स्वयं चोरी करवाते हैं तो विभाग के द्वारा छापे मारने का क्या औचित्य है। विभागीय अधिकारियों के अलावा दूसरे लोगों द्वारा छापे डलवाए जाएं। विभागीय अधिकारी जब छापा मारेंगे तो विभागीय अधिकारियों द्वारा करोड़ों जा रही चोरी को कौन पकड़ेगा।

श्री रामवीर उपाध्याय-

जो सदस्य ने एक विशेष कोल्ड स्टोरेज की बात की है मैं बता दूं कि प्रवर्तन दल में एक डिप्टी एस0पी0 होता है, इंस्पेक्टर होता है, एस0डी0ओ0 होता है, जे0ई0 और वरिष्ट अधिकारी चीफ इंजीनियर तक जाते हैं चेकिंग के लिए सदस्य ने जो बात कही अगर कोई ज्यादती हुई है तो मैं वरिष्ट अधिकारियों की टीम भेजकर कल तक इसकी जांच करवा लूंगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री गौरीशंकर एडवोकेट-

मान्यवर, सेक्रेटेरिएट तक में बिजली नहीं आती है।

## अतारांकित प्रश्न

**प्रदेश को उत्तम प्रदेश बताने सम्बन्धी विज्ञापनों के प्रसारण पर व्यय की गयी धनराशि का विवरण**

1-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बताने सम्बन्धी विज्ञापनों के प्रसारण टी0वी0 चैनलों व समाचार-पत्रों के माध्यम से 2005-2007 में कराया गया था ? यदि हां, तो उस पर वर्ष 2005-2006 व 2006-2007 में प्रदेश सरकार द्वारा कितना-कितना धन व्यय किया गया और उक्त विज्ञापन करने वाले टी0वी0 कलाकारों को कितना-कितना भुगतान किया गया ?

मुख्य मंत्री (कुमारी मायावती)-

जी हां।

वर्ष 2005-2006 में रु0 90,000/-

वर्ष 2006-2007 में रु0 2,31,06,351/- व्यय हुआ।

टी0वी0 कलाकारों को कोई भुगतान नहीं किया गया।

**जनपद सिद्धार्थनगर में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत उस्का बाजार में 33 के0वी0ए0 उपकेन्द्र के निर्माण की मांग**

2-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत जनपद-सिद्धार्थनगर के ब्लाक मुख्यालय उस्का बाजार पर 33 के0वी0ए0 के विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो उस्का बाजार में 33 के0वी0ए0 के उपकेन्द्र का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

नोट :-तारांकित प्रश्न संख्या-7 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी नहीं।

उपकेन्द्र के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जनपद सिद्धार्थनगर के मुख्यालय उस्का बाजार की विद्युत आपूर्ति हेतु तकनीकी दृष्टि से उस्का बाजार में 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र के निर्माण की आवश्यकता नहीं है।

**जनपद प्रतापगढ़ के सहायक वन संरक्षक प्रभागीय निदेशक के विरुद्ध प्राप्त शिकायती-पत्र**

3-श्री गजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के सहायक वन संरक्षक प्रभागीय निदेशक तथा अन्य के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र के सम्बन्ध में मा0 मुख्य मंत्री जी का पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम-1069-25/04, दिनांक 11-8-04 प्रमुख सचिव, वन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन एवं जन्तु उद्यान राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री फतेह बहादुर सिंह)-

जी हां। प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें मुख्यतः श्री प्रभंश सिंह, वन क्षेत्राधिकारी, पट्टी एवं श्री डी0 पी0 मिश्रा, सहायक वन संरक्षक, प्रतापगढ़ के विरुद्ध शिकायत की गयी थी।

शिकायतों की जांच कराई गई। जांच से शिकायतें सिद्ध नहीं पायी गयीं।

4-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

[ 3सरे गुरुवार के अता0 प्र0 सं0-22 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ]

**प्रदेश में 50 अरब रुपये के बिजली घोटाले के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायती-पत्र पर कार्यवाही की जानकारी**

5-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि रुपये 50 अरब के बिजली घोटाले में अधिसूचना जारी करने विषयक विशेष कार्याधिकारी मुख्य सचिव, उ0 प्र0 का पत्र संख्या 3416/पीएस एम एस/2007, दिनांक 17-5-2007 जोकि प्रमुख सचिव (गृह) एवं प्रमुख सचिव (ऊर्जा) को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अधिसूचना कब तक जारी कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

क्योंकि केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच के लिए इसी प्रकरण पर पूर्व प्रेषित अनुरोध भारत सरकार द्वारा अस्वीकार करते हुये अपने पत्र दिनांक 21-10-2003 द्वारा अवगत कराया गया है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराये जाने की आवश्यकता नहीं है, अतः उक्त के परिप्रेक्ष्य में

विशेष कार्याधिकारी मुख्य सचिव उ0 प्र0 के पत्र दिनांक 17-5-2007 के साथ प्राप्त मा0 सांसद जी का पत्र विचारार्थान है।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश में जल विद्युत निगम लि0 में घोटाला**

6-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0 में रुपये 9.00 करोड़ के घोटाले विषयक सचिव (ऊर्जा) उत्तर प्रदेश शासन की जांच रिपोर्ट दिनांक 16-10-2006 एवं 8-11-2006 पर अब तक कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

कार्यवाही प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद सोनभद्र के जल विद्युत गृह पिपरी में लगी आग की जांच विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी**

7-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0 के अन्तर्गत रिहन्द जल विद्युत गृह पिपरी, सोनभद्र में लगी आग की जांच कराने विषयक माननीय भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 20-11-2006 जोकि प्रमुख सचिव (मुख्य मंत्री) एवं अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

सम्पूर्ण प्रकरण की जांच केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा की जा रही है। जांच आख्या प्रतीक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश की ट्रेड यूनियन पदाधिकारियों पर जानलेवा हमले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही**

8-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मा0 भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 2-6-2007 जोकि मा0 मुख्य मंत्री को सम्बोधित है जो ट्रेड यूनियन पदाधिकारियों पर जानलेवा हमला एवं विभागीय सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने वाले लोगों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने सम्बन्धी है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

प्रकरण की जांच पड़ताल की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद-लखनऊ के चिनहट में स्थित ममता पब्लिक स्कूल में दुर्घटना को दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त विद्युत पोल लगाये जाने की मांग**

9-श्री भगेलू राम-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखनऊ के सरस्वती बिहार (कमता) चिनहट में स्थित ममता पब्लिक स्कूल में बिजली का पोल स्कूल से लगभग 200 मीटर की दूरी पर स्थित है, जिससे आंधी तूफान आने पर दुर्घटना की आशंका बनी रहती है ? उक्त स्थान पर अतिरिक्त विद्युत पोल लगाने के सम्बन्ध में त्रिवेणी प्रसाद त्रिपाठी, एडवोकेट द्वारा अधिशासी अभियन्ता, गोमती नगर में स्वीकृति पैकेज पत्रांक 159/एस-आई/ 02-03 डी0जी0एम0 व जी0 एम0 लेसा के यहां विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त पोल कब तक लगा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

जी हां।

प्रश्नगत कार्य करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद प्रतापगढ़ के कतिपय ब्लाकों के गांवों में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत स्वीकृत विद्युतीकरण का कार्य**

10-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के ब्लाक मंगरौरा, आसपुर देवसरा, पट्टी के किन-किन ग्रामों का विद्युतीकरण राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है ? उनमें से किन-किन ग्रामों का कार्य पूर्ण हो गया है तथा किन-किन ग्रामों का कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किया गया है ? जिन ग्रामों का विद्युतीकरण कार्य पूर्ण है उनमें विद्युत आपूर्ति कब तक सुनिश्चित करा दी जायेगी ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद प्रतापगढ़ जिला समन्वय समिति द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत ब्लाक मंगरौरा, आसपुर देवसरा, पट्टी क्षेत्र के 86 ग्रामों का चयन किया गया है, जिनका विवरण संलग्नक "क", "ख", "ग" में अवलोकनीय है।

प्रश्नगत चयनित ग्रामों में से 4 ग्राम पूर्व से विद्युतीकृत हैं, जिनका विवरण संलग्नक-क में अवलोकनीय है। 69 ग्रामों का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत पूर्ण हो चुका है। जिनका विवरण संलग्नक-ख में अवलोकनीय है। 13 ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है, जो शीघ्र ही पूर्ण हो जायेगा। जिनका विवरण संलग्नक-ग में अवलोकनीय है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की गुणवत्ता परीक्षण मेसर्स राइट्स कम्पनी द्वारा की जा रही है एवं ऊर्जीकरण हेतु ग्रामों का निरीक्षण विद्युत सुरक्षा निदेशालय के प्रतिनिधि द्वारा की जा रही है, निरीक्षणोपरान्त ग्रामों को ऊर्जीकृत कर दिया जायेगा।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 106 पर।)

**जनपद प्रतापगढ़ के कतिपय ग्रामों में लो वोल्टेज की समस्या के निराकरण के उपाय**

11-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के विकास खण्ड आसपुर देवसरा की ग्राम सभा भनईपुर इण्टर कालेज के पास महुली, रसूलपुर हैदरपुर, मानापुर, रामगंज, विनयका तथा ब्लाक पट्टी के ग्राम परसद, थनेपुर गोपापुर, पंजासराय गुलामी, अन्तपुर, धूती, ढिंढुई तथा ब्लाक मंगरौरा की ग्राम सभा सूर्यगढ़ जगन्नाथ, अतरसन, गंगेहटी, चंदुआडीह, सराय रजई में लो वोल्टेज की समस्या के निराकरण हेतु 100 के0वी0 से 250 के0वी0 क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद प्रतापगढ़ के ग्रामों में लो-वोल्टेज की समस्या परिवर्तक के अतिभारित होने के कारण नहीं है बल्कि लो-वोल्टेज की समस्या पट्टी क्षेत्र में 33 के0वी0 लाइन की लम्बाई अधिक होने के कारण है। इसका स्थायी समाधान हेतु पट्टी में 132 के0वी0 उपकेन्द्र का निर्माण पूर्ण है एवं इसके लाइन का कार्य प्रगति पर है। 132 के0वी0 उपकेन्द्र से पट्टी क्षेत्र के विद्युत आपूर्ति के उपरान्त लो-वोल्टेज की समस्या स्वतः समाप्त हो जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**नगला वीर सहाय जनपद हाथरस पर स्वीकृत विद्युत उपकेन्द्र हेतु स्वीकृत धनराशि का विवरण**

12-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-हाथरस में नगला वीर सहाय पर 32 के0वी0ए0 का विद्युत उपकेन्द्र स्वीकृत है ? यदि हां, तो उक्त विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना के लिए स्वीकृत धन अवमुक्त करा दिया गया है ? यदि हां, तो कब और कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

नगला वीर सहाय जनपद हाथरस पर 33 के0वी0 का विद्युत उपकेन्द्र स्वीकृत है।

रुपये 147.26 लाख की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

जनपद स्कन्ध द्वारा जनपदीय कार्य का भुगतान रु0 7,50,372.89 सम्बन्धित संविदाकार को माह जून, 2005 में किया जा चुका है। जैसे-जैसे कार्य पूरा होता जाता है रनिंग भुगतान होता रहता है।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश में ओवर लोडिंग से सड़कों की बिगड़ती स्थिति की रोक थाम हेतु उपाय**

13-श्री उदयभान करवरिया-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ओवर लोडिंग के कारण प्रदेश की सड़कों की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए क्या इस पर रोक लगाने हेतु कोई कदम सरकार द्वारा उठाया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम अचल राजभर-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद मैनपुरी में सब स्टेशन का निर्माण एवं इसमें 50 मेगावाट प्रति लाइन विद्युत आपूर्ति की मांग**

14-श्री अशोक सिंह चौहान-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद-मैनपुरी में पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड का सब स्टेशन बन चुका है ? यदि हां, तो पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड सब स्टेशन से निकलने वाली दो लाइनें जो 200 के0वी0 सब स्टेशन, मैनपुरी से जुड़ती हैं, प्रत्येक लाइन को अनुबन्ध के अनुसार 50 मेगावाट प्रति लाइन विद्युत आपूर्ति की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

अनुबन्ध के अनुसार विद्युत प्राप्त हो रही है।

**जल विद्युत उत्पादन खण्ड माता टीला, ललितपुर की डी0पी0आर0 रजिस्टर गायब करने की सी0बी0आई0 जांच विषयक पत्र**

15-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0 के अन्तर्गत अधिकारियों द्वारा विद्युत उत्पादन खण्ड माता टीला, ललितपुर की डी0पी0आर0 रजिस्टर गायब करने की सी0बी0आई0 जांच विषयक उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर महासंघ का पत्र दिनांक

15-5-2007 जोकि मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश, प्रबन्ध निदेशक यू0पी0पी0सी0एल0 एवं निदेशक (वित्त)/(तकनीकी), उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0 को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

इस प्रकरण में पूर्व में जांच हो चुकी थी। प्रकरण की जांच श्री सुनील कुमार, अधीक्षण अभियन्ता, पिपरी की अध्यक्षता में जांच समिति द्वारा की गयी। समिति द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या के अनुसार श्री सतीश कुमार त्रिपाठी, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता को एल0ओ0आई0 निरस्त न करने के कारण दोषी पाया गया एवं फर्म द्वारा कार्य कराये बिना भुगतान की मांग करने का दोषी पाया गया।

फर्म को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है एवं श्री सतीश कुमार त्रिपाठी को दण्ड देने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

**उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर संघ के कर्मचारियों की समस्याओं विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की मांग**

16-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू0पी0 पावर कारपोरेशन लि0 उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 एवं उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 के अन्तर्गत कर्मचारियों की समस्याओं एवं विभिन्न नीतिगत मामलों का समाधान विषयक उ0 प्र0 विद्युत मजदूर संघ सम्बद्ध भारतीय मजदूर संघ का पत्र दिनांक 21-12-2006 एवं वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, यू0 पी0 पी0 सी0 एल0 का पत्र संख्या-1142/औस/ 2007-74-ए0एस0/96, दिनांक 4-4-2007 जोकि महाप्रबन्धक (का0प्र0-3) यू0पी0पी0सी0एल0 एवं महाप्रबन्धक (मानव संसाधन) उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो बिन्दुवार स्थिति क्या है तथा शासन के आदेशों का अनुपालन न करने के क्या कारण रहे ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

मांग-पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही प्रगति पर है।

**प्रदेश में विद्युत कटौती से मुक्त जनपदों का विवरण एवं शाहजहांपुर को विद्युत कटौती से मुक्त करने की मांग**

17-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कितने जिले विद्युत कटौती से मुक्त हैं तथा उन्हें किन-किन कारणों से कटौती मुक्त किया गया है ? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि

शाहजहांपुर जनपद में प्रदेश द्वारा निर्धारित घण्टों में विद्युत आपूर्ति नहीं की जा रही है ? क्या सरकार शाहजहांपुर को विद्युत कटौती से मुक्त करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गम्भीर उपाध्याय-

मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में ताज ट्रिपेजियम क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले जनपद आगरा, जनपद मथुरा, जनपद फिरोजाबाद, जनपद हाथरस एवं जनपद एटा के क्षेत्रों को विद्युत कटौती से मुक्त रखा गया है। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु धार्मिक पर्व एवं विशेष आयोजनों पर एवं क्षेत्र के पिछड़ेपन के आधार पर अन्य जनपदों को पूर्णतः या आंशिक रूप से भी समय-समय पर आवश्यकता के अनुसार मुक्त किया जाता है।

निर्धारित विद्युत आपूर्ति कराये जाने के यथासम्भव प्रयास किये जाते हैं परन्तु विद्युत की मांग के सापेक्ष विद्युत की उपलब्धता में अत्याधिक अन्तर हो जाने के कारण आवश्यकता पड़ने पर प्रणाली की सुरक्षा हेतु आपात कटौती कराना अपरिहार्य हो जाता है।

जी नहीं।

विद्युत की मांग के सापेक्ष विद्युत की उपलब्धता में कमी होने के कारण सम्भव नहीं है।

**जनपद बांदा में वर्ष 2005-2006 में वृक्षारोपण एवं ब्रिक गार्ड के निर्माण मानक के विपरीत होने की जांच**

18-श्री विश्म्भर प्रसाद निषाद-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बांदा में एक करोड़ 52 लाख रु0 वृक्षारोपण, ब्रिक गार्ड का निर्माण एवं अन्य कार्यों हेतु वर्ष 2005-2006 में प्रभागीय वनाधिकारी, बांदा को प्रदान किये गये थे ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त कार्य मानक के विपरीत कराये गये तथा फर्जी बिल बाउचरों का भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फतेह बहादुर सिंह-

जी हां।

जांच प्रचलित है। जांच आख्या में प्राप्त तथ्यों के आधार पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद बांदा में राज्य वित्त आयोग द्वारा स्वीकृत कार्यों को पूर्ण कराने की मांग**

19-श्री विश्म्भर प्रसाद निषाद-

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-बांदा में वर्ष 2004-05 व 2005-06 में जिला पंचायत, बांदा द्वारा राज्य वित्त आयोग से कुल कितने कार्य स्वीकृत हुए थे तथा कितने

कार्य पूर्ण हुए तथा कितने कार्य अधूरे हैं ? अधूरे कार्यों को कब तक पूरा करा लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज्य मंत्री (श्री बाबू सिंह कुशवाहा)-

जनपद बांदा में वर्ष 2004-05 व 2005-06 में जिला पंचायत, बांदा द्वारा राज्य वित्त आयोग से क्रमशः 107 व 35 कुल 142 कार्य स्वीकृत हुए थे। वर्ष 2004-05 के 107 स्वीकृत कार्यों में से 106 कार्य पूर्ण हो गये हैं तथा 01 कार्य ग्राम झंझरी पुरवा में सी0सी0 रोड का अधूरा है। वर्ष 2005-06 के 35 स्वीकृत कार्यों में से 33 पर टेण्डर प्राप्त हुए थे, जिनमें से 27 कार्य पूर्ण हो गये हैं तथा 6 कार्य अधूरे हैं।

अधूरे कार्यों को 02 माह के अन्दर पूरा करा लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

**उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम व पावर कारपोरेशन में बिना स्वीकृत पदों के उप महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक के पदों पर तैनाती के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही**

20-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 एवं यू0पी0 पावर कारपोरेशन लि0 के मुख्य अभियन्ता (परि0 एवं अनु0) का पत्र संख्या-19/8(13)(का0प्र0)/2005, दिनांक 17-1-2007 जोकि सचिव (ऊर्जा) को सम्बोधित है एवं श्री नन्द लाल जायसवाल, महामंत्री उ0 प्र0 विद्युत मजदूर संघ सम्बद्ध भारतीय मजदूर संघ का पत्र दिनांक 13-5-2007, 18-5-2007 एवं 2-6-2007 जोकि माननीय मुख्य मंत्री, ऊर्जा मंत्री, अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0पी0सी0एल0 एवं निदेशक (वित्त) एवं निदेशक (तकनीकी), उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 को सम्बोधित है और जो बिना स्वीकृत पदों के उप महाप्रबन्धक/ महाप्रबन्धक के पदों पर तैनाती विषयक है, प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

श्री एम0 बी0 पवार के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु विधिक राय प्राप्त की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

**उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम में करोड़ों का घोटाला विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही**

21-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 में करोड़ों के घपले विषयक आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ का पत्र संख्या-2985/30-7(06-07) दिनांक 21-5-2007

जोकि प्रमुख सचिव (ऊर्जा) को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

कार्यवाही प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

**अधिशासी अभियन्ता विद्युत उत्पादन खण्ड माता टीला द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की सी0बी0आई0 जांच**

22-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 के अधिशासी अभियन्ता विद्युत उत्पादन खण्ड माता टीला, ललितपुर द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की सी0बी0आई0 जांच विषयक श्री नन्द लाल जायसवाल, महामंत्री, उ0 प्र0 विद्युत मजदूर संघ एवं उ0 प्र0 विद्युत मजदूर महासंघ का पत्र दिनांक 29-5-2007 एवं 1-6-2007 जोकि प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 एवं उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

श्री एस0सी0 बुनकर, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत उत्पादन खण्ड, माता टीला से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद सिद्धार्थनगर में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अन्तर्गत आच्छादित गांवों के सम्बन्ध में जानकारी**

23-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद-सिद्धार्थनगर में कितने गांव, टोले, पुरवे अभी तक राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत आच्छादित नहीं हुए हैं ? क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त गांवों, टोलों, पुरवों में कब तक उक्त योजनान्तर्गत विद्युतीकरण कर दिया जायेगा ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के प्रथम चरण में जिला स्तरीय विद्युत समिति के अनुमोदन के आधार पर 1068 अविद्युतीकृत ग्रामों को आच्छादित किया गया है, जिनमें से माह

मई, 2007 तक 879 ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। इस प्रकार 189 ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य शेष है। योजना के द्वितीय चरण में जनपद के 800 टोले, पुरवे आच्छादित किये जायेंगे।

योजना में समस्त अविद्युतीकृत ग्रामों का मेसर्स आर0ई0सी0 से धन प्राप्ति की शर्त के अधीन शीघ्र ही विद्युतीकरण पूर्ण करने का लक्ष्य है। योजना के द्वितीय चरण में टोलों, पुरवों के विद्युतीकरण हेतु डी0पी0आर0 प्रेषण का कार्य प्रगति पर है। डी0पी0आर0 की स्वीकृति तथा धन प्राप्ति पर विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा।

**जनपद शाहजहांपुर में ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत गलियों तथा बस्तियों में विद्युत के खम्भों व तार की व्यवस्था कराये जाने की मांग**

24-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि शाहजहांपुर में ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत विद्युत के तार एवं खम्भे बदले जा रहे हैं ? क्या मा0 मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि जिस क्षेत्र में यह योजना लागू है वहां बहुत सी गलियां तथा बस्तियां विद्युत के खम्भे न होने से विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में खम्भे व तार की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

एल0टी0 लाइनों का विस्तार योजनागत कार्य नहीं है। उपभोक्ता द्वारा नये कनेक्शन हेतु आवेदन करने पर निर्धारित प्रक्रियानुसार खण्ड स्तर पर खम्भे-तार लगाने एवं नया कनेक्शन देने का कार्य कराया जाता है।

25-श्री आलोक कुमार शाक्य-

[4थे गुरुवार के अता0प्र0सं0-5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ]

**जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मंगरौरा व आसपुर देवसरा के ग्राम कान्धरपुर तथा आसपुर देवसरा में बल्लभ भाई पटेल व पृथ्वी राज चौहान की मूर्ति लगाये जाने विषयक विचाराधीन प्रकरण**

26-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गृह सामान्य अनुभाग-1 का पत्र सं0-वी0आई0पी0 21 जेड/6वा-1-06, दिनांक 8-5-2006 अनुस्मारक-पत्र सं0-147/1/जेड/6

सी-106, दिनांक 2-6-2006 अनुस्मारक 1659 जेड/6 सा-1-06, दिनांक 21-6-2006 एवं अनुस्मारक 1659अ जेड/06 सा-1-06, दिनांक 30-6-2006 एवं पत्र सं0-1659 व जेड/सा-1-06, दिनांक 2 अगस्त, 06 द्वारा जनपद प्रतापगढ़ विकास खण्ड मंगरौरा के ग्राम कान्धरपुर में सरदार बल्लभ भाई पटेल एवं विकास खण्ड आसपुर देवसरा के ग्राम आसपुर देवसरा में पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति (पैडस्टल सहित) निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ एवं उ0 प्र0 स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुमारी मायावती-

जी हां।

प्रकरण शासन में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद प्रतापगढ़ के आई0टी0आई0 विद्यालय के अनुदेशक श्री लालमणि रजक तथा अन्य के द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच**

27-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के आई0टी0आई0 विद्यालय में कार्यरत अनुदेशक श्री लालमणि रजक तथा अन्य के द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र ख-3/414353, दिनांक 26-7-2006 प्रमुख सचिव, श्रम को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वेदराम भाटी-

जी हां। मात्र स्थानीय राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेने की शिकायत प्राप्त हुई है।

प्रश्नगत प्रकरण में संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) कानपुर-इलाहाबाद-झांसी मण्डल के माध्यम से प्रधानाचार्य, रा0औ0प्र0 संस्थान, प्रतापगढ़ से जांच करायी गयी। जांचोपरान्त लगाया गया आरोप सिद्ध नहीं पाया गया। अतः स्थानान्तरण का औचित्य नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना अन्तर्गत कार्यदायी संस्थाओं को कई गुने अधिक रेट पर कार्य दिये जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही**

28-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि माननीय भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 5-12-2006 जोकि प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0 एवं पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 को सम्बोधित है जिसमें राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत

कार्यदायी संस्थाओं को कई गुने अधिक रेट के कार्य देने एवं घटिया कार्य विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

मा0 सांसद श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा को उनके पत्रांक दिनांक 5-12-2006 द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ एवं पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी द्वारा प्रेषित किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 में घोटाले की सी0बी0आई0 जांच विषयक पत्र**

29-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में रु0 1600 करोड़ के राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण में हुए घोटाले की सी0बी0आई0 जांच विषयक माननीय भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद एवं महामहिम राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव श्री अशोक मंगोत्रा का पत्र दिनांक 22-05-07 एवं 14-5-07 जोकि मुख्य मंत्री एवं मुख्य सचिव उ0 प्र0 को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

मा0 सांसद श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा का मा0 मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित पत्र दिनांक 22-5-2007 प्राप्त हुआ है।

मा0 सांसद श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा के पत्र में उल्लिखित शिकायती बिन्दुओं पर जांच की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

**उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लखनऊ के अधिकारियों द्वारा दूरभाष के दुरुपयोग विषयक प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी**

30-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 मुख्यालय, लखनऊ के अधिकारियों द्वारा दूरभाष के दुरुपयोग विषयक उ0 प्र0 विद्युत मजदूर महासंघ का पत्र दिनांक 8-4-2007 जो अध्यक्ष/निदेशक (वित्त) उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

श्री वी0के0 श्रीवास्तव, निजी सचिव के निवास स्थान पर दूरभाष निगम के नियमानुसार अनुमन्य कराया गया है। श्री वी0के0 श्रीवास्तव को निवास स्थान पर कोई फैक्स नहीं दिया गया है। श्री वी0के0 श्रीवास्तव को वर्तमान में केवल कम्प्यूटर प्रोत्साहन भत्ता निगम के नियमानुसार ही दिया जा रहा है। दूरभाष के दुरुपयोग का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है।

प्रश्न नहीं उठता।

**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के कर्मचारियों को तृतीय समयबद्ध वेतनमान देने विषयक प्राप्त पत्र**

31-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 का कार्यालय-ज्ञाप संख्या-315-का0नि0/पाकालि-29/2005-62पी/86 टी0सी0 दिनांक 22-6-2005 जोकि कर्मचारियों को तृतीय समयबद्ध वेतनमान देने विषयक है, का पूर्ववर्ती उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के विघटन के बाद सभी निगमों में अनुपालन हो रहा है ? यदि हां, तो किस तिथि से ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस सम्बन्ध में श्री नन्दलाल जायसवाल, महामंत्री उ0 प्र0 विद्युत मजदूर संघ का पत्र दिनांक 25-05-2007 जोकि माननीय मुख्य मंत्री/मा0 ऊर्जा मंत्री, उ0 प्र0 सरकार एवं प्रमुख सचिव (ऊर्जा)/अध्यक्ष/निदेशक (वित्त)/(तक0) उ0 प्र0 जल विद्युत निगम को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी नहीं। प्रश्नगत आदेश उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0 द्वारा अंगीकृत नहीं किया गया है।

जी हां।

प्रश्नगत आदेश उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 द्वारा अंगीकृत करने हेतु निदेशक मण्डल के विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

**लखनऊ के मध्य विधान सभा क्षेत्र के कतिपय मोहल्लों में विद्युत लाइन व ट्रान्सफारमर स्थापित करने की मांग**

32-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मध्य विधान सभा क्षेत्र लखनऊ के मोहल्ला सोनापुरम्, शीला गार्डेन, मुन्नी बिहार, पश्चिमी अशोक बिहार कालोनी एवं कनक सिटी आदि मोहल्लों में विद्युत लाइन तथा ट्रांसफारमर न होने के कारण अंधेरा बना रहता है ? यदि हां, तो सरकार उक्त मोहल्लों में विद्युत लाइन डालने तथा ट्रांसफारमर स्थापित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी नहीं।

सभी अविकसित क्षेत्र हैं एवं अवैध कालोनी बन रही है जिनका विद्युतीकरण, सीवेज, मार्ग प्रकाश, पेयजल व्यवस्था, नगर निगम/लखनऊ विकास प्राधिकरण, कालोनी बनाने वाले डेवलेपर का है। कनक सिटी क्षेत्र के आंशिक विद्युतीकरण हेतु माननीय विधायक श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी ने धन उपलब्ध कराया था तथा यह कार्य करा दिया गया है। किसी भी क्षेत्र में मार्ग प्रकाश व्यवस्था करना विभागीय दायित्व नहीं है। इन क्षेत्रों के मानचित्र स्वीकृत होने के उपरान्त धन उपलब्ध होने की दशा में कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद महाराजगंज-कुशीनगर के छोटी गण्डक के कतिपय गांवों में अवैध बालू खनन की जांच**

33-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

क्या भूतत्व एवं खनिकर्म मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महराजगंज-कुशीनगर की सीमा बनाने वाली छोटी गण्डक के महराजगंज जनपद के ओर रा0 निरीक्षण सर्किल परतावल एवं घुघली के गांव ढोकिला, तिलकपनिया, टेढ़वा, घुघली प्र0 इत्यादि गांव में बड़े पैमाने पर बिना अनुज्ञापन के बालू का खनन हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस अवैध खनन की जांच कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद हाथरस में विद्युत उप खण्डवार राजस्व प्राप्ति का विवरण एवं सादाबाद में विद्युत वितरण खण्ड मुख्यालय बनाये जाने की मांग**

34-डा0 अनिल चौधरी-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-हाथरस में पिछले तीन वर्षों में उप खण्डवार राजस्व प्राप्ति कितनी-कितनी हुई है ? प्रत्येक उपखण्ड में कार्यरत निर्माणाधीन व प्रस्तावित सब स्टेशनों की संख्या क्या है ? क्या सरकार नवसृजित विद्युत वितरण खण्ड का मुख्यालय सादाबाद में बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

| वर्ष | विद्युत वितरण खण्ड I हाथरस | | विद्युत वितरण खण्ड II हाथरस | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | उपखण्ड-I | उपखण्ड-II | उपखण्ड-I | उपखण्ड-II | उपखण्ड-III |
| 2004-05 | 707.28 | 471.52 | 803.80 | 1002.20 | 198.40 |
| 2005-06 | 607.24 | 538.16 | 821.10 | 1040.90 | 220.10 |
| 2006-07 | 866.88 | 577.92 | 1440.70 | 1531.50 | 330.40 |

| उपखण्ड का नाम | कार्यरत उपकेन्द्र | निर्माणाधीन उपकेन्द्र | प्रस्तावित उपकेन्द्र |
|---|---|---|---|
| वि0वि0ख0-I हाथरस | | | |
| उपखण्ड-I | 1 | -- | -- |
| उपखण्ड-II | 2 | -- | 2 |
| वि0वि0ख0-II हाथरस | | | |
| उपखण्ड-I | 2 | -- | 3 |
| उपखण्ड-II | 5 | -- | - |
| वि0वि0ख0-III हाथरस (31-3-07 को नवसृजित) | | | |
| उपखण्ड-I | 3 | -- | 2 |
| उपखण्ड-II | 4 | -- | -- |

नवसृजित विद्युत वितरण खण्ड-III हाथरस के क्षेत्र में सासनी एवं सिकन्दरागऊ तहसील का कार्यक्षेत्र है। भौगोलिक क्षेत्रानुसार सिकन्दरागऊ एवं सासनी क्षेत्रों की जनता/उपभोक्ताओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए इस खण्ड का मुख्यालय हाथरस रखा गया है क्योंकि हाथरस से सिकन्दरागऊ की दूरी लगभग 30 किमी0 एवं सासनी की दूरी लगभग 14 किमी0 है तथा दोनों स्थानों से वाहन सुविधा भी उपलब्ध है।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद सोनभद्र के बालू खनन क्षेत्र के पट्टे के नवीनीकरण में संरक्षण दिये जाने एवं मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन कराये जाने की मांग**

35-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या भूतत्व एवं खनिकर्म मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रमेश चन्द्र साहनी, पूर्व अध्यक्ष, 30 प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 लखनऊ का प्रार्थना-पत्र जो मा0 मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित था, और जो जनपद सोनभद्र के 41 बालू खनन क्षेत्र के पट्टे के नवीनीकरण किये जाने निषाद, बिन्द, मल्लाह को संरक्षण दिये जाने, मा0 उच्च न्यायालय के फैसले को लागू कराने एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने विषयक है प्रश्नकर्ता के पत्र सं0 486644(ख-3), दिनांक 06-6-2007 द्वारा एवं मा0 मंत्री, भूतत्व एवं खनिकर्म को पत्र सं0-486646(ख-3), दिनांक 06-6-2007 तथा सचिव, भूतत्व खनिकर्म को पत्र सं0-486645(ख-3), दिनांक 06-6-2007 भेजा गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

प्रश्न में उल्लिखित मा0 मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या-486644 (ख-3) दि0 6-6-07 प्राप्त नहीं हुआ है। शेष दो पत्र प्राप्त हुए हैं।

मा0 विधायक के दिनांक 6-6-07 के पत्र को जिलाधिकारी, सोनभद्र को मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 17-5-07 के अनुपालन में अग्रेतर कार्यवाही करने हेतु प्रेषित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

**श्री दशरथ प्रसाद चौधरी बनाम राज्य व अन्य में पारित मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन विषयक पत्र**

36-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या भूतत्व एवं खनिकर्म मंत्री को जानकारी है कि श्री जे0पी0एन0 द्विवेदी, अनु सचिव, उ0 प्र0 शासन ने जिलाधिकारी, सोनभद्र को पत्र सं0-1555/17-5-07 औद्योगिक विकास अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 25-5-07 जो एस0एल0पी0 संख्या-7127/07 दशरथ प्रसाद चौधरी बनाम राज्य व अन्य में पारित मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17-5-07 के अनुपालन विषयक था, प्रेषित किया था, यदि हां, तो पत्र के क्रम में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

जी हां।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय में दायर एस0एल0पी0 संख्या-7127/07 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 17-5-07 के अनुपालन में जिलाधिकारी, सोनभद्र द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद कानपुर की बन्द पड़ी जे0 के0 जूट मिल को चलाये जाने की मांग**

37-श्री संजीव दरियाबादी-

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर की बन्द पड़ी जे0 के0 जूट मिल को क्या सरकार चलाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वेदराम भाटी-

मेसर्स जे0 के0 जूट मिल को बी0आई0एफ0आर0 के आदेश दिनांक 05-01-2004 के माध्यम से "वाइण्ड अप" करने के आदेश पारित किए गए थे, परन्तु प्रतिष्ठान में कार्यरत श्रमिक संगठनों एवं सेवायोजकों के मध्य दिनांक 17-01-2004 को सम्पन्न आपसी समझौते में मिल को चलाने की सहमति के आधार पर ी द्वारा बी0आई0एफ0आर0 के आदेश दिनांक

05-01-2004 के विरुद्ध ए0ए0 आई0एफ0आर0 के समक्ष अपील दाखिल की गयी। ए0ए0आई0एफ0आर0 द्वारा दिनांक 05-09-2005 को सुनवाई के पश्चात् आदेश पारित करते हुए बी0आई0एफ0आर0 को मिल की बंदी के मामले में पुनर्विचार करने हेतु संदर्भित किया गया। इस सम्बन्ध में सेवायोजकों के पुनर्वासन पैकेज पर जांच/सुनवाई कर आख्या देने हेतु बी0आई0एफ0आर0 द्वारा आपरेटिंग एजेन्सी पंजाब नेशनल बैंक को निर्देशित किया गया आपरेटिंग एजेन्सी द्वारा प्रकरण में आख्या बी0आई0एफ0आर0 को दिनांक 11-3-2006 को प्रस्तुत कर दी गयी है, किन्तु बी0आई0एफ0आर0 द्वारा आख्या के परिप्रेक्ष्य में इस पर अन्तिम आदेश पारित नहीं किए गए हैं। प्रतिष्ठान में उत्पादन कार्य प्रारम्भ किए जाने के उद्देश्य से अधिसूचना सं0-217/36-2-05-76(एसएम)/93 दिनांक 14-5-2005 को एक वर्ष के लिए एवं पुनः अधिसूचना सं0-1068/36-2-06-8(एसएम)/92 दिनांक 07-08-2006 को एक वर्ष के लिए "सहायता उपक्रम" घोषित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

**कानपुर नगर को प्रतिदिन निर्धारित विद्युत आपूर्ति**

38-श्री संजीव दरियाबादी-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि कानपुर नगर को वर्तमान में 8 से 10 घण्टे ही बिजली मिल रही है ? क्या सरकार कानपुर नगर को नियमित रूप से 20 घण्टे बिजली दिलाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी नहीं। कानपुर नगर को आपात कालीन कटौती को छोड़कर प्रतिदिन 20 घण्टे की विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

ग्रिड की स्थिति के अनुसार निर्धारित विद्युत की आपूर्ति करायी जाती है।

**लखनऊ की राजकीय कालोनी बादशाहनगर में विद्युत समस्या दूर करने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही**

39-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 29 मार्च, 2006 को डा0 रमेश चन्द्र विन्द द्वारा नियम 301 के अन्तर्गत दी गयी सूचना जो राजकीय कालोनी बादशाहनगर, लखनऊ में विद्युत समस्या को दूर किये जाने के सम्बन्ध में थी, पर मा0 ऊर्जा मंत्री द्वारा मा0 सदस्य को भेजे गये पत्र (ऊर्जा अनुभाग-1) में 11/0.4 के0वी0 400 के0वी0ए0 उपकेन्द्र के निर्माण हेतु रु0 7.50 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने के निर्देश दे दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या उपकेन्द्र का निर्माण करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उपकेन्द्र का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

उपकेन्द्र का निर्माणाधीन कार्य पूर्ण करा दिया गया है।

**जनपद सुल्तानपुर के श्री नकछेद पुत्र श्री प्रसाद ग्राम प्रधान अचलपुर विकास खण्ड जामों के शिकायती-पत्र पर कार्यवाही की जानकारी**

40-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, सुल्तानपुर, उप जिलाधिकारी, गौरीगंज सुल्तानपुर को सम्बोधित नकछेद पुत्र प्रसाद ग्राम प्रधान अचलपुर ब्लाक जामों सुल्तानपुर का शिकायती-पत्र दिनांक 15-1-07 पर पत्रांक 379 आ-वी/07, दिनांक 20 जनवरी, 07 द्वारा उप जिलाधिकारी, गौरीगंज में स्वयं उपस्थित होकर प्रधान से स्पष्टीकरण मांगा था ? यदि हां, तो क्या प्रधान द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण सन्तोषजनक पाया गया ? यदि नहीं, तो प्रधान के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

जी हां। श्री नकछेद पुत्र श्री प्रसाद, ग्राम प्रधान, अचलपुर विकास खण्ड जामों, सुल्तानपुर से स्पष्टीकरण मांगा गया था।

सम्बन्धित ग्राम प्रधान का स्पष्टीकरण अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। ग्राम प्रधान से स्पष्टीकरण प्राप्त कर उपलब्ध कराने हेतु खण्ड विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया है।

सम्प्रति प्रश्न नहीं उठता।

41-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[ दूसरे सोम0 के अता0प्र0सं0-60 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ]

**उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0 के राज्य कर्मियों की अनियमित नियुक्ति की जांच कराने विषयक पत्र**

42-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0 के अन्तर्गत राज्य कर्मियों की अनियमित नियुक्ति की जांच कराने विषयक माननीय भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 08-04-2007 जो कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

प्रकरण परीक्षणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद बागपत तथा मेरठ के किसानों को सामान्य योजनान्तर्गत जारी विद्युत कनेक्शनों का विवरण**

43-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत तथा मेरठ में किसानों को सामान्य योजना के अन्तर्गत वर्ष 2006-2007 में कितने विद्युत कनेक्शन जारी किये गये तथा वर्ष 2007-2008 में किसानों को सामान्य योजना के अन्तर्गत कितने विद्युत कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है ? क्या सरकार विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

वर्ष 2006-07 में जनपद बागपत एवं मेरठ हेतु क्रमशः 231 एवं 148 निजी नलकूप कनेक्शन सामान्य योजना के अन्तर्गत निर्गत करने के लक्ष्य निर्धारित किये गये थे जिनके विरुद्ध शत-प्रतिशत संयोजन निर्गत कर दिये गये हैं।

वर्ष 2007-08 में सामान्य योजना के अन्तर्गत निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण हेतु धनराशि की उपलब्धता के अनुसार जनपदवार लक्ष्य निर्धारित किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद कौशाम्बी में यमुना नदी जोन सं0-9/22 का गलत पट्टा दिये जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही**

44-श्री उदयभान करवरिया-

क्या भूतत्व एवं खनिकर्म मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कौशाम्बी में यमुना नदी जोन सं0 9/22 का गलत पट्टा किये जाने के सम्बन्ध में औद्योगिक विकास-5 के अर्द्धशासकीय प0 सं0 5887/77-5-05-802/04, दिनांक 17 मार्च, 2006 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में किन-किन अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

प्रश्न में उल्लिखित शासन के पत्र दिनांक 17-3-06 के संदर्भ में जिलाधिकारी, कौशाम्बी द्वारा दिनांक 3-1-06 को त्रिसदस्यीय जांच दल गठित करते हुए जांच करायी गयी, जिसमें प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म, क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद, प्रभारी खनिज अधिकारी, कौशाम्बी एवं अपर जिलाधिकारी (वि0रा0) कौशाम्बी थे। जांच समिति की आख्या दिनांक 02-12-06 के आधार पर खनन सहायक श्री धर्मराज, प्राविधिक सहायक (भूविज्ञान) श्री प्रकाश लाल, जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी) श्री शिवसेवक राम द्विवेदी एवं प्रभारी अधिकारी, खनिज/अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) श्री पुष्पपति सक्सेना को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया। उक्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु उनके नियुक्ति प्राधिकारियों को शासन के पत्र दिनांक 02 जुलाई,

2007 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है। जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी) श्री शिवसेवक राम द्विवेदी के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु प्रमुख सचिव, न्याय को भेजा गया है।

इसके अतिरिक्त तत्कालीन जिलाधिकारी की संलिप्तता के बारे में भी जांच कराकर संस्तुति सहित आख्या आयुक्त इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद से मांगी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद कौशाम्बी के खान लिपिक श्री धर्मराज के विरुद्ध गलत तरीके से खनन पट्टा दिये जाने विषयक जांच**

45-श्री उदयभान करवरिया-

क्या भूतत्व एवं खनिकर्म मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र संख्या सी0 एम0/वि0को0/ एम0-106846 दिनांक 10-8-2004 जो जिला कौशाम्बी के खान लिपिक श्री धर्मराज के विरुद्ध गलत तरीके से खनन पट्टा दिये जाने विषयक चल रही जांच की आख्या प्रस्तुत करने विषयक है प्रमुख सचिव/सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री बाबू सिंह कुशवाहा-**

जी हां।

प्रश्न में उल्लिखित मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्र दिनांक 10-8-04 के संदर्भ में जिलाधिकारी, कौशाम्बी को जांच हेतु कहा गया जिलाधिकारी, कौशाम्बी द्वारा दिनांक 3-1-06 को त्रिसदस्यीय जांच दल गठित करते हुए जांच करायी गयी, जिसमें प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म, क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद, प्रभारी खनिज अधिकारी, कौशाम्बी एवं अपर जिलाधिकारी (वि0रा0) कौशाम्बी थे। जांच समिति की आख्या दिनांक 02-12-06 के आधार पर खनन सहायक श्री धर्मराज, प्राविधिक सहायक (भूविज्ञान) श्री प्रकाश लाल, जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी) श्री शिवसेवक राम द्विवेदी एवं प्रभारी अधिकारी, खनिज/अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) श्री पुष्यपति सक्सेना को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया। उक्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु उनके नियुक्ति प्राधिकारियों को शासन के पत्र दिनांक 02 जुलाई, 2007 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है। जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी) श्री शिवसेवक राम द्विवेदी के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु प्रमुख सचिव, न्याय को भेजा गया है।

इसके अतिरिक्त तत्कालीन जिलाधिकारी की संलिप्तता के बारे में भी जांच कराकर संस्तुति सहित आख्या आयुक्त इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद से मांगी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

46-श्री उदयभान करवरिया-

[ पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ]

**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत 800/400 के0वी0 सब स्टेशन पारेषण लाइन निर्माण में सिविल अभियन्ताओं द्वारा लाखों के फर्जी भुगतान विषयक प्राप्त शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही**

47-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत 800/400 के0 वी0 सब स्टेशन पारेषण लाइन निर्माण में सिविल अभियन्ताओं द्वारा रुपये 73 लाख का फर्जी भुगतान विषयक महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के उप सचिव का पत्र संख्या पी-894/जी0 एस0 दिनांक 16-04-2007 जोकि प्रमुख सचिव (ऊर्जा) को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

क्योंकि केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच के लिए इसी प्रकरण पर पूर्व प्रेषित अनुरोध भारत सरकार द्वारा अस्वीकार करते हुए अपने पत्र दिनांक 21-10-2003 द्वारा अवगत कराया गया है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराये जाने की आवश्यकता नहीं है, अतः उक्त के परिप्रेक्ष्य में महामहिम श्री राज्यपाल के उप सचिव के पत्र दिनांक 16-4-2007 के साथ प्राप्त शिकायती-पत्र विचारार्धान है।

प्रश्न नहीं उठता।

**उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0 में भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को संरक्षण देने की सी0बी0आई0 जांच**

48-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0 में भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को संरक्षण देने की सी0 बी0 आई0 जांच विषयक श्री नन्द लाल जायसवाल, महामंत्री, उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर महासंघ का पत्र दिनांक 13-05-2007 जो कि मुख्य मंत्री, अध्यक्ष/निदेशक (तकनीकी)/ (वित्त), उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0 को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

श्री पुरुषोत्तम शर्मा, अवर अभियन्ता का स्थानान्तरण उनका प्रशिक्षण काल पूर्ण होने के उपरान्त परिचालन हेतु पिपरी परियोजना पर शिफ्ट में किया गया। अन्य बिन्दुओं पर कार्यवाही प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद आगरा में ताज ट्रिपेजियम जोन में अनवरत विद्युत आपूर्ति के आदेश**

49-डा0 अनिल चौधरी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-आगरा में ताज ट्रिपेजियम जोन में अबाध विद्युत आपूर्ति के आदेश के बावजूद विद्युत कटौती की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कटौती को समाप्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

24 घण्टे आपूर्ति के आदेश हैं, लेकिन वितरण प्रणाली में स्थानीय व्यवधान आ सकते हैं।

उपरोक्तानुसार 24 घण्टे आपूर्ति के आदेश हैं।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद मैनपुरी के ब्लाक सुल्तानगंज के ग्राम छिवकरिया में राजीव गांधी योजना अन्तर्गत विद्युतीकरण की मांग**

50-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रा0 छिवकरिया ब्लाक सुल्तानगंज जनपद-मैनपुरी में वर्ष 1997-98 में राजीव गांधी योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण का सर्वे हुआ था ? यदि हां, तो क्या उक्त ग्राम का विद्युतीकरण करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना वर्ष 1997-98 में स्वीकृत नहीं थी।

**लखनऊ के निलमथा में स्थित दुर्गापुरी कालोनी के भवनों की छतों के ऊपर विद्युत लाइन हटाये जाने की मांग**

51-श्री अशोक सिंह चौहान-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि राजधानी लखनऊ क्षेत्र के निलमथा में स्थित दुर्गापुरी कालोनी के भवनों की छतों के ऊपर विद्युत लाइन को हटाने हेतु माननीय विधायक मो0 इरशाद खां ने अपने विधायक निधि से आवश्यक धन दिया है परन्तु अभी तक कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

प्रश्नगत कार्य पूर्ण करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

## मुख्य अभियन्ता (ल0 क्षे0) लखनऊ के सहायक लेखाधिकारी द्वारा फर्जी जांच रिपोर्ट देने के विरुद्ध कार्यवाही

52-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के अधीन मुख्य अभियन्ता (ल0 क्षे0) लखनऊ के सहायक लेखाधिकारी द्वारा फर्जी जांच रिपोर्ट देने के कारण उनके विरुद्ध कार्यवाही विषयक उ0 प्र0 विद्युत मजदूर महासंघ के महामंत्री का पत्र दिनांक 25-05-07 जो कि अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक (वित्त), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

संदर्भित पत्र में उठाये गये विन्दुओं की विस्तृत जांच हेतु उप मुख्य लेखाधिकारी लखनऊ परिक्षेत्र, लखनऊ को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

## प्रदेश में उप प्रधानों का चुनाव

53-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में उप प्रधानों का चुनाव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो चुनाव कब तक करा लिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

उप प्रधानों के सम्बन्ध में नीतिगत निर्णय शासन में विचाराधीन है।

54-चौ0 सत्येन्द्र सिंह सोलंकी-

[ 4थे बुधवार के अता0प्र0सं0-18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ]

## नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 6 जुलाई, 2007 को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 12 सूचनाएं प्राप्त हुई। प्राप्त सुचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयीं। पहली सूचना श्री धर्मपाल यादव डी0 पी0 यादव की जनपद बदायूं के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र बिसौली एवं सहसवान को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करते हुए नये उद्योग लगाने जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना पर श्रीमती कृष्णा राज का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थीं। तीसरी सूचना पर श्री शम्भू चौधरी का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे। चौथी सूचना श्री उदयभान करिया की समाज कल्याण विभाग द्वारा शादी विवाह

एवं बीमारी के इलाज हेतु गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना श्री महबूब अली की जे0 पी0 नगर के अमरोहा क्षेत्रान्तर्गत बिजली के तार के चपेट में आने से मृत व्यक्तियों के परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है। छटवीं सूचना श्री मिथलेश कुमार की जनपद शाहजहांपुर के कस्बा पुवायां स्थित जू0 हा0 स्कूल के खेल के मैदान के पास पड़ी हुई विद्यालय भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री दीना नाथ कुशवाहा की श्री जमुना प्रसाद निवासी ग्राम चुहिया, थाना भटनी, जनपद देवरिया की हत्या के फलस्वरूप अभी तक हत्यारों के खिलाफ कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री अवधेश प्रसाद की फैजाबाद के सोहावल क्षेत्रान्तर्गत माननीय विधायक द्वारा प्रस्तावित सड़कों के स्थान पर अन्य सड़कों का निर्माण कराये जाने की जांच कराने के सम्बन्ध में है। नवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की सीतापुर के महमूदाबाद क्षेत्रान्तर्गत शासन द्वारा घोषित विद्युत आपूर्ति के सापेक्ष उपभोक्ताओं को 16 घण्टे बिजली आपूर्ति करने के सम्बन्ध में है। दसवीं सूचना श्री राधेश्याम जायसवाल की सीतापुर सदर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रमराजपुर की कतिपय महिलाओं के उत्पीड़न की मजिस्ट्रेटी जांच कराने के सम्बन्ध में है। जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गई उनके नाम डा0 आर0 ए0 उस्मानी और श्री जोखू लाल यादव है।

(संलग्न सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं।)

## जनपद बदायूं के विधान सभा निर्वाचन बिसौली एवं सहसवान को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करते हुए नये उद्योग लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धर्मपाल यादव डी0 पी0 यादव-

[ अध्यक्ष महोदय, जनपद बदायूं के सम्बन्ध में एक अत्यन्त ज्वलन्त एवं जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 24 बिसौली एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 26 सहसवान जनपद बदायूं में अभी तक कोई भी ऐसा छोटा-बड़ा उद्योग नहीं है जिससे वहां के निवासियों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें। जबकि वर्तमान सरकार की यह मंशा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा दिया जाय। इस सम्बन्ध में मेरा सरकार से अनुरोध है कि उक्त दोनों विधान सभा क्षेत्रों को उद्योग विहीन पिछड़ा क्षेत्र घोषित करते हुए नये उद्योग लगाये जाने हेतु उन पर सब्सिडी घोषित करने की कृपा की जाय, जिससे इन क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा सके और जिसका लाभ सीधे गरीब जनता को प्राप्त हो।

अतः इस अविलम्बनीय महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।]

---

वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

नोट [ ← | → ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

**समाज कल्याण विभाग द्वारा शादी विवाह एवं बीमारी के इलाज हेतु गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

* श्री उदयभान करवरिया-

[ अध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग द्वारा शादी विवाह एवं बीमारी के इलाज हेतु गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को सहायता प्रदान की जाती है। सदन में घोषणा की गयी थी कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्ग के व्यक्तियों को उपरोक्त योजना का लाभ प्राप्त होगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी, इलाहाबाद के पत्रांक संख्या सी-796 दिनांक 29-6-07 के द्वारा मुझे अवगत कराया गया है कि अनु0 जाति/अनु0 जनजाति के ही गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सदस्यों को ही योजना का लाभ प्राप्त होना है। इस कारण से भ्रम की स्थिति बनी है। सामान्य व पिछड़ा वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को अपनी लड़कियों की शादी-विवाह में कठिनाई पैदा हो रही है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बिनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए स्पष्ट शासनादेश निर्गत किये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं। ]

**जे0 पी0 नगर के विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत बिजली के तार की चपेट में आने से मृतक व्यक्तियों के परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री महबूब अली-

[ अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अति लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं जनपद जे0 पी0 नगर के विधान सभा क्षेत्र अमरोहा में दिनांक 1-7-07 को ट्रक नम्बर एच0 आर0 38 एम 4515 जो अहरोहा से उमरी कला में बाग से आम तोड़ने जा रहे थे, कि उमरी कला नगर में बिजली तार से ट्रक के टूल में बैठे इन मजदूरों की मृत्यु हो गयी मरने वाले मजदूरों, खालिद उर्फ मेहदी पुत्र अनवार मो0 वसावतगंज अमरोहा, जे0 पी0 नगर, व शाहनवाज पुत्र हनीफ मो0 सराय गुजरी, हसीन पुत्र अंसार मो0 सफात पोता है तथा घायल खुर्शीद पुत्र जमील मो0 हयातनगर, सादाब पुत्र मंगीर मो0 हयात नगर, आलम पुत्र जफर मो0 हयातनगर हैं। इन परिवारों के सदस्य भुखमरी के कगार पर है और ट्रक मालिक के विरुद्ध भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, मृतक आश्रित परिवारों को पांच-पांच लाख रुपया व घायलों को दो-दो लाख रुपया दिये जाने की मांग करता हूं। तथा बिजली विभाग के लापरवाह कर्मियों व अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस गम्भीर प्रकरण पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये तत्काल कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं। ]

**जनपद शाहजहांपुर के कस्बा पुवायां स्थित स्कूल के खेल के मैदान के पास पड़ी हुई विद्यालय की भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

• श्री मिथिलेश कुमार-

[ अध्यक्ष महोदय, आपको अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के पुवायां के जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत कस्बा पुवायां स्थित जूनियर हाई स्कूल की खेल के मैदान के पास पड़ी हुई विद्यालय की भूमि लाला रामनरायन मल्होत्रा व उनके पुत्र संजीव मल्होत्रा के द्वारा अपने लगे हुए खेत की मेड़ तोड़ करके अपने खेत में मिला लिया। कृपया उपरोक्त विद्यालय के खेल का मैदान खाली कराने एवं उनके प्रति कानूनी कार्यवाही करते हुए विद्यालय में मिलाये जाने के सम्बन्ध में है लाला रामनरायन मल्होत्रा कहते है यह जमीन हमारी है हम उस जमीन को छोड़ेंगे नहीं। विद्यालय के बच्चों को खेलने के लिए बड़ी परेशानी होती है इस समस्या को देखते हुए क्षेत्रवासियों में रोष व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सरकार से उपरोक्त प्रकरण की जांच कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं। ]

**जमुना प्रसाद निवासी ग्राम चुहिया, थाना भटनी जनपद-देवरिया की हत्या के फलस्वरूप अभी तक हत्यारों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री दीनानाथ कुशवाहा-

[ अध्यक्ष महोदय, श्री जमुना प्रसाद, ग्राम चुहिया, थाना भटनी जनपद-देवरिया के निवासी थे। विगत 6 जून को अपने गांव के बगल में मोतीपुर टिकैत में मजदूरी मांगने के लिए नथुनी जायसवाल के घर गये थे। श्री जमुना प्रसाद जो अनुसूचित जाति के व्यक्ति थे मात्र 25 रु0 मजदूरी के प्रश्न पर इनको लाठी डंडे से पीट-पीट कर हत्या कर दी गयी और यह कहा गया कि इनको सांप काट लिया है गांव के लोगों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दिये लाश का पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम में हत्या का कारण चोट बताया गया। परन्तु स्थानीय थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ उनकी एत्नी उषा देवी दर-दर की ठोकरें खा रहीं हैं हत्यारे सड़कों पर घूम रहे हैं। यह घटना लोक महत्व का है अविलम्बनीय है लोमहर्षक है इसे लेकर जनता में भय एवं आक्रोष है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः सदन के माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व लोमहर्षक हृदय के मामले के हत्यारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनके खिलाफ तुरन्त कार्यवाही करते हुए दलित की विधवा को आर्थिक सहायता दी जाय। ]

**जनपद फैजाबाद के सोहावल क्षेत्रान्तर्गत मा0 विधायक द्वारा प्रस्तावित सड़कों के स्थान पर अन्य सड़कों का निर्माण कराये जाने की जांच के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री अवधेश प्रसाद-

[ अध्यक्ष महोदय, विगत शासन में मा0 मुलायम सिंह यादव के मंत्रित्वकाल में सभी विधायकों को अपने क्षेत्र में सात-सात कि0मी0 सड़क के निर्माण कराने के लिए प्रस्ताव देने का निर्णय हुआ था। इसी क्रम में मैंने अपने विधान सभा क्षेत्र सोहवल जनपद फैजाबाद में सड़कों का प्रस्ताव दिया था और उसी प्रस्ताव के अनुसार शासन से सड़क निर्माण के लिए स्वीकृति भी मिल गयी। मैंने जिन सड़कों को प्रस्तावित किया था जैसे फतेहपुर सरैया मार्ग, उस मार्ग का निर्माण प्रस्ताव के अनुसार न करके अभियन्ताओं ने अपने निजी फायदे के लिए दूसरे स्थान से निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जिसका न तो प्रस्ताव था न स्वीकृति और इसी प्रकार नर्वापुर सम्पर्क मार्ग जिसका प्रस्ताव मैंने नर्वापुर गांव के लिए दिया था उस स्थान से सड़क के निर्माण का कार्य न करके उस स्थान से किया गया जहां पर पहले से ही सड़क बनी थी। इन दोनों सड़कों के निर्माण का कार्य भी बहुत ही घटिया स्तर का और मानक के विपरीत है।

यह भी अवगत कराना है कि पूर्व में जो सड़कें मेरे द्वारा प्रस्तावित होकर बनाने के लिए गयी हैं उन सड़कों के स्थान पर दूसरी सड़कें बनाने का या परिवर्तित करने का अधिकार स्थानीय अधिकारियों को नहीं है। यह खुलेआम शासन के आदेशों की अवमानना है।

अतः सदन के संज्ञान में लाते हुए इस कार्यवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग करता हूं। ]

**जनपद सीतापुर के महमूदाबाद क्षेत्रान्तर्गत शासन द्वारा घोषित विद्युत आपूर्ति के सापेक्ष उपभोक्ताओं को 16 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

* श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

[ अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र महमूदाबाद जनपद सीतापुर के अन्तर्गत सरकार द्वारा घोषित विद्युत आपूर्ति के सापेक्ष उपभोक्ताओं को केवल 4-5 घंटे बिजली उपलब्ध करायी जा रही है जिसका भी कोई समय-टाइम नहीं है छात्र, किसान, व्यापारी, अनियमित विद्युत आपूर्ति से परेशान हैं। किसान धान की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं व्यापारी अपने व्यापार के काम नहीं कर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पा रहे हैं। शिक्षण सत्र प्रारम्भ होने के साथ ही विद्युत आपूर्ति न होने के कारण बच्चों की शिक्षा बाधित हो रही है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर 16 घण्टे बिजली जोकि सरकार द्वारा प्रदेश में उपलब्ध कराने के क्रम में सरकार से ध्यान आकर्षित कराने की मांग करता हूं। ]

**सीतापुर सदर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रमराजपुर की कतिपय महिलाओं के उत्पीड़न की मजिस्ट्रेटी जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

* श्री राधेश्याम जयसवाल-

[ अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अति लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं मेरे निर्वाचन क्षेत्र सीतापुर अन्तर्गत ग्राम रमराजपुर थाना कमलापुर निवासी श्रीमती मीना पत्नी पंचमराम शहोदर पुत्र केशन निवासी रमराजपुर व उषा को दिनांक 25-6-07 को रात्रि 8 बजे को मारा पीटा गया और यहां तक कि एक महिला को मेडिकल कालेज के लिए रिफर किया गया था, इनकी एफ0आई0आर0 अपराध सं 314/07 धारा 147, 336, 323, 504, 506 अंकित है यह एफ0आई0आर0 थाना कमलापुर में दर्ज है स्थानीय पुलिस मिली हुई है और हल्के धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर गम्भीर धारायें लगनी चाहिए, परन्तु स्थानीय पुलिस ऐसा नहीं कर रही है जांच भी निष्पक्ष नहीं कर सकती है इस घटना से लोगों में भय व्याप्त है और रोष भी है इसकी मजिस्ट्रेटी जांच कराई जाये और मेडिकल के आधार पर गम्भीर धारायें दर्ज की जायें।

अतः इस गम्भीर प्रकरण को सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से वक्तव्य देने की मांग करता हूं तथा मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर गम्भीर धारायें दर्ज की जाये मुल्जिमानों को पकड़ा जाये, मजिस्ट्रेटी जांच कराई जाये। जिससे निष्पक्ष कार्यवाही हो सके। ]

**उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007.**

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-150(2) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 28 जून, 2007 को पारित किया गया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा किये गये संशोधन सहित दिनांक 04 जुलाई, 2007 को इस सचिवालय में प्राप्त हुआ है, को विधान परिषद द्वारा किये गये संशोधन सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

---

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- । ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

## उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधायक, 2007, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 02 जुलाई, 2007 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 05 जुलाई, 2007 को वापस प्राप्त हो गया।

## उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 2 जुलाई, 2007 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 05 जुलाई, 2007 को वापस प्राप्त हो गया।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-4 में कुछ नहीं है, मद संख्या-5 में कुछ नहीं है।

## विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण हेतु सिफारिश विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 05 जुलाई, 2007 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 06 जुलाई, 2007 से 27 जुलाई, 2007 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :--

**जुलाई, 2007**

| | |
|---|---|
| 06 शुक्रवार | वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (अन्तिम दिन)। |
| 07 शनिवार<br>08 रविवार | बैठक नहीं होगी। |

09 सोमवार

1-वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक की अनुदान मांगों पर विचार एवं मतदान।

2-निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :-

(क) उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 (आधा घण्टा)।

(ख) उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) (निरसन) विधेयक, 2007 (आधा घण्टा)।

10 मंगलवार
11 बुधवार
12 गुरुवार

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक की अनुदान मांगों पर विचार एवं मतदान।

13 शुक्रवार

1-असरकारी दिवस (आधा दिन)।

2-विधायी कार्य (आधा दिन)।

14 शनिवार
15 रविवार

बैठक नहीं होगी।

16 सोमवार
17 मंगलवार
18 बुधवार
19 गुरुवार

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक की अनुदान मांगों पर विचार एवं मतदान।

20 शुक्रवार

1-असरकारी दिवस (आधा दिन)।

2-विधायी कार्य (आधा दिन)।

21 शनिवार
22 रविवार

बैठक नहीं होगी।

23 सोमवार
24 मंगलवार

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक की अनुदान मांगों पर विचार एवं मतदान।

25 बुधवार

1-वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक की अनुदान मांगों पर विचार एवं मतदान।

2-**3.00 बजे अपराह्न**

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2007 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

26 गुरुवार
27 शुक्रवार } बैठक होगी।

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मैं प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

**वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (क्रमागत) †**

श्री अध्यक्ष-

एक सदस्य के लिए राष्ट्रीय लोकदल के नेता ने सिफारिश की है कि हमारी तरफ से केवल एक ही सदस्य बोलेंगे।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक पर मुझे बोलने का मौका दिया मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान लघु सिंचाई की तरफ दिलाना चाहता हूं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि डा0 भीम राव अम्बेडकर नलकूप योजना के अन्तर्गत जो दुर्लभ क्षेत्र हैं उनके लिए 14 नलकूपों की व्यवस्था की गई है। जिस विधान क्षेत्र से मैं चुनकर आता हूं वह जनपद बागपत और जनपद मेरठ के अन्तर्गत बरनावा विधान सभा क्षेत्र है। बरनावा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत एक चोगावां क्षेत्र के नाम से एक क्षेत्र जाना जाता है। चोगावां क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो पानी की दृष्टि से पूरे प्रदेश में दुर्लभ क्षेत्र है। उस दुर्लभ क्षेत्र को देखते हुए पिछली कई सरकारों में मांग उठी, पानी की कमी के लिए, किसानों के लिए और चोगावां क्षेत्र के नाम से एक नहर परियोजना शुरू की गई। उस नहर परियोजना के लिए किसानों की करोड़ों की जमीन देने का काम किया गया। सरकार का करोड़ों रुपया उसमें लगा लेकिन यह परियोजना अधर में लटक गई। उसका काम बीच में रुका है। उस नहर में पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। नहर बनकर तैयार हो गई है। चोगावां क्षेत्र के लिए नहर जो अधूरी पड़ी है सरकार उसको पूरा कराने के लिए अपने इस बजट में कुछ व्यवस्था करे। चोगावां क्षेत्र जो है जो दुर्लभ क्षेत्र हैं उनके लिए सरकार ने 14 नलकूप देना निर्धारित किया है। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि चोगावां प्रदेश का दुर्लभ क्षेत्र है उसमें दस नलकूपों की

† दिनांक 3 जुलाई, 2007 की कार्यवाही से।

तो मेरे क्षेत्र में ही आवश्यकता है तो 14 नलकूपों से बढ़ाकर 50 नलकूप कम से कम किया जाए। बल्कि 70 नलकूप कर दिए जाएं। यह मैं मांग करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी पेयजल की जहां तक बात है। हैण्डपम्प की आज पीने के पानी की पूरे प्रदेश में समस्या है। मेरे क्षेत्र में जो जल स्तर है वह भूमि से काफी नीचे चला गया है। हैण्डपम्प लगाने का काम होता है लेकिन हैण्डपम्प लगाने के दो-तीन दिन के बाद पानी छोड़ देता है। क्योंकि जो सरकार के मानक है जितनी गहराई तक बोरिंग करने का काम सरकार करती है वह पूरे प्रदेश में जो मानक है उसके अनुरूप नल की जो गहराई है जो बोरिंग के मानक है वह कम पड़ जाती है उसको बढ़ाने का काम करें। विधायक निधि के अन्दर दो सौ हैण्डपम्प मेरी जानकारी में है, मैं पहली बार चुनकर आया हूं मेरी जानकारी में है कि दो सौ हैण्डपम्प प्रत्येक विधायक को मिलते थे। मान्यवर, यह जो वर्ष 2007-08 का बजट है, इसमें कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं है कि 200 हैण्ड पम्प, जैसा विधायक के प्रस्ताव पर लगाए जाते थे, वह भी इस बजट में जोड़ने का काम करें और उसे प्रत्येक विधायक को देने का काम करें, पेयजल की समस्या के निदान के लिए।

मान्यवर, गन्ना किसानों की समस्या के लिए 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के हिसाब से भुगतान किए जाने के आदेश हैं, माननीय उच्च न्यायालय ने भी इसके आदेश दिए हैं और हमारे गन्ना आयुक्त ने भी ऐसा आदेश तमाम शुगर फैक्ट्रियों को किया है कि 15 दिन से ज्यादा भुगतान में समय लगता है तो ब्याज देना होगा। मान्यवर, हमारे यहां मलकपुर चीनी मिल है, वहां पर 270 लाख रुपये ब्याज आज तक लम्बित है और 8 करोड़ 55 लाख का भुगतान बाकी है, आज की तारीख तक। जब सरकार ने आदेश भी किए हैं तो सरकार सुनिश्चित करे कि किसानों को ब्याज के सहित गन्ने का भुगतान दिलाया जाए। जब कि किसानों को गन्ने का पैसा नहीं मिलता, तब तक किसानों की जो वसूली है, जो वसूली किसानों से की जा रही है। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार उस वसूली को रोकने का काम करें। सरकार एक तरफ गन्ने का दाम देने का काम नहीं कर रही है और दूसरी तरफ उसे प्रताड़ित करने का काम कर रही है। मान्यवर, अब मैं प्रदूषण की समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश के अन्दर डीजल-पेट्रोल की समस्या के बारे में बात आई। आज प्रदेश में प्रदूषण है, बड़े महानगरों में प्रदूषण के कारण मनुष्य का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, इसके लिए 8 महानगरों में सी0एन0जी0 वाहन चलाने की व्यवस्था की गई है, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। मान्यवर, लेकिन सी0एन0जी0 प्रदेश के 4 महानगरों-लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, नोएडा में ही उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कई सौ सी0एन0जी0 वाहन खरीदने का काम किया है लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार सी0एन0जी0 खरीदने में सक्षम नहीं है। आज उत्तर प्रदेश की जितनी बसें हैं, वह दिल्ली से सी0एन0जी0 लेने का काम करती है। यहां पर सी0एन0जी0 पर इतना टैक्स लगाया है कि वह दिल्ली से कई गुना ज्यादा मंहगा मिलता है तो उसे आम [illegible] खरीदने का काम कैसे करेगा। इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बजट में कोई काम नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, 2 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मान्यवर, यह जो लोकप्रिय सरकार बनी है जो भी सरकार बनती है वह लोकप्रिय है। पिछली बार जब सरकार बनी थी तो छोटे जिले और छोटे मण्डलों का निर्माण करने का काम किया था तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अलग राज्य बनाने का भी प्रावधान किया जाए। पश्चिम उत्तर प्रदेश 500 किलोमीटर लखनऊ से पड़ता है, जो विधायक वहां से आते हैं, उनको रेलवे कूपन के रूप में उतना ही पैसा मिलता है जो लखनऊ से चुने हुए विधायक को मिलता है, उनको भी बराबर मिलता है जो 500 किलोमीटर दूर मेरठ और बागपत से आते हैं, उनके लिए 50 हजार रुपये के अलग से रेलवे कूपन की व्यवस्था की जाए। मान्यवर, जो 200 हैण्डपम्प देने की व्यवस्था थी, उनको बढ़ाकर 500 हैण्डपम्प किया जाए और विधायक निधि को बढ़ाकर यद्यपि सवा करोड़ किया गया है, लेकिन वह कम है इसलिए इस बजट में बढ़ाकर उसे 2 करोड़ करने का काम करें। 7 किलोमीटर डामर वाली पक्की सड़क मिलती थी जो विधायक के प्रस्ताव पर बनती थी, उसका भी इस बजट में जिक्र नहीं है, कम से कम प्रत्येक माननीय सदस्य से उसके क्षेत्र के अन्दर 10 किलोमीटर सड़क बनाये जाने का प्रस्ताव मांगने का काम करें। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं, धन्यवाद।

श्री अवधेश प्रसाद-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय सदन में वर्ष 2007-08 के बजट पर बोलने का अवसर दिया। श्रीमन्, बहुत लम्बे अर्से के बाद इस प्रदेश में एक बहुमत की सरकार बनी और बहुमत की सरकार बनने पर प्रदेश के लोगों को आशा थी कि इस सरकार में बहुत से काम होंगे, बहुत से विकास होंगे लेकिन बजट को देखने से लगता है कि इस बजट के माध्यम से जिसका स्लोगन है-सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय और समतामूलक समाज की स्थापना। मान्यवर, अगर गौर से देखें तो यह नारे के विपरीत काम हुआ है। इस बजट में दो बातें देखने को खास तौर से मिली। पहली बात यह है कि वह तमाम योजनाएं जो माननीय श्री मुलायम सिंह यादव के मुख्य मंत्रित्वकाल में विगत दिनों संचालित थीं, कल्याणकारी राज्य की स्थापना को साकार करने वाली थीं या तो उन योजनाओं को ठप्प कर दिया गया या उन्हीं योजनाओं का नाम बदल दिया है और नई चीज की कोई शुरुआत नहीं हुई है। जहां तक समतामूलक समाज की स्थापना का सवाल है आज इस आदरणीय सदन में मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि अगर समतामूलक समाज की स्थापना किसी ने की है तो उत्तर प्रदेश के एक मात्र मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी ने अपने मुख्य मंत्रित्वकाल में की है। मान्यवर, उन्होंने

समाज के सभी वर्गों के लिए चाहे वह अनुसूचित जाति के छात्र, छात्राएं हो और चाहे वह सवर्ण हों, पिछड़ी जाति के हों, अनुसूचित जाति के हों, अल्पसंख्यक हों, यह पहली सरकार थी जिसमें फीस माफ कर दी गई और सबको छात्रवृत्ति मिलने का अवसर दिया गया। यही नहीं वह तमाम बेटियां जो गरीब की बेटी है। पहले सिर्फ अनुसूचित जाति की बेटियों को उनकी जाति और आर्थिक स्थिति के हिसाब से आर्थिक सहायता मिलती थी लेकिन उत्तर प्रदेश की यह पहली सरकार थी जिसने 24 सितम्बर, 2006 को एक शासनादेश निर्गत किया कि सभी जाति की बेटियां जो गरीब की है उन्हें हम आर्थिक सहायता देंगे। आज इस बजट को देखने का मौका मिला। इस बजट में जो धनराशि रखी गई है वह 10 हजार रुपये रखी गई है। यह बहुत कम है। इतनी मंहगाई है। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इसकी रकम शादी के लिए कम से कम 25 हजार रुपये की जाए। दूसरी बात इस सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन और किसान पेंशन के बारे में अपने बजट में यह कहा है कि हमने इस पेंशन को 300 रुपये करके दुगुना करने का काम किया है। श्रीमन्, केन्द्र की सरकार की तरफ से मंत्रिपरिषद् की एक बैठक हुई जिसमें निर्णय लिया गया इसको कम से कम 400 रुपये करने का और इसके लिए उत्तर प्रदेश शासन से राय भी मांगी गई है और इसमें कहा गया है कि उसमें 300 रुपये दुगुना करने का काम करेंगे और इस तरह से जाकर वह 300 रुपये होगी। मान्यवर, पिछली सरकार में जब माननीय श्री मुलायम सिंह यादव प्रदेश के मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने शासनादेश किया और उसमें निर्णय लिया था कि उत्तर प्रदेश में जो वृद्ध हैं, गरीब हैं, गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर कर रहे हैं वह चाहे जिस जाति के हों उन सबको किसान पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन देने का निर्णय लिया गया और एक साल के अन्दर लगभग आठ लाख से ज्यादा इस योजना से वृद्धों और किसानों को फायदा दिया गया। इस बजट में यह कहा गया कि बीस लाख तो हो गया है, चार लाख और बढ़ाने का काम करेंगे, तो यह बहुत कम है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसकी सीमा न रखी जाय। जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार ने निर्णय लिया था उसके अनुसार सबको इसका लाभ दिया जाय। मान्यवर, अनुसूचित जाति आवास के बारे में दो सौ करोड़ रुपये का इस बजट में प्राविधान किया गया है। आप भी गांव से पूरी तरह से भिज्ञ हैं। गर्मी के दिनों में जब आग लग जाती है, गरीब के झोपड़े में आग लगती है तो गांव का गांव जल जाता है। सरकार की तरफ से आठ सौ, छः सौ रुपये आर्थिक सहायता मिलती है, इसके लिए स्थाई अनुदान होना चाहिए और ऐसे समय में जब बहन मायावती जी मुख्य मंत्री हैं, अनुसूचित जाति के लोग, जो गरीब हैं, झोपड़े में आग लगने से वह स्वाहा हो चुके हों तो इसके लिए दो सौ करोड़ कम है। जो पच्चीस हजार रुपया मिलता था, कम से कम उसे पचास हजार रुपया दिया जाए। मान्यवर, शौचालय योजना के बारे में पिछली सरकार में बारह सौ मिलता था उसे तीन सौ रुपये कर दिया है। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गांव की मातायें, बहनें, बेटियां

लोटा लेकर शौच के लिए बाहर जाती हैं, लेकिन इसके बारे में चिन्ता नहीं की गयी है। आज उम्मीद थी कि इस प्रदेश में महिला मुख्य मंत्री हैं, इस दिशा में जरूर विचार होगा लेकिन तीन सौ रुपये दिया और यह कहा कि 2012 तक हम संतृप्त कर देंगे। मान्यवर, हमारी सरकार ने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए, कन्या विद्या धन के लिए और गरीब महिलाओं को साड़ी वितरण करने की योजना बनायी थी और इस आदरणीय सदन से ढाई सौ करोड़ रुपये का प्राविधान भी किया था, लेकिन इसमें कहा गया है कि लोकप्रियता हासिल करने के लिए साड़ी बांटने का काम किया गया है। मान्यवर, लोकप्रिय सरकार का गठन होता है तो उससे लोकप्रियता की अनुभूति होती है कि वह ऐसे काम करेगी जिससे वह लोकप्रिय हो। लेकिन इस बजट में यह कहा गया है कि हम इसे बन्द करेंगे तो यह उचित नहीं है। आजादी के बाद बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे देश और प्रदेश में तमाम ऐसी महिलायें हैं जिनके पास एक धोती है। वही धोती पहनकर खाना बनाती है, खोती है और वही धोती पहनकर सोती है और उसी को पहनकर उसे नहाना भी होता है तो ऐसी स्थिति में एक अच्छी योजना जिसके लिए ढाई सौ करोड़ की व्यवस्था की गयी थी, अच्छा होता, यह सरकार बधाई की पात्र होती, जब ढाई सौ करोड़ जो मुलायम सिंह यादव जी ने किये थे उसको बढ़ाकर यह पांच सौ करोड़ कर देते। लेकिन इस दिशा में तमाम महिलाओं और बेटियों को निराशा हाथ लगी है जब बजट में यह लिखा गया है कि हम इस योजना को पूरी तरह से ठप्प कर देंगे। श्रीमन् अनुसूचित जाति की जो आबादी है उसमें उत्तर प्रदेश में एक बटा छः अनुसूचित जाति के लोग हैं।

लेकिन उनके लिए जो आवास की व्यवस्था हो और जो व्यवस्थायें होनी चाहिए वह भी बिल्कुल नगण्य है श्रीमन्, हमारी पिछली सरकार में जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी इस प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, भूमि सेना का गठन हुआ था, भूमि सेना का केवल नाम बदला गया है उसको किसान हित योजना बनाया गया है तो भूमि सेना के गठन से ही किसान और गरीब का और भूमिहीन लोगों का हित हो सकता है. लेकिन इसमें कोई नई बात नहीं रखी गई तो मैं ज्यादा न कह करके हम इस सरकार से मांग करते हैं कि वो तमाम योजनायें आज ही प्रश्न नम्बर एक माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी ने बेरोजगारी भत्ता बन्द करने के बारे में किया था, तो बेरोजगारी भत्ता बन्द करने से इस प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों जिनकी संख्या प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी द्वारा आज ही 32 लाख बताई गई है, लेकिन वास्तव में उनकी संख्या इससे कहीं ज्यादा है तो यह जो योजना बन्द की गई है. श्रीमन् मैं मांग करता हूं कि बेरोजगारी भत्ता जहां बन्द किया गया है। रोजगार देने के लिए सरकार सटीक रूप से योजना और निश्चित कार्यक्रम बनाये और कन्या विद्या धन योजना जो बन्द किया गया है मैं पुनः मांग करता हूं कि इस योजना को पुनः लागू किया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने माननीय सदन के माध्यम से जो सुझाव सरकार को दिये हैं मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार मेरे उन सुझावों पर अमल करने का काम करेगी। धन्यवाद।

*श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, इस सरकार का यह पहला बजट है इसलिए पहले क्या हुआ उसका दोष सरकार पर लादा नहीं जा सकता है लेकिन बजट के जो दिशा निर्देश हैं, मैं बजाय इसकी आलोचना करने के कि यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि उसमें जो इशारा कर रहा है, यह बजट यह बहुत खतरनाक रास्ते की तरफ जाने का है। मान्यवर, जब श्री मुलायम सिंह जी मुख्य मंत्री हुए थे तो मैंने वहां से बैठ कर उस समय कहा था कि आप जो यह बिजली परियोजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, यह एक भी लागू नहीं होंगी और आज आपकी प्रोसीडिंग्स साक्षी हैं यह दर्ज है उसमें कि एक भी प्रोजेक्ट नहीं चालू हो सका। इसी तरह मान्यवर, मैं यह चाहता हूं कि अगर सर्व समाज के बारे में चिन्तन करने की कोई बात हो रही है तो उन लोगों को किनारे रखना चाहिए जिन्होंने सारे सर्व समाज के कान्सेप्ट को एकदम ध्वस्त किया। मेरा इशारा जो है वह पेरियार रामा स्वामी नायकर की तरफ है। उनका उत्तर प्रदेश से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने दक्षिण में ब्राह्मण और जो दूसरी जातियां थीं उनका सर्वनाश कर दिया। वह पेरियार अगर इस सरकार के प्रेरणास्रोत हैं तो मैं समझता हूं कि यह समझ लेना चाहिए कि आखिर किस तरफ जाने का और कौन प्रेरणास्रोत है इस सरकार का, उसकी आगामी नीतियां क्या होंगी, यह बी0एस0पी0 को आजकल वह ब्राह्मण समाज पार्टी कहने लगे हैं उन ब्राह्मणों को अपना अस्तित्व समझना चाहिए कि उनका भविष्य क्या होने वाला है। अगर रामा स्वामी नायकर को लाकर कि उनके कार्यक्रमों को यहां लागू किया जाय तो जिन्होंने दक्षिण में ब्राह्मणों का सफाया कर दिया, कहीं कोई चीज भी इतने वर्ष बीतने के बाद वहां की राजनीति में वहां की सर्विसेज में ब्राह्मणों का परसेन्टेज न के बराबर हो गया।

*उच्च शिक्षा मंत्री (श्री राकेशधर त्रिपाठी)-

माननीय अध्यक्ष जी, अगर आपकी अनुमति हो, मैं एक बात कह दूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप अपनी बात कह लें।

श्री राकेशधर त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय टण्डन जी बहुत चिन्तित हैं ब्राह्मण समाज के लिए और पिछली दस-बीस साल से बी0जे0पी0 वाले इन सबके लिए काम भी कर रहे थे। आज की तारीख में बहन मायावती जी के नेतृत्व में जितना ब्राह्मणों को सम्मान मिला पिछले 40 सालों से उतना सम्मान उन्हें नहीं मिला और इसमें कोई दो राय नहीं। मान्यवर, क्षमा करें, एक मिनट कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा, केवल इसलिए नहीं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में माननीय हुकुम

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सिंह जी बहुत वरिष्ट हैं 1985 में यहां राज्य मंत्री हुआ करते थे, हम तब सदस्य थे। तबसे लेकर के 20 सालों में ब्राह्मणों को राजनीति में हासिये पर रखा गया था कोई ब्राह्मण नेतृत्व मुख्य मंत्री पद के लिए दावेदार नहीं माना जाता था, टिकट नहीं मिलता था।

मान्यवर, दूसरे जिनके जितने नेतृत्व में लोग हैं इसमें चर्चा बजट भाषण पर करेंगे। हम लोग जब उस समय थे तो ब्राह्मण के नाम पर टिकट काट दिया जाता था वह इश्यू अलग है वह आरक्षण की बहस अलग है उसमें राजनीतिक पार्टियों में यह विचार था कि इसको किसी दूसरी जाति का वोट नहीं मिलेगा। इस बार अगर बहन मायावती जी ने राजनीति परिवर्तन इस दिशा में किया है तो उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों ने उसको स्वीकार करके और चुनाव के समय मतदान करके बहुमत से इस सरकार को जिताया है (मेजों की थपथपाहट)

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, 1985 में संसदीय कार्य विभाग का मंत्री था। वहां नारायण दत्त तिवारी जी, महापण्डित हैं, वह मुख्य मंत्री के पद पर आर्सीन थे। आप तारीफ कुछ करिये। आप लगे रहिये जहां लगे हैं। लेकिन उस कुर्सी पर नहीं जा पायेंगे। आप यहीं पर बैठने के लायक हैं। वहां पर पं0 नारायण दत्त तिवारी जी और हेमवती नन्दन बहुगुणा जी जैसे लोग ही हो सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

अगर कोई व्यक्ति उस जगह पहुंच गया है तो बहुत सौभाग्य है। उस कुर्सी पर नारायण दत्त तिवारी जी बैठ चुके हैं, वहां एक बैट गयी हैं तो यह तो आपको सराहना करनी चाहिए।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं सराहना कर रहा हूं। मैंने सराहना की है। लेकिन मैं बता रहा था कि जब ये यहां बैठते थे तो वहां कौन बैठता था।

(व्यवधान)

श्री सुशील कुमार शर्मा-

मान्यवर, यह कहा गया कि कोई ब्राह्मण जाति का मुख्य मंत्री नहीं बन सकता था, अब आ जायेंगे तो वह बता दें कि वह कौन बनेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

यह कोई परशुराम-लक्ष्मण संवाद नहीं है।

श्री राकेशधर त्रिपाठी-

मान्यवर, माननीय हुकुम सिंह जी ने जो कहा है वह यर्थाथ हैं लेकिन जिस सोशल इंजीनियरिंग की चर्चा प्रदेश में मुख्य मंत्री जी ने की है उसको आपके राजनीतिक दलों ने लागू

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं किया था। यह बहन मायावती जी की कृपा है कि कई को पहली लाइन में यहां पर बिठाया है, कैबिनेट मंत्री बनाया है। यह बी0जे0पी0 ने नहीं किया था।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, माननीय अटल बिहारी बाजपेई जी प्रधान मंत्री के पद पर थे बी0जे0पी0 के शासनकाल में। शायद इन्हें वे छोटे ब्राह्मण मालूम होते हैं बी0जे0पी0 एक ऐसी पार्टी है जो ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय, दलित किसी भी वर्ग का भेदभाव नहीं करती है। जिसमें जो योग्यता होती है वह उसे मिलता है। माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जी में वह योग्यता थी वह वहां बैठे। (मेजों की थपथपाहट) पं0 नारायण दत्त तिवारी जी में योग्यता थी वह वहां बैठे। मायावती जी में योग्यता है वह वहां बैठी हुई है किसी जाति के आधार पर नहीं बैठी हैं।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, ब्राह्मणों को सम्मान देने के लिये आगे क्या होगा क्या आगे उस सीट पर कोई बैठेंगे। मान्यवर, ब्राह्मण समाज का एक चरित्र है वह किसी के अधीन नहीं रह सकते हैं। जिन्दगी भर उन्होंने शासन किया है। वह निश्चित रूप से वहां पर पहुंचें यह मेरी शुभकामना है।

श्री राकेशधर त्रिपाठी-

मान्यवर, यह ब्राह्मण समाज चाणक्य का वंशज है। किसी को समृद्ध कर राज्य कराता है और महामंत्री बनता है।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, मुझे खुशी होती यदि इन सब महापुरुषों के साथ किसी ब्राह्मण महापुरुष का भी इसमें जिक्र हो जाता। कोई योजना उनके नाम से बन जाती। मान्यवर, समाज में बहुत बड़े-बड़े ब्राह्मण नेता हुये हैं। समाज में परिवर्तन लाने वाले हुए हैं। चाणक्य जैसे लोग हुए हैं अर्थनीति बनाने वाले लोग हुए हैं। किसी का नाम ले लेते जब आप सर्वसमाज का कंसेप्ट यहां पर ले रहे हैं। आपने पेरियार का जिक्र किया है मैं समझता हूं कि अगर वह आपकी कोशिश है तो इस प्रदेश के लिये वह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। बाकी जो नाम है उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है नरायन गुरू हैं वह सन्त थे उन्होंने दलितों के उत्थान करने की कोशिश की, बहुत अच्छी बात है उनको हम सब प्रणाम करते हैं उनकी इज्जत करते हैं बाबा साहब का इनसे कम सम्मान नहीं करते। मान्यवर, और जो नाम आये हैं कांशी राम जी भी सम्माननीय हैं लेकिन मैं, मेरे जैसे लोग जो पेरियार को अच्छी तरह से जानते हैं जिसने उत्तर और दक्षिण का विवाद खड़ा कर दिया था यह तो इस देश का जो नेतृत्व था सारे समाज का उसे किसी तरह बचा लिया वरना उत्तर और दक्षिण दो अलग-अलग आज देश होते। तो मैं ऐसे व्यक्तित्व को यहां पर महिमामंडित किया जाय मुझे इस बात पर आपत्ति है भले ही उनको न हो। शायद उन्हें नहीं मालूम है कि समाज में जुलूस निकालकर उन्हें जूते मारकर निकाला जाता था देवी देवताओं को अपमानित करते हुए जुलूस

निकाले जाते थे अगर यह दिशा है यह यहां पर होना है तो मैं समझता हूं कि कोई आशा नहीं करनी चाहिए सिर्फ विनाश की ही बात सोचना चाहिए। लेकिन मान्यवर, बाकी मैं कोई दोष नहीं देना चाहता। कुछ महत्वपूर्ण विषय है जिनके ऊपर इस समय इस बजट में जरूर चर्चा करनी चाहिए थी जैसे पेयजल का एक बड़ा भारी संकट प्रदेश में खड़ा हो रहा है। पेयजल के लिए जब मैं मंत्री था मैंने शुरू किया था यहां पर वर्षा जल संचयन का। लखनऊ के अन्दर लगभग 26 प्रोजेक्ट शुरू कराये थे सारे प्रदेश में मैंने आदेश जारी कर दिया था कि नक्शा कोई नहीं पास होगा बड़े भवनों का जब तक वह वर्षा जल संचयन का वहां पर व्यवस्था नहीं कर लेते। भूगर्भ जल नीचे जा रहा है चिन्ता यह होनी चाहिए कि उससे कैसे निपटेंगे ? सारे ट्यूबवेल रिबोर के लायक हो रहे हैं, कुएं सूख रहे हैं। हैण्डपम्प पानी नहीं दे रहे हैं। ऐसे समय में कोई विपद योजना पेयजल से निपटने के लिए इस बजट में दिखाई नहीं दे रही है। मान्यवर, हम बहुत सी बातों को कहते हैं लेकिन उन पर अमल हो पायेगा कि नहीं इसमें सन्देह है। लेकिन जिनके ऊपर इसके अमल का भार है मेरा आशय है ब्यूरोक्रेसी से वही है जो कल समाजवादी थी आज बहुजन समाजवादी हो गयी परसों कोई और होगा तो उसकी हो जायेगी कभी वह किसी के होते नहीं है जो सरकार होती है उसी की तरफ उनका झुकाव हो जाता है, उसी के वह वफादार होते हैं, अगर उन्होंने कोई त्वरित विकास योजना लागू करने की क्षमता उस मशीनरी में होगी तो मैं समझता हूं कि जितना पैसा एक लाख करोड़ रुपये का जो बजट है इसका अगर विकास के ऊपर खर्च हो जाय जिन मदों में कहा गया है उन मदों में खर्च हो जाय। मैं समझ रहा हूं कि सरकारें आती हैं और चली जाती हैं। मैं जब पावर मिनिस्टर था तो मैंने विष्णु प्रयाग परियोजना प्राइवेट सेक्टर में दी थी उस समय यहां पर प्राइवेट सेक्टर के ऊपर बात करने पर हड़ताल हो जाती थी लेकिन मुझे अफसोस है कि सरकारें आईं और गयीं लेकिन विष्णु प्रयाग परियोजना आज भी लटकी पड़ी हुई है। क्योंकि उस व्यक्ति ने जिसने वह काम लिया था जिसको वह दिया गया था उसका जो भी सत्तारूढ़ दल होता है उसमें गहरी घुसपैठ होती है इसलिए उसको कोई कुछ कहता नहीं है और वह योजना उसी तरह से अधूरी पड़ी है उसको न सरकार लागू कर पा रही है न कुछ हो रहा है। मान्यवर, कुछ विषय ऐसे हैं कि यह कहा जाय कि ला-एण्ड-आर्डर की स्थिति खराब है तो यह पहले ही खराब थी आज हम यह उम्मीद करें कि जुम्मा-जुम्मा 8 दिन की सरकार यह एक दम जादू कर देगी ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यहां पर भी हमने सिग्नल देखें होंगे अभी लखनऊ में। मान्यवर, यहां पर अभी मैंने वह विषय नहीं उठाया। क्योंकि मैंने देखा था प्रशासन ने बड़ी तेजी के साथ कदम उठाये थे लेकिन जो सरकार को करना था वह नहीं हुआ। मान्यवर, एक हाइडिल विभाग में कर्मचारी था, उसके लड़के को पुलिस पकड़ ले गयी बेगुनाह और उसको मारा पीटा और उससे कहा कि तुमने सोने की चोरी की है और सोने का सारा पैसा दो। उसके बाद पुलिस ने उसके पिता को भी मारा पीटा, वह इज्जतदार आदमी था, भले ही गरीब था, समाज में उसकी इज्जत थी, उसने सोचा समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा, शर्म के मारे उसने

गोमती में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के उत्पीड़न से उसने आत्महत्या की। उसके बाद दूसरे दिन इसी प्रकार कानपुर में एक घटना हुयी। यह पुलिस की जो निरकुंशता है, इसको आप कैसे नियंत्रित करेंगे, इन समस्याओं का निदान कैसे हो पायेगा, इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है ताकि निरकुंशता खत्म हो।

मैं आरोप लगाने के पक्ष में नहीं हूं कि बजट में कुछ नहीं है, यह बजट ऐसा क्यों आ गया, बजट में यह आ गया, बजट में यह समस्यायें हैं, यह हल क्यों नहीं हुयीं। इसके लिये मैं समझता हूं कि श्री मुलायम सिंह यादव जी ने यह कहा कि 6 महीने इस सरकार को काम करने के लिये हम देंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे। मैं समझता हूं कि यह सही बात है कि इस सरकार को कुछ समय जरूर मिलना चाहिए कि उसने जो नीतियां घोषित की हैं उनका क्रियान्वयन हो जो नीतियां नहीं घोषित की गयी हैं, जो छूट गयी हैं उनको भी किसी तरह से लागू किया जाय ताकि समाज का भला हो सके। इन शब्दों के साथ मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया।

डा0 राजकुमार सिंह गौतम-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूं कि आपने सन् 2007-2008 के बजट पर अपना विचार रखने का मौका मुझे दिया है। मैं इस बजट के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती जी को इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना लोकोपयोगी बजट इस माननीय सदन में पेश किया है जिससे निश्चित रूप से आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश प्रगति के रास्ते पर अग्रसर हो सकेगा। बजट के प्रावधानों पर चर्चा करते हुये विभिन्न विपक्षी सदस्यों ने तरह-तरह के सवाल खड़े किये, उनसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह विपक्ष की जिम्मेदारी है और विरोध करना उनकी नियति है। इसलिये वह विरोध कर रहे हैं। मुझको किसी शायर की वह पंक्तियां याद आती हैं जिसमें कहा गया है-

जो करके नेकियां दरिया में डाल देता है,
जमाना उस पर भी कीचड़ उछाल देता है,
न जाने किसकी दुआओं का असर है, मुझमें,
मैं डूबता हूं तो समन्दर उछाल देता है।

मान्यवर, वैसे तो पूरे बजट में बहुत सारी ऐसी खूबियां हैं, जिन पर मैं अपना पक्ष रखना चाहता था लेकिन समय सीमा और बाध्यताओं की वजह से कुछ प्रमुख बिन्दुओं पर मैं अपना विचार रखना चाहता हूं। मान्यवर, इस वर्तमान बजट में शिक्षा के ऊपर जो प्राविधान किये गये हैं मैं सबसे पहले उस पर चर्चा करना चाहता हूं।

(इस समय 1 बजकर 4 मिनट पर अधिष्टाता श्री बृजेश सौरभ पीठासीन हुए)

माननीय अधिष्टाता महोदय, वर्तमान बजट में प्राथमिक शिक्षा के लिये 9076 करोड़ रुपये का प्राविधान करके 813 नये प्राथमिक विद्यालय, 4500 नये उच्च प्राथमिक विद्यालय और 38000 नये कक्षा-कक्षों के निर्माण का प्रावधान रखा गया है। सर्वशिक्षा अभियान के तहत 1 हजार 480 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार चिकित्सा शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के साथ-साथ उच्च शिक्षा पर भी बजट में पर्याप्त प्रावधान किया गया है। मैं इस सदन की नेता को बधाई देना चाहता हूं, हृदय से मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने शिक्षा के ऊपर इतना ध्यान दिया है। शिक्षा वह गंगा की धारा है जो विद्यालय रूपी हिमालय से निकलकर जिस तरफ से निकल कर जाती है। समस्त पाप का नाश करते हुए समाज के अन्दर चेतना पैदा करती है। निश्चित रूप से शिक्षा के ऊपर जो प्रावधान बजट में हुए हैं, मैं उसका हृदय से समर्थन करना चाहता हूं। आज इस शिक्षा व्यवस्था के ऊपर विपक्ष के कुछ ऐसे साथी कुछ ऐसे सदस्य आक्षेप कर रहे हैं जिन्होंने शिक्षा का इतना अवमूल्यन कर दिया है इसे बिल्कुल मजाक बनाकर रख दिया है। उसका जिक्र करते हुए सिर शर्म से झुक जाता है, मैं जनपद गाजीपुर से आता हूं जो कभी वीरों और विद्वानों के लिए जाना जाता था, आज वहां वीरों का स्थान किन लोगों ने ले लिया है यह किसी से छिपा नहीं है। लेकिन जहां तक विद्वानों की बात है अगर रिकार्ड उठाकर देखेंगे तो चाहे वह प्राथमिक विद्यालय हों, चाहे महाविद्यालय हों और चाहे इण्टरकालेज हों, सबसे अधिक विद्यालय गाजीपुर जनपद में मिलेंगे। लेकिन यदि कोई अच्छी शिक्षा, कोई स्तरीय शिक्षा या कोई रोजगारपरक शिक्षा की जरूरत पड़ती है तो वह गाजीपुर में नहीं मिल पाती। आज विपक्षी लोग इस सरकार की शिक्षा में दिये गये प्रावधानों पर उंगली उठा रहे हैं, यह कहते हुए निश्चित रूप से मुझे गर्व हो रहा है कि वर्तमान सरकार की नीयत है कि शिक्षा में वास्तविक परिवर्तन किया जाए। किसी शायर ने कहा है कि नीयत अगर नेक हो और मीठी हो जुबां भी तो ऐसे में इबादत की जरूरत नहीं होती। यह सरकार की नीयत है कि शिक्षा के माध्यम से समाज में ज्ञान का प्रवाह बढ़ायेंगे।

मान्यवर, यहां पिछले दिनों चुनाव के दौरान मैंने गांव-गांव घूमते हुए बोर्ड की परीक्षाओं का जो नजारा देखा है, उसका जिक्र मैं जरूर करना चाहता हूं। गाजीपुर जनपद में इस देश के तमाम प्रदेशों से चाहे दिल्ली हो, हिमालच प्रदेश हो, जम्मू-कश्मीर हो और चाहे पश्चिम बंगाल हो और यहां तक कि नेपाल से भी परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए गाजीपुर जनपद के विद्यालयों में मेरे द्वारा देखे गये। कदाचित् मेरे मन में हर्ष हुआ कि चलो हमारे गाजीपुर जनपद में शिक्षा का स्तर इतना व्यापक हो गया है कि राष्ट्रीय तो क्या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा जनपद ख्याति प्राप्त कर रहा है। जब मैंने कारण जानने की कोशिश की कि आखिर इसके पीछे राज क्या है तो पता चलता है कि ठेकेदारों द्वारा नकल की इतनी सुगम व्यवस्था गाजीपुर जनपद में करायी जाती है कि दूर-दूर से लोग आकर गाजीपुर जनपद से फर्जी डिग्रियां प्राप्त करने का काम करते हैं। जो

गार्जीपुर कभी विद्वानों के लिए जाना जाता था आज उसकी ख्याति शिक्षा के निम्नतम् स्तर पर पहुंच चुकी है, इससे ज्यादा शर्म की बात और नहीं हो सकती।

मान्यवर, मैं कोई राजा-महाराजा के घर पैदा हुआ कोई नौजवान नहीं, मैं भी एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ, मैंने भी भूख और रोटी के रिश्ते को करीब से देखा है, किसी शायर ने कहा है कि-

"भरा है पेट तो संसार जगमगाता है,
खाली है पेट तो ईमान डगमगाता है।"

लेकिन इस पर कहां से नियंत्रण होता है, ईमान को डगमगाने से बचाया जा सकता है तो वह केवल शिक्षा है। (प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा बोलने पर शोर) माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मैं पहली बार चुनकर आया हूं अपने साथियों से भी मैं कहना चाहता हूं कि कहीं कोई त्रुटि होगी तो जरूर क्षमा कर देंगे, इस तरह से हतोत्साहित करने का काम वह न करें। अपने प्रबोधनों में उन्होंने जो बताया था, मैं उस मसले पर न जा करके मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर कहीं कुछ रोका जा सकता है तो वह शिक्षा के माध्यम से नौजवानों के अन्दर आत्म-विश्वास भर करके, ज्ञान का प्रवाह करके, इस पूरे प्रदेश के अन्दर इतनी बड़ी फौज तैयार की जा सकती है जिसमें समाज के उपयोगी तत्वों का चयन कर सके, स्वस्थ चयन कर सके और इस प्रदेश को प्रगति के रास्ते पर अग्रसर कर सकें। निश्चित रूप से शिक्षा पर इस बजट में जो प्रावधान है वह प्रशंसा के काबिल है और मै इसका समर्थन करता हूं। मैं यह बातें केवल इस बात के लिए नहीं कह रहा था कि बहुत काबिल आदमी हूं। शिक्षा के महत्व को इंगित करने के लिए मैंने यह बातें कही हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद करोड़ों नौजवानों की तरह मैं भी एक बेरोजगार नौजवान की श्रेणी में खड़ा हुआ था। सोचा चलो सरकार की व्यवस्थायें रोजगार के लिए नहीं है, अपनी व्यवस्था का इंतजाम खुद किया जाए और उन व्यवस्थाओं के चलते फुटपाथ से विधान सभा तक पहुंच करके निश्चित रूप से आज यह लगता है कि ईमानदारी से नौजवानों को इसके लिए प्रेरित किया जाना चाहिए और उस प्रेरणा श्रोत में न तो बेरोजगारी भत्ता हो सकता है, न कन्या विद्याधन हो सकती है, वह अगर हो सकती है तो ज्ञान का प्रवाह हो सकता है। आपसे इस सदन के अन्दर कहना चाहूंगा कि बेरोजगारी भत्ते को समाप्त करके रोजगार देने के प्राविधान इस बजट में किये गये हैं उन प्रावधानों का मैं समर्थन करना चाहता हूं, मैं उसका हृदय से स्वागत करना चाहता हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि बेरोजगारी भत्ता उस बैसाखी के समान है जिसके सहारे चलने की अगर एक बार आदत पड़ गयी तो फिर उनको कोई बचा नहीं सकता और इस देश में जो प्रतिभाओं के उत्पन्न होने की अविरल गति है उसमें कहीं न कहीं अवरोध पैदा हो जायेगा। अगर हम वास्तव में चाहते हैं कि नौजवान के जीवन में तरक्की आये, इन नौजवान बेरोजगारों का वास्तव में कुछ विकास हो जाए तो गार्जीपुर जनपद की बात

कहना चाहता हूं कि गार्जीपुर जनपद में एक मात्र अफीम की फैक्ट्री है। आजादी के इतिहास में, इस जनपद के योगदान को बताने की आवश्यकता नहीं है। 20 साल से चीनी मिलें बन्द हैं, नन्दगंज चीनी मिल बन्द पड़ी हुई है। गार्जीपुर जनपद में बेरोजगारी भत्ते के माध्यम से, कन्या विद्या धन के माध्यम से लगभग 30 करोड़ रुपया खर्च किया गया। मैं कहना चाहता हूं कि अगर उस 30 करोड़ रुपये से गार्जीपुर जनपद के अन्दर कोई उद्योग लगाया गया होता कोई ऐसा इंतजाम किया गया होता जिसके माध्यम से नौजवानों को स्थायी रोजगार मिलता मैं नहीं कहता कि सारे नौजवानों को उससे रोजगार मिल जाता लेकिन एक हजार नौजवान भी स्थायी रूप से रोजगार पा गया होता तो सारे समाज के अन्दर एक संदेश जाता। वास्तव में सरकार की नीयत नौजवानों के कल्याण की नहीं बल्कि वोटों के खातिर चुनाव के वक्त रुपया बांटकर अपने हितों के संरक्षण की थी। नौजवानों के लिए वास्तव में आप चिन्तित थे तो वास्तव में ऐसा प्रयास करना चाहिए था कि उनके जीवन में वास्तव में परिवर्तन आता किसी शायर ने कहा है कि-

तन का काला मिले तो मैं मुंह चूम लूँ,
हम सफर मन का काला नहीं चाहिए।
मुझको जयचन्द जाफर का डाला हुआ,
ऐसा मनहूस प्याला नहीं चाहिए।

कानून व्यवस्था के बारे में जो बात करते हैं मैं उनको बताना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था एक अवरत प्रक्रिया है यह डेढ़ महीने में नहीं उत्पन्न हुई यह पिछले तीन साल का कूड़ा है उसको साफ करने में थोड़ा वक्त लगेगा। मैं इस सदन की नेता और हमारी लोक प्रिय मुख्य मंत्री बहन मायावती को बधाई देना चाहता हूं कि जब कभी वह सरकार में आई उनके माध्यम से समाज में एक संदेश गया कि हम अपराधियों और गुण्डा तत्वों को उनकी जगह पहुंचाना चाहते हैं अफसोस की बात है कि उसके बाद की सरकारों के समय में अपराधियों और गुण्डों को महिमा मण्डित करने का प्रयास किया गया।

श्री अधिष्टाता-

अब समाप्त करें।

डा0 राजकुमार सिंह गौतम-

अपराधियों को इतना महिमा मण्डित किया गया कि उनको नायक की तरह पेश किया जाने लगा जब सरकारों का यह चरित्र रहेगा तो क्या होगा। कानून व्यवस्था को चार दिनों का मामला नहीं है अगर पक्ष और विपक्ष की बात दरकिनार कर दें तो जिन बातों को लेकर आज हम अपना कालर टाइट करते हैं परम्पराओं पर गर्व करते हैं क्या उस दौर में अपराधियों के साथ सरकार और समाज का यही बर्ताव रहा करता था।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें। काफी समय हो रहा है।

श्री राज कुमार गौतम-

मान्यवर, दो शेर अर्ज करना चाहता था।

श्री अधिष्ठाता-

अब नहीं। फिर कभी बोल लीजिए।

श्री सुनील कुमार शर्मा-

अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे वर्ष 2007-08 के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं गाजियाबाद क्षेत्र से आता हूं मेरे क्षेत्र गाजियाबाद में 9 लाख मतदाता हैं एक विधान सभा से तीन गुना क्षेत्र है। इसलिए निवेदन है कि मुझे पूर्व वक्ता से तीन गुना ज्यादा समय मिलना चाहिए।

मान्यवर, गाजियाबाद एक औद्योगिक क्षेत्र है और प्रदेश का सर्वाधिक राजस्व गाजियाबाद जनपद से आता है। मैं पढ़ रहा था, प्रदेश सरकार ने जो स्टाम्प वसूली का लक्ष्य 4276 करोड़ रुपये रखा है। मान्यवर, इसका 50 प्रतिशत गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर से है। चाहे व्यापार कर हो या अन्य कर हो, गाजियाबाद सबसे अधिक राजस्व देता है। दूसरी दृष्टि से भी देखा जाय तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का द्वार है। दिल्ली से उत्तर प्रदेश में आप प्रवेश करेंगे तो गाजियाबाद से होकर गुजरना पड़ेगा। मान्यवर, ऐसा शहर जो हमारा प्रवेश द्वार है उसका सौन्दर्यीकरण करना पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है। लेकिन इस बजट में इसके विकास के लिए कोई प्राविधान नहीं किया गया है। गाजियाबाद औद्योगिक नगरी है लेकिन इस बजट में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये, नये उद्योग लगाने के लिये कोई प्राविधान नहीं किया गया है। मान्यवर, आज गाजियाबाद में स्थिति यह हो गई है कि यहां से उद्योग पलायन करके उत्तरांचल में जा रहे हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि गाजियाबाद के उजड़ते हुए उद्योगों को बचाने के लिये प्रयास करना चाहिए। यहां के औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों की हालत जर्जर हो गई है। गाजियाबाद में जो भी अधिकारी जाते हैं वे वहां धन कमाने के लिये जाते हैं। अभी यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के कार्यालय को सील किया गया था वहां करोड़ों रुपये गाजियाबाद के अधिकारियों ने अनेकों तरीकों से वसूला। मान्यवर, वहां पर औद्योगिक क्षेत्र में सड़कें ठीक होनी चाहिए। मैं औद्योगिक क्षेत्रों की सड़कों के लिये अलग से प्राविधान किये जाने की मांग करता हूं। गाजियाबाद में सबसे बड़ी समस्या वहां पर बढ़ता हुआ जन दबाव है। आज वहां स्थिति यह है कि हर दिन पूरे भारत से पूरे प्रदेश से लोग यहां आते हैं और वहीं बस जाते हैं। चाहे दिल्ली हो, नोएडा हो, गाजियाबाद हो यहां काम करने वाले श्रमिक यहीं गाजियाबाद में रहते हैं। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा मात्र प्रापर्टी डीलिंग का काम किया गया हैं मजदूर, श्रमिक, गरीब तबके के लोग कहां रहेंगे इसके

बारे में कोई विचार नहीं किया है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने कभी इसकी चिन्ता नहीं की, उनको बसाने की व्यवस्था की जाय। मान्यवर इसका लाभ उठाकर भू-माफियाओं ने अवैध रूप से कालोनी विकसित की हैं और इन गरीब लोगों के पास कोई चारा नहीं था अव्यवस्था के कारण, मजबूरी के कारण ऐसी कालोनी में इन लोगों ने छोटे-छोटे प्लाट खरीदकर अपने घरौंदे बसाये। इस तरह की 258 कालोनियां हैं जिनको गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने अवैध घोषित किया है। इनमें लाखों लाख लोग रहते हैं। नगर निगम उनको अवैध बस्ती बताकर वहां पर कोई काम नहीं कर सकता। विद्युत विभाग उनको अवैध बस्ती बताकर वहां विद्युत कनेक्शन दे नहीं सकता। उत्तर प्रदेश सरकार के गरीबों के लिये कोई प्राविधान नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट में उन गरीबों के लिये, क्योंकि मान्यवर वहां पर सर्वाधिक दलित और गरीब मजदूर लोग रहते हैं। इनके लिये व्यवस्था की जानी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करिये।

श्री सुनील कुमार शर्मा-

मान्यवर, दो मिनट का समय और दे दें। यह बहुत महत्वपूर्ण बिन्दु मैं रखना चाह रहा हूं। मेरे क्षेत्र में दिल्ली से घुसते ही नोएडा गाजियाबाद के बीच में खोड़ा क्षेत्र आता है कहने को तो वह ग्राम पंचायत है और उसमें 40 कालोनियां हैं जिसमें 5 लाख की आबादी है। वहां रहने वाले लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं। ऐसा तो नर्क में भी नहीं होगा। मान्यवर, जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस क्षेत्र में अपनी चुनाव सभा की थी तो मैं सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि उन्होंने कहा था कि वो खोड़ा कालोनी को नगर पालिका घोषित करेंगी। लेकिन बजट में उसका कोई उल्लेख नहीं आया। मेरा आपसे अनुरोध है कि खोड़ा को नगर पालिका घोषित किया जाय। जब एन0सी0आर0 बोर्ड का गठन हुआ था तो चार राज्यों के साथ उसका अनुबन्ध हुआ था। और उस अनुबन्ध के अनुसार दिल्ली से 40 किमी0 की परिधि में जितना भी क्षेत्र जिस राज्य का आता था उसका विकास दिल्ली की तर्ज पर किया जाना था लेकिन सरकारी उदासीनता के चलते उसका अनुपालन आज तक नहीं हो सका। इसमें प्रदेश सरकार को बहुत थोड़ा बजट देना था। इसके लिये भी धन की व्यवस्था की जाय ताकि दिल्ली की तरह यह क्षेत्र भी विकसित होगा तो इसका लाभ उत्तर प्रदेश को मिलेगा। प्रदेश के राजस्व में वृद्धि होगी। एन0सी0आर0 बोर्ड को जितना पैसा प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाना है उसके लिये बजट में प्राविधान होना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

और भी मा0 सदस्यों को भाग लेना है। ज्यादा समय आपके हिस्से में चला जाएगा तो और मा0 सदस्य कैसे बोलेंगे।

श्री सुनील कुमार शर्मा-

एक मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं। हायर एजूकेशन का विषय आया इसमें कोई विशेष उल्लेख इस सम्बन्ध में नहीं किया गया है। मैं बताना चाहता हूं कि इस सदन को कि गाजियाबाद नगर में 28 हजार लोगों ने इण्टरमीडिएट की परीक्षा पास की हैं जिसमें से 10 हजार को प्रवेश की सीटें उपलब्ध हैं 18 हजार छात्रों का भविष्य अन्धकार में हैं उच्च शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं उनका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि गाजियाबाद में इस ओर ध्यान दें। प्राइमरी शिक्षा की बात चल रही थी कि बहुत अच्छा बजट दिया है। लेकिन वह बजट तब तक कार्यान्वित नहीं होगा, क्योंकि जनगणना हो तो प्राइमरी शिक्षक लगा दिये जाते हैं। पल्स पोलियो हो तो प्राइमरी के शिक्षक लगा दिये जाते हैं कोई भी कार्यक्रम सरकार का आए तो प्राइमरी शिक्षकों को लगा दिया जाता है। मान्यवर, प्राइमरी स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं तो नुकसान तो उनको उठाना पड़ता है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। एक विषय की तरफ और ध्यान दिलाना चाहता हूं। जिसकी तरफ पूरे सदन की संवेदना होनी चाहिए वह मानवता से जुड़ा है। आज आप शहरों में जायेंगे, सड़कों पर गरीब बच्चे जब हम धूप में खड़े नहीं हो सकते हैं नंगे बदन और नंगे पांव भिक्षा मांगते रहते हैं। इनसे ज्यादा गरीब और दलित कोई दूसरा नहीं हो सकता है। इसकी तरफ भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

(श्री सुन्दरलाल लोधी का नाम पुकारा गया)

श्री सुनील कुमार शर्मा-

मैं एक बात और इस विषय से हटकर कहना चाहता हूं मा0 त्रिपाठी जी ने एक विषय रखा था चूंकि मैं भी ब्राह्मण समाज से हूं मैं उस बात का विशेष उल्लेख करना चाहता हूं। मेरे कई बड़े भाई वहां बैठे हैं मा0 त्रिपाठी जी, मा0 उपाध्याय जी, मा0 नकुल दुबे जी, मा0 मायावती जी जो हमारी मुख्य मंत्री जी हैं उनसे प्रेरणा लेकर आप भी कुछ ऐसा करें जिससे लगे कि आप भी अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं। मान्यवर, एक ही वर्ग के चित्र आपके कार्यालयों में दिखाई देते हैं। किसी ब्राह्मण समाज के महापुरुष का चित्र आपके कार्यालय में दिखाई नहीं देता है। कम से कम बहन मायावती जी से प्रेरणा लेकर के कुछ ऐसा कर दिखाएं। इस बजट की पुस्तिका में कई महापुरुषों के नाम आए हैं। प्रमुख अर्थशास्त्री....

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें। दूसरे मा0 सदस्य को बुला लिया है।

**श्री सुनील कुमार शर्मा-**

तो लगता कि यह सर्वजन की सरकार है लेकिन एजेन्डा वही पुराना है। हो सकता है कुछ लोग खुश हो रहे हों कि एक वर्ग को सम्मान मिल गया हैं यह सम्मान नहीं उपयोग है समय बतायेगा। मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

**श्री सुन्दरलाल लोधी-**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, समय कम है, आपने इस बजट पर बोलने का समय दिया इसके लिए आपको बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आपकी दोनों आंखें इधर की और उधर की जलें (लालबत्ती) इससे पहले हम अपनी बात समाप्त कर देंगे। क्योंकि हां और ना के हमारे सम्मानित सदस्य, क्योंकि हमारे कुछ मा0 सदस्य पक्ष में हैं कुछ विपक्ष में हैं। हम विपक्ष की ओर से जो बातें आ रही हैं उनको नहीं दोहरायेंगे परन्तु फिर भी कुछ कहना आवश्यक है। बड़ी मुश्किल में हमारे मा0 सदस्य चुनकर आए हैं दो-दो मिनट में उनकी बातें आ जाए तो उनकी उपस्थिति हो जाएगी। क्योंकि बड़े-बड़े नेता सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के बारे में ज्ञानवर्धन कर रहे हैं तो उनको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। हम मात्र संक्षेप में आपको बताना चाहते हैं। हम आपको उन्नाव की ओर ले चल रहे हैं, जो हमारा क्षेत्र है। उन्नाव यहां से थोड़ी दूरी पर है। मान्यवर, यहां से जब आप कानपुर जाने लगे रास्ते में उन्नाव पड़ता है। जहां से दुर्गन्ध आने लगे तो समझ लें हम उन्नाव पहुंच गये हैं और यदि कानपुर से लखनऊ की ओर चलें गंगा बैराज की तरफ निकलें तो आप समझ लें कि उन्नाव आ गये हैं। उन्नाव शहर में चारों ओर इन्डस्ट्री लगी हैं उनका कचड़ा निकलता है लोगों का जीना दूभर हो गया हैं लोग विकलांगता की ओर बढ़ रहे हैं। उनकी ओर मेरी समझ में इस बजट में कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मान्यवर, दो तीन बातें हम कहना चाहेंगे मान्यवर, दो-एक बिन्दुओं पर मैं एक-एक मिनट में अपनी बात रखूंगा। मान्यवर, उन्नाव ऋषियों, मुनियों का क्षेत्र रहा है। हमारे राम का कार्य क्षेत्र रहा है, सीता जी ने वनवास वहीं पर काटा है, वाल्मीकि जी जो महान ऋषि हुए हैं, उस समय के उनके नाम के ऊपर उस क्षेत्र में कहीं-कहीं पर स्तम्भ बने हुए हैं। वाल्मीकी जी का कार्य क्षेत्र भी उन्नाव ही रहा है, परशुराम जी का भी कार्य क्षेत्र वहीं रहा है टण्डन जी ने अभी कुछ इशारा किया था और वह इशारा, मैं ज्यादा दूर नहीं जाना चाहता हूं उनके भी सभ्रान्त व्यक्ति उन्नाव से ही हैं, उनका भी कार्य क्षेत्र उन्नाव रहा हैं ऐसे-ऐसे मुनियों का कार्य क्षेत्र रहा हैं आजादी में भाग लेने वाले सर्वप्रथम शहीद गुलाब सिंह लोधी जैसे व्यक्ति जो आजादी के लिए शहीद हो गए, उनका भी क्षेत्र उन्नाव रहा है। परन्तु मान्यवर, इन ऋषियों, मुनियों के नाम के ऊपर हमारे इस उन्नाव को पर्यटन क्षेत्र बनाने के लिए एक भी शब्द इस बजट में नहीं आया है जब कि वह क्षेत्र पहले ही पर्यटन क्षेत्र बन जाना चाहिए था, परन्तु वह नहीं बन सका और अब दलितों का और सर्वजन का सम्मान करने वाली सर्वप्रिय मुख्य मंत्री हैं, हम यह अपेक्षा जरूर करेंगे कि उन्नाव में कम से कम एक

पर्यटन क्षेत्र बन जाये जो उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा भाग वहां के ऊपर पर्यटन के लिए अब भी आता है, ज्यादा आने-जाने लगेगा।

मान्यवर, सिंचाई के सम्बन्ध में एक शब्द कहूंगा, वह शब्द है कि सरकार ने छोर तक पानी पहुंचाने का वायदा किया है। हमारा उन्नाव सौभाग्य से नहरों के जाल से बिछा है नहरें हैं लेकिन उन नहरों की सफाई न होने के कारण टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है। वहां के लोग भुखमरी की कगार पर आ गए हैं, जब वहां सिंचाई के साधन नहीं हैं। इसी तरह से एक छोटी सी माइनर, 4 किलोमीटर की, तारगांव माइनर है, उसकी सफाई नहीं हुई तो 2, 3, 4 गांव के लोग वहां से पलायन कर जायेंगे। हम अपेक्षा करेंगे कि इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। अधिष्ठाता महोदय, हमारे यहां बिजली का बहुत बड़ा स्टेशन 800 के0वी0ए0 का है।

श्री अधिष्ठाता-

आपको दो मिनट का समय दिया गया था, बाकी सदस्यों का भी ध्यान रखिए। बजट पर बात न करके आप अभी दूसरी विषयों पर चर्चा कर रहे हैं।

(इस समय 1 बजकर 32 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री सुन्दर लाल लोधी-

मान्यवर, बधाई देने का मौका दे दें, बधाई देकर हम अपनी बात समाप्त कर देंगे। मान्यवर, मैं बिजली की ओर विशेष रूप से आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा विद्युत का केन्द्र है जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश को विद्युत सप्लाई होती है, परन्तु चिराग तले अंधेरा है, उन्नाव उससे वंचित है। हम पुनः अपनी एक छोटी सी कहावत के माध्यम से चूंकि हमारे गौतम जी बोल रहे थे, हमें अच्छा लग रहा था, बहुत बढ़िया बोले थे तारीफ के काबिल है। परन्तु मित्रों, हमारे पिता के साथ में एक हमारे मित्र आते थे, वह सौभाग्य से अंधे थे, उनके हाथ में एक बटेर आ गई थी, तो उन्होंने कहा कि अंधे के हाथ में जब बटेर आ जाए तो उस बटेर को बड़े सुचारू रूप से रख करके और प्यार से रखें, उसको हिफाजत से रखें। तो मान्यवर, हम यही आपसे अपेक्षा करेंगे कि यह जो सत्ता आपको बहुमत की मिली है, इस सत्ता को हिफाजत से रखें और जनता की भलाई के कार्य करें। पुनः मान्यवर, हम आपको बधाई देते हुए, अपनी बात को विराम देते हैं, धन्यवाद, जय हिन्द।

*डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि इस बजट पर मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बातें रखूंगा। मैं इस सरकार के ऊपर आरोप अवसर के खोने का लगाता हूं। 60 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत सरकार के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

योजना आयोग ने उत्तर प्रदेश की सम्पूर्ण वित्तीय व्यवस्था का मूल्यांकन करवाया। हर विभाग का, कृषि का, उद्योग का, सेवा क्षेत्र का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सभी क्षेत्रों का और साधारण लोगों से नहीं। भारत के सर्वोत्तम मनोमस्तिष्क दिमाग रखने वाले, चिन्तन करने वाली सामाजिक संस्थाओं से कराया। नेशनल काउंसिल आफ एप्लायड रिसर्च के द्वारा करवाया, नेशनल काउंसिल आफ एग्रीकल्चर इकानामी एण्ड पालिसी रिसर्च, नेशनल इनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा करवाया, नेशनल इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक फाइनेंस रिसर्च के द्वारा करवाया और वाटर एण्ड पावर कंसलटेटिव सर्विसेज के द्वारा करवाया। यह पांच भारत की मानी हुई संस्थाएं हैं। उन्होंने पूरे प्रदेश का हर विभाग का डाटा इकट्ठा किया और उसका एक मूल्यांकन तैयार किया। 60 सालों के इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश की डेवलपमेंट रिपोर्ट योजना आयोग ने प्रकाशित कर दी। योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने उस रिपोर्ट पर अपने फारवर्डिंग लेटर लिखे हैं। यानी कि सरकार के पास वह रिपोर्ट होगी। लेकिन जो बजट यहां प्रस्तुत किया गया और जो मैंने रिपोर्ट पढ़ी तो जो रिपोर्ट आई और जो बजट प्रस्तुत है उसका कोई मेल ही नहीं है। या तो अधिकारियों ने मंत्रियों और मुख्य मंत्री को बताने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाए। और बता पाए तो समझा नहीं पाए। अन्यथा इन 60 सालों में उत्तर प्रदेश का विकास क्यों पिछड़ गया हमारी कौन सी ताकत है, किन क्षेत्रों में हम बेहतर हैं और किन क्षेत्रों में हम कमजोर हैं, हमें क्या करना चाहिए किस विभाग में कौन सी नीति बनानी चाहिए जिससे आज इस उदारीकरण के दौर में हम जो बहुत पिछड़ गये, यह सच्चाई है।

आप 5वीं व 7वीं पंचवर्षीय योजना, 1990-91 और 1991-92 के बजट को देख लीजिए। हमारा जो विकास दर था देश की विकास दर से अच्छा था। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में देश का विकास दर 5.3 प्रतिशत था और हमारे प्रदेश का विकास दर 5.4 प्रतिशत था। 1990-91 और 1991-92 के दौर में हमारा विकास दर 3.3 प्रतिशत और देश का विकास दर 2.9 प्रतिशत था। अर्थात् हमारे अन्दर क्षमता थी। हमारे यहां संसाधन भी बहुत हैं। लेकिन जब उसके बाद उदारीकरण का दौर आया तो निश्चित रूप से बहुत सारी कमियों के नाते हम पिछड़ते चले गये। आज स्थिति यह है कि आज देश के औसत नागरिक की प्रतिव्यक्ति औसत आय 23 हजार 308 रुपये है और उत्तर प्रदेश के नागरिक की प्रति व्यक्ति औसत आय 11 हजार 207 रुपये है। सीधे 12 हजार 101 रुपये का अन्तर है। 51.9 प्रतिशत का अन्तर है। अगर हमने उस रिपोर्ट को पढ़ा होता तो शायद यह सारी जानकारी होती कि विभिन्न विभागों की बेहतरी के लिए हमें क्या करना चाहिए। मैंने पूरे बजट को पढ़ा है। एक पर भी हम सोचते नहीं हैं। हम चिन्तन नहीं करते हैं। कोई और हमारे लिए सोच कर चिन्तन करके देता है तो हम उसका उपयोग नहीं करते तो आखिर कुछ चिन्तन करने से फायदा क्या। मैं चाहूंगा कि यह सरकार उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट रिपोर्ट को इस सदन में रखे। क्योंकि इस सरकार ने सबसे बड़ी गलती क्या की, अगर हम बहुत सारे दलों को मिलाकर सरकार चलाते तो हमारी मजबूरी होती है

कि हम अपने राजनीतिक स्थायित्व के नाते हम वित्त मंत्री नहीं बना पाते। 16 साल के बाद पहली बार सरकार आई है जिसे सीधा बहुमत है। माननीय श्री हरीशचन्द जी के बाद से अभी तक इस प्रान्त में कोई वित्त मंत्री नहीं हुआ है कौन नीतियां बनाए, कौन उन्हें कार्यान्वित करेगा, कौन उन्हें नियंत्रित करेगा। इस सरकार ने यह तो कह दिया मैंने देखा कि माननीय मुख्य मंत्री जी का बयान आया था कि जब कोई नई सरकार बनती है तो 3, 4 महीने के लिए एक विधिक सलाहकार की जरूरत होती है काश माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह महसूस किया होता कि जब एक नई सरकार आती है तो उसे विधिक सलाहकार के साथ-साथ एक वित्तीय सलाहकार की भी जरूरत होती है कोई वित्त मंत्री होता जो सारी चीजों को बना रहा होता तो यह जो बजट आया तो शायद यह न आया होता।

हम किसी भी मामले में देश में पीछे नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, 34 प्रतिशत हम गेहूं पैदा करते हैं, 38 प्रतिशत गन्ना पैदा करते हैं, 39 प्रतिशत आलू पैदा करते हैं, 18 प्रतिशत दलहन की चीजें हम पैदा करते हैं, 13 प्रतिशत धान हम पैदा करते हैं और सबसे अधिक आलू पैदा करने वाले प्रान्त में आज तक पोटेटो चिप्स की एक फैक्ट्री तक नहीं लगी है। हमारी चिन्ता में नहीं आता है। हमारे गन्ने की रिकवरी बहुत कम है। कौन सी परिस्थितियां हैं जिससे हमारा किसान भी, साढ़े नो प्रतिशत की रिकवरी गन्ना मिल में देने की जगह वह सात प्रतिशत की रिकवरी वाली खाण्डसारी मिल को, खांडसारी केन्द्र को अपना गन्ना देना बेहतर समझता है। तो कहीं न कहीं आपने नीति बनायी होती तो जो स्वाभाविक रूप से हमारा कृषक, देश के मुकाबले में जो पिछड़ा हुआ है, प्रति व्यक्ति आय में पिछड़ा है, हमने बेहतर किया होता। माननीय अध्यक्ष जी, 33 प्रतिशत प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ हमारे प्रदेश में बनता है। हम 29 प्रतिशत बिजली उपकरण बनाते हैं, 17 प्रतिशत कारपेट बनाते हैं, 20 प्रतिशत मोटर वैहकिल्स बनाते हैं, 12 प्रतिशत मोटर गाड़ियां हम बनाते हैं, 14.15 प्रतिशत हम टायर ट्यूब तथा प्लाटिक का सामान बनाते हैं। तो इतनी सारी क्षमताओं के बावजूद मान्यवर, पूरे देश में अकेला उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसके जिले पहचाने जाते हैं, चाहे वह सहारनपुर जिला हो, फिरोजाबाद हो, आगरा हो, कानपुर हो, मेरठ हो, बनारस हो या गोरखपुर टेराकोटा के लिए पहचाना जाता है, सब जिलों की अपनी-अपनी पहचान है, क्षमता है। इतने विद्युत केन्द्र हमारे हैं फिर भी बैठकर हम नीतियां नहीं बना पा रहे हैं। हमारे विभिन्न जिले इतने विकसित हैं, विभिन्न जिलों के विकास में हमने इतनी प्रतिष्ठा पायी है, तो किस प्रकार मिलकर हम नीतियां बनायें जिससे प्रति व्यक्ति आय बढ़ सके। मान्यवर, हम बात करते हैं पूंजी निवेश की। जो हमारे पास आंकड़े हैं, इस प्रदेश में 1.7 प्रतिशत पूंजी निवेश होता है जबकि इस समय विदेशी पूंजी निवेश जिन क्षेत्रों में आ रहा है उसमें पचास प्रतिशत ऐसे हैं जिसमें हमें विशेषज्ञता प्राप्त है। आज पैसा आ रहा है-संचार में, टैक्सटाईल और कागज के क्षेत्र में, पैसा आ रहा है ट्रांसपोर्ट में, हमें इन क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त है। 48 प्रतिशत एफ0डी0आई0 इन्हीं क्षेत्र में आता है तो आखिर कौन सी वह कमियां हैं जिसके नाते आते हुए पैसे को हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। हमें यह व्यवस्था देनी होगी कि अगर वह प्रत्यक्ष पूंजी

निवेश हो रहा है, अगर 18 प्रतिशत महाराष्ट्र में, 14 प्रतिशत दिल्ली में आ रहा है, आंध्र प्रदेश में सात प्रतिशत हो जा रहा है तो कौन सी परिस्थितियां हैं कि उत्तर प्रदेश में केवल 1.7 प्रतिशत ही पूंजी निवेश होता है। इसका सीधा सम्बन्ध मान्यवर, अवस्थापना सूचकांक से और जो इन्सेंटिव कम देते हैं उस सूचकांक से होता है। हम जब तक बाहर से पैसा देने वालों को वह सारी अवस्थापना सुविधाएं मुहैय्या नहीं करायेंगे तो स्वाभाविक है कि पूंजी निवेश नहीं मिलेगा। मान्यवर, छः लाख करोड़ निजी क्षेत्र में पूंजी निवेश की कल्पना है दसवीं पंचवर्षीय योजना का जो बजट है, पिछले पांच साल में चला, पूरी सरकार ने दो लाख सत्ताइस हजार करोड़ की कल्पना थी।

श्री अध्यक्ष-

कृपया समाप्त करें।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, जब 48 हजार करोड़ का पूंजी निवेश हो पाया, मैं यह सुन रहा था, जब 48 हजार करोड़ रुपये के पूंजी निवेश का वायदा हम नहीं करा पाये तो छः लाख करोड़ का पूंजी निवेश कहां से आने वाला है ऐसी परिस्थितियों में मैं नहीं जानता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।

मा0 मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)-

माननीय अध्यक्ष जी, पिछले महीने 29 जून, को मैंने वित्तीय वर्ष 2007-2008 का बजट इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिस पर इस महीने की तीन तारीख से लगातार लम्बी चर्चा हुई है और जिसमें लगभग सभी दलों के मा0 नेताओं व अन्य मा0 सदस्यों ने तथा काफी नये सदस्यों ने भी खुलकर अपने विचार व्यक्त किये हैं, जिसका मैं आभार व्यक्त करती हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, इस बार प्रदेश का बजट हर मामले में इतना बेहतरीन है कि इसके विरोध में समूचे विपक्ष के पास कोई भी ठोस मुद्दा अब बोलने के लिए नहीं बचा है। इसलिए यही मुख्य कारण है कि सदन में प्रमुख विपक्षी दल या प्रतिपक्ष के नेता माननीय श्री मुलायम सिंह यादव इस बार हमारी पार्टी की सरकार के बजट पर कुछ भी बोलने के लिए वह हिम्मत नहीं जुटा पाये हैं और इस मामले में जहां तक अन्य दलों के माननीय नेताओं द्वारा व्यक्त किये गये विचारों का सवाल है, उनके विचारों को भी सुन कर हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने भी केवल विपक्ष की रश्म अदायगी ही पूरी की है, लेकिन फिर भी समूचे विपक्ष की ओर से बजट को लेकर सदन में जो भी प्रतिक्रिया या शंकायें व्यक्त की गई हैं, उनका जवाब देना मैं बहुत जरूरी समझती हूं ताकि विपक्ष इसकी आड़ में कोई भी राजनीतिक लाभ न उठा सके।

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार के बजट पर चर्चा करते हुए सबसे पहले समाजवादी पार्टी की ओर से यह प्रतिक्रिया जाहिर की गई है कि बी0एस0पी0 की सरकार के बजट में सर्वजन हिताय की जो बात कही गई है, यह सब समाजवादी पार्टी की विचार धारा का ही बी0एस0पी0 के ऊपर असर है। वह सारा श्रेय अपने आप को ले रहे हैं, लेकिन सपा की इस बात से हमारी

पार्टी कतई सहमत नहीं है क्योंकि सपा की विचार धारा कभी भी सर्वजन हिताय की नहीं रही है बल्कि सपा की विचारधारा तो सही मायने में मनी, माफिया, गुण्डे, बेइमानों, वैमनस्य, क्षेत्रवाद और बिरादरीवाद की रही है, इसीलिए ही यू0पी0 की जनता ने समाजवादी पार्टी को आज विपक्ष में लाकर बैठा दिया, लेकिन हमारी पार्टी केवल सर्वजन हिताय की बात करती है। करती ही नहीं बल्कि उनके डेवलपमेन्ट के लिए वह काफी गम्भीर है। इसलिए हमारी पार्टी को अभी कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश में जो विधान सभा के आम चुनाव हुए उस आम चुनाव में हमें बहुजन समाज के लोगों ने ही नहीं बल्कि अपर कास्ट समाज के लोगों ने भी अदर सर्वसमाज के लोगों ने भी हमको वोट देकर उधर नहीं बल्कि सत्ता पक्ष की ओर बैठाया। इसके साथ-साथ माननीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी की ओर से यह भी बात कही गई है कि बी0एस0पी0 अब अपनी मूल विचार धारा से हट गई है। इस पर काफी जोर दिया है कि अब बहुजन समाज को छोड़कर सर्वजन की बात करने लगे हैं।

मान्यवर, मुझे समझ में नहीं आता, जब हमने बहुजन समाज पार्टी को बनाया था तो सबसे पहले बहुजन समाज के लोगों को जोड़ने का काम शुरू किया पूरे देश में तो समाजवादी पार्टी और अन्य सभी विरोधी पार्टी जो हैं, हमारे ऊपर यह आरोप लगाते थे कि बी0एस0पी0 अपर कास्ट समाज के खिलाफ है और खासतौर से बी0एस0पी0 की विचारधारा को लेकर इस किस्म के आरोप वह लगाते थे। यह कहकर के कि बी0एस0पी0 केवल बहुजन समाज के हितों का ख्याल रखती है अपर कास्ट समाज का ख्याल नहीं रखती है और इसकी विचारधारा बहुजन समाज के हित में है अपर कास्ट समाज के हित में नहीं है। लेकिन मैं आज समूचे विपक्ष को यह बताना चाहती हूं और खासतौर से समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्यों को यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि बी0एस0पी0 की विचारधारा न तो शुरू में, न बाद में बदली है। हमारी जो विचारधारा शुरू में थी वह अभी तक चली आ रही है। उसकी मूल विचारधारा में कोई तब्दीली नहीं हुई है। सवाल केवल बी0एस0पी0 की विचारधारा को समझने का है क्योंकि यदि आप लोगों ने बी0एस0पी0 की मूल विचारधारा को समझ लिया होता तो शायद पिछले वर्षों में जो विपक्षी पार्टियां पार्टी की विचारधारा पर आरोप लगाती रही थी कि बी0एस0पी0 अपर कास्ट समाज के खिलाफ है, यह आरोप नहीं लगता। खैर देर आये दुरुस्त आये। पार्टी की विचारधारा को लोग समझने लगे हैं, विरोधी पार्टी भी समझने लगी है। लेकिन मजबूरी है उनकी, उनको तकलीफ हो रही है कि बहुजन समाज तो चला गया अब यदि अपर कास्ट समाज भी चला गया तो हमारा क्या होगा। इसलिए आपकी यह राजनीतिक मजबूरी है जिसको ध्यान में रखकर, सब कुछ जानते हुए भी कि बी0एस0पी0 की विचार धारा अपर कास्ट के खिलाफ नहीं है और यह भी जानते हुए कि बी0एस0पी0 ने अपनी मूल विचार धारा में कोई तब्दीली नहीं की है, फिर यह कहना कि अपर कास्ट समाज के लिये पार्टी ने अपनी मूल विचारधारा में तब्दीली कर दी है यह गलत है। इसलिए जो बी0एस0पी0 की मूल विचारधारा है उसको स्पष्ट करना चाहती हूं। पार्टी की

विचारधारा जो है वह किसी जाति और धर्म के खिलाफ नहीं है। पार्टी की विचार धारा बिल्कुल स्पष्ट है। बी0एस0पी0 जो इस देश में गैर-बराबरी के आधार पर सामाजिक व्यवस्था है, उसको बदल कर समता मूलक समाज बनाना चाहती है। यह जो गैर बराबरी के आधार पर समाज की व्यवस्था थी, आप लोगों को मालूम है कि इस व्यवस्था के अन्तर्गत लम्बे अर्से से लोग शिकार रहे हैं। इस देश में जो दबे कुचले लोग हैं जिनको लोग बहुजन समाज के नाम से पुकारते हैं यह सबसे ज्यादा शिकार रहे हैं। लेकिन हमने उनको भाईचारे के आधार पर आपस में जोड़ा है। इसी आधार पर मैं कहती हूं कि बी0एस0पी0 का विचार धारा इस देश में समता मूलक समाज की व्यवस्था बनाना चाहती है। तो समता मूलक समाज की व्यवस्था में हम केवल बहुजन समाज के विभिन्न अंगों को जोड़कर हम लोग समता मूलक समाज नहीं बना सकते थे जब तक सर्व समाज को भाई चारे के आधार पर न जोड़ लेते। (मेजों की थपथपाहट) यह सोच बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर जी की भी थी। वे कोई अपर कास्ट के खिलाफ नहीं थे। बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर जी की सोच के आधार पर बी0एस0पी0 का गठन किया गया। यदि पार्टी की विचारधारा अपर कास्ट समाज के खिलाफ होती तो हम समता मूलक समाज की बात क्यों करते। यानी बहुजन समाज पार्टी सर्वसमाज के जो विभिन्न अंग हैं उन सबको भाईचारे के आधार पर जोड़ना चाहती है और साथ-साथ इस गैर बराबरी की सामाजिक व्यवस्था के आधार पर शिकार जो लोग हैं, उनको भी जोड़ना चाहती है फिर आप कास्ट समाज को भी जोड़ा। अपर कास्ट समाज को जोड़कर हमने जो बहुजन समाज के लोग थे, जिन लोगों के लिये जाति और धर्म के नाम पर नफरत थी और खाई पैदा की हुई थी। तो हमने पहले बहुजन समाज के लोगों को तैयार करके उनके माध्यम से अपर कास्ट समाज के लोगों को जोड़ने का प्रयास शुरू किया और अपर कास्ट समाज में से हमने लीडरशिप डेवलप की और आप लोगों को मालूम है कि अपर कास्ट समाज मे जो विभिन्न जातियां हैं हमने काफी लीडरशिप डेवलप की और उनके माध्यम से हमने उत्तर प्रदेश में सर्वसमाज को जोड़ने का प्रयास किया और जब अपरकास्ट हमारे साथ में जुड़ने लगा तो बहुजन समाज पार्टी में फिर अपर कास्ट समाज का केवल हमने वोट के लिए ही इस्तेमाल नहीं किया बल्कि हमने उनको अपनी पार्टी के संगठन में भी और जब पार्लियामेन्ट और असेम्बली का चुनाव हुआ तो टिकटों के बटवारे की बात आई तो टिकट देते समय भी सरकार बनने पर भी अपर कास्ट के लोगों को उचित भागीदारी मिले यह हमने पूरी व्यवस्था की।

इस प्रकार यह कहना लेकिन यह आप लोगों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में जब हमने अपर कास्ट समाज में से सही लीडरशिप डेवलप की खास तौर से अपर समाज से ब्राहमण समाज तो जिनको आगे करके, बांकर सेक्सन और ब्राह्मण समाज में काफी जो नफरत पैदा की गयी थी जब हमने भाईचारे में बदला और जिसमें अहम् भूमिका हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्य सभा के सदस्य भी है इस समय कैबिनेट मिनिस्टर भी है श्री सतीश चन्द्र मिश्रा जी उनको आगे करके हमने पूरे उत्तर प्रदेश और बांकर सेक्शन और ब्राह्मण समाज को काफी हद तक

हमने भाई-चारा पैदा किया और अपर कास्ट की जो अन्य जातियां हैं उनमें भी भाईचारा पैदा किया। इस प्रकार से बहुजन समाज की जो मूल विचारधारा है वह किसी जाति और धर्म के खिलाफ नहीं है बल्कि सर्वसमाज के हित में है। लेकिन जो बी0एस0पी0 की विचारधारा है, यानि हम इस देश में तो सर्वसमाज को भाई-चारे के आधार पर जोड़कर हम समतामूलक समाज व्यवस्था को बनाकर सर्वसमाज का हम हित चाहते हैं लेकिन हमारी पार्टी खास तौर से इस बात का ध्यान रखती है कि जब हम सर्वसमाज की बात करते हैं तो हमारी पार्टी की सरकार को पूरा ध्यान है कि सर्वसमाज में से इस देश में जो सदियों से अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से जो विभिन्न सम्प्रदाय के लोग हैं या विभिन्न मजहब के मानने वाले हैं तो जिनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा खराब है खास तौर से अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को तो हमारी पार्टी के लोगों ने सर्वसमाज के हितों का तो ध्यान रखा है लेकिन इसमें भी हमने प्राथमिकता उन अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को और धार्मिक समाज के लोगों को दिया है जिनकी सदियों से उपेक्षा हुई है जिनकी सामाजिक और शैक्षिक क्षेत्र में आर्थिक क्षेत्र में सदियों से उपेक्षा हुई है ऐसे तबकों को हमारी पार्टी की सरकार ने इस बार ही नहीं बल्कि जब-जब भी उत्तर प्रदेश में बी0एस0पी0 के नेतृत्व में सरकार बनी है तब-तब हमारी पार्टी की सरकार ने इसको प्रोथमिकता के आधार पर पूरा-पूरा ध्यान दिया है।

मैं माननीय सदन को यह बताना चाहती हूं कि इसी बात को ध्यान में रखकर हमारी पार्टी की सरकार ने देश में पहली बार यानि की जब 1995 में जब प्रदेश में बी0एस0पी0 की पहली बार उत्तर प्रदेश में मेरे नेतृत्व में सरकार बनी थी तो पहली बार ही हमारी पार्टी की सरकार ने बहुजन समाज में से जो विभिन्न अंग है अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं तो उनकी सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए यह देश में पहली 1995 में बी0एस0पी0 की सरकार बनी जिस सरकार ने इन वर्गों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए उत्तर प्रदेश के अन्दर देश में सबसे पहले उनके वेलफेयर के लिए उनके डेवलेपमेन्ट के लिए हमने वेलफेयर कमीशन बनाया।

अलग-अलग वेलफेयर कमीशन बनाये और वेलफेयर कमीशन केवल कागज पर बनाकर ही नहीं छोड़ दिये थे बल्कि एस0सी0एस0टी0 के लिये अलग से वेलफेयर कमीशन बनाया, बैकवर्ड क्लास के लिये अलग से वेलफेयर कमीशन बनाया और माइनरीटीज के लिये अलग से वेलफेयर कमीशन बनाकर हम इनकी सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति में बड़े पैमाने पर बदलाव लाये। इतना ही नहीं, बल्कि हमारी पार्टी की ही सरकार ने उत्तर प्रदेश में पहली बार अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों की तरह, जब पहली बार हमें उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का मौका मिला था तो यह बी0एस0पी0 की उत्तर प्रदेश में पहली सरकार थी जिस सरकार ने उत्तर प्रदेश मे गरीब अनुसूचित जाति, जनजाति के बच्चों की तरह जो गरीब पिछड़े वर्ग के बच्चे थे या

गरीब धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के बच्चे थे, पढ़ाई लिखाई के मामले में इनको छात्रवृत्ति भी प्रदान की। यह काम भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने ही किया था। इतना ही नहीं, मंहगाई को ध्यान में रखकर हमने छात्रवृत्ति की दर को बढ़ाकर दुगना किया। गरीबी के अभाव में इनके बच्चे बड़ी नौकरियों में नहीं जा सकते थे तो हमने सरकार की ओर से इनके लिये छत्रपति शाहू जी महाराज के नाम से जो कुर्मी समाज से ताल्लुक रखते थे, इनके नाम से हमने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, गोमती नगर क्षेत्र में भागीदारी भवन बनाकर इन गरीब बच्चों के लिये फ्री कोचिंग की व्यवस्था की और इतना ही नहीं, मैं खासतौर से समाजवादी पार्टी के लोगों को यह भी बताना चाहती हूं कि धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज है। आप लोग अपने आपको मुस्लिम समाज के ठेकेदार बताते हो कि हम उनके बड़े हितैषी हैं लेकिन मैं आप लोगों की ठेकेदारी का कच्चा चिट्ठा आज माननीय सदन के सामने खोलना चाहती हूं। क्योंकि मैं बताना चाहती हूं माननीय सदन को, कि जब 1995 में बी0एस0पी0 की पहली बार सरकार बनी थी तो जो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज के लोग हैं उनमें जो पिछड़े वर्ग के लोग थे तो पिछड़े वर्ग के लोगों को पिछड़े वर्ग की तरह बैकवर्ड क्लास में शामिल करके उनको शिक्षा और सरकारी नौकरियों में राज्य स्तर पर आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए, यह फाइल अनुमोदन के लिये जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और श्री मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, यह फाइल उनके पास आई थी, लेकिन उस समय इस फाइल को, जितनी उत्तर प्रदेश सरकार की फाइलें थीं, उनमें सबसे नीचे दबा दिया गया कि सरकार भी बदल जाय तो जल्दी से कोई उस फाइल को देख न सके और इसके पीछे मकसद क्या था कि मुस्लिम समाज में जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उनको आरक्षण की सुविधा न मिल सके। कई महीने से फाइल को दबा दिया गया था लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश में 1995 में मेरे नेतृत्व में सरकार बनी तो मेरी पार्टी की सरकार को जब यह मालूम पड़ा कि फाइल को नीचे दबा दिया गया है, तो उस फाइल को हमने निकलवाया और जो उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम समाज में पिछड़े वर्ग के लोग थे, उनको बैकवर्ड क्लास में शामिल करके उनको सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की सुविधा दी। यह इतना महत्वपूर्ण काम किसी और ने नहीं किया था। यह बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार ने किया था। साथ ही विभिन्न योजनाओं के तहत इन्हें रोजी-रोटी के साधन भी उपलब्ध कराये गये। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि पूर्व में तीन बार जब मेरे नेतृत्व में सरकार बनी और अब जब चौथी बार सरकार बनी है लेकिन बीच बीच में कुछ समय के लिये दूसरी पार्टियों की भी सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की भी बनी, समाजवादी पार्टी की भी बनी लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने खासतौर से जो अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के वेलफेयर के लिये जो योजनायें बनाई थी, उन योजनाओं को इन दोनों पार्टियों की सरकार ने सत्ता में आते ही ठन्डे बस्ते में डाल दिया, वह

केवल कागज पर रह गयी और जो लाभ इन तबकों को जाना चाहिये थी वह लाभ नहीं पहुंचाया गया। लेकिन अब चौथी बार जब मेरे नेतृत्व में सरकार बनी है और इस बार पूर्ण बहुमत के आधार पर बनी है और मैं समझती हूं कि इन तबको के लिए हमारी पार्टी ने जो एक सपना संजोया हुआ है कि यह लोग भी अपर कास्ट की तरह सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र में बराबर हो जाएं, इस सपने को हमारी पार्टी की सरकार जरूर पूरा करेगी और इनके लिए जो योजनाएं पहले हमने बनायी थीं, उन्हें पूर्व सरकारों ने ठण्डे बस्ते में डाल दिया था। अब यह ठण्डे बस्ते में नहीं रहेंगी, अब यह बाहर निकल आयी हैं, बहुत गर्म हो चुकी हैं और बहुत जल्दी ही इन तबकों का उत्थान होगा।

इसी प्रकार बहुजन समाज के साथ-साथ मैं अपर कास्ट समाज के बारे में भी बताना चाहती हूं। हमारी पार्टी की जो सरकार है वह अपनी मूल विचारधारा से नहीं हटी है, मूल विचारधारा यही है कि हम सारी जनता का हित चाहते हैं लेकिन प्राथमिकता ऐसे तबको को दी जाएगी जो सदियों से सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं और इसी प्रकार हमारी सरकार अपर कास्ट समाज में आर्थिक आधार पर जो लोग गरीब हैं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग व धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की तरफ प्राथमिकता के आधार पर पूरा-पूरा ध्यान देगी। यह मैंने खास तौर से जो मूल विचारधारा है, उसके बारे में मैंने बताया कि हमारी पार्टी की जो मूल विचारधारा है उसमें तिल भर भी रद्दोबदल नहीं हुआ है। जो पूर्व में मेरे नेतृत्व में सरकार रही, उस समय जो प्राथमिकताएं हमारी सरकार की रहीं, वह प्राथमिकताएं अब भी हैं। हालांकि पूर्व में वह जितनी तेजी से चलनी चाहिए थी वह नहीं चल पायी थी, क्योंकि दूसरे जो हमारे साथी जो हमारी सरकार के सहयोगी थे वह नहीं चाहते थे। लेकिन मैं फिर भी उनके दबाव में नहीं आई, जितना मैं कर सकती थी दबे कुचले लोगों के लिए मैंने उनका हित किया। इसलिए मैंने खास तौर से विचारधारा के बारे में बताया और जो आपने कहा कि बहुजन समाज के लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, यह बिल्कुल गलत है। इनके लिए जो हमने अलग से वेलफेयर डिपार्टमेन्ट बनाया है, कन्सर्न मिनिस्ट्री के माध्यम से आर्थिक स्थिति में बड़े पैमाने पर सुधार लाया जाएगा। इसके अलावा बजट में जो पिछले कई दिनों से चर्चा हुई है, खास तौर से प्रतिपक्ष की ओर से समाजवादी पार्टी की ओर से हमारी पार्टी के ऊपर, हमारी गवर्नमेन्ट के ऊपर मेन आरोप लगाया गया, ताकि बहुजन समाज के लोग बी0एस0पी0 की सरकार से नाराज हो जाएं या अपर कास्ट और इन दोनों में कुछ हो जाए, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आप लोग कितनी भी कोशिश कर लें ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मान्यवर, मुझे यह भी बताया गया है कि समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्य श्री अम्बिका चौधरी और सपा के कई माननीय सदस्यों ने यह भी सवाल उठाया

कि कन्या विद्या धन योजना तथा बेरोजगार सृजन के बारे में बजट मौन है, बजट को लेकर यह प्रतिक्रिया जाहिर की है। इसके बारे में मैं जवाब के तौर पर बताना चाहती हूं कि कन्या विद्याधन और बेराजगारी भत्ता जो हमारी पार्टी की सरकार ने समाप्त किया है, इसका जवाब मैंने अपने बजट भाषण में काफी विस्तार से दिया है इसलिए इस पर पुनः जवाब देना मैं ठीक नहीं समझती, मैं नहीं चाहती कि इन्हीं बातों को दोहराकर मैं सदन का समय खराब करूं।

जहां तक रोजगार का सम्बन्ध है, इस बारे में मेरी सरकार के बजट में जितनी स्पष्टता है, उतनी स्पष्टता पूर्व की किसी भी सरकारों में नहीं जाहिर की गयी है। प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नये अवसर सृजित करने के लिए न केवल क्षेत्रीय ग्रामीण रोजगार सृजन केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है, बल्कि स्वरोजगार के अवसर सृजित किये जाने हेतु डॉक्टर अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना का भी प्राविधान है। यह बजट के अन्दर स्पष्ट किया गया है। केवल बजट साहित्य का एक-एक लाइन पढ़ने की जरूरत थी, यदि पढ़ लेते तो शायद यह सवाल आप नहीं करते। मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि रोजगार सृजन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए जितनी भी धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी उसमें कोई भी कमी नहीं आने दी जायेगी। समाजवादी पार्टी के कई माननीय सदस्यों द्वारा यह भी कहा गया है कि महिलाओं के लिए बजट में अलग से कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गयी है। तो इस बारे में मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहती हूं कि पूरे प्रदेश को मालूम ही है कि आपकी सरकार ने भी बजट में महिलाओं के लिए अलग से कोई वित्तीय व्यवस्था नहीं की थी। आप हमसे पूछ रहे हैं, आप अपना बजट उठाकर देखें, हमने आपका भी बजट देखा है तो आप जो महिलाओं के हितैषी बनते हैं, आपने अपनी सरकार के बजट में महिलाओं के लिए अलग से कोई वित्तीय व्यवस्था नहीं की थी बल्कि आपने केवल विभागों के ऊपर यह काम छोड़ दिया था, जिसका कोई वास्तविक लाभ महिलाओं को नहीं मिल पाया था यानि की हर मिनिस्ट्री के ऊपर छोड़ दिया था बराबर इनको हिस्सेदारी दो, लेकिन बजट में अलग से व्यवस्था नहीं की गयी थी।

लेकिन इस मामले में हमारी सरकार की यह प्रमुख प्राथमिकता है कि महिलाओं को हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर आगे बढ़ने का मौका मिले और उनकी पूरी सुरक्षा भी हो। यदि विपक्ष के सदस्यों ने बजट का सही प्रकार से अध्ययन किया होता तो इन्हें मालूम होता कि हमने महिला एवं बाल विकास विभाग के बजट प्राविधान को 1,229 करोड़ से बढ़कर 2,083 करोड़ कर दिया है जो 69 प्रतिशत की वृद्धि है। इस वर्ष इस विभाग द्वारा 227 करोड़ रुपये की 18 नई योजनायें भी चलायी जायेंगी। इसी प्रकार विधवा पेन्शन की दर भी दो गुना कर दी गयी है इन्हें, अब 150 रुपये के स्थान पर 300 रुपये प्रति माह मिलेगा। अब अगर महिलाओं का ख्याल नहीं होता तो ऐसा नहीं करती फिर आपकी तरह मौन रहती। इसके साथ-साथ बालिकाश्री योजना के लिए 24 करोड़ रुपये व अनुसूचित जाति की छात्राओं के विद्यालय भवनों के निर्माण तथा संचालन के लिए 49 करोड़ रुपये का प्राविधान है। मेरे विचार से माननीय सदस्य संतुष्ट होंगे कि महिलाओं के

कल्याण के लिए हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसके साथ-साथ हमारी पार्टी की सरकार महिलाओं के मान-सम्मान और उनकी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखेगी जबकि पूर्व की सरकार में ऐसा नहीं हुआ और मेरट में कविता रानी काण्ड, जौनपुर का मडियाहूं काण्ड और इलाहाबाद का मरदसा काण्ड ये अनेकों घटनायें इस बात का जीता-जागता उदाहरण पूर्व की सरकार की है कि महिलाओं की कितनी हिफाजत हुई है उनकी सरकार में ?

समाजवादी पार्टी की ओर से ही कहा गया कि बजट में केवल सामाजिक परिवर्तन के सन्तों, महापुरुषों के नाम का योजनाओं का ही उल्लेख किया है लेकिन सर्वजन समाज के विकास के लिए कोई योजना नहीं बनायी गयी है। आपने बजट पर बोलते हुए चर्चा करते हुए यह भी सवाल किया है। आपके इस सवाल में मुझे सर्व समाज का हित कम नजर आता है और जातीय विद्वेष की भावना ज्यादा नजर आती है। जहां तक सर्व-समाज के विकास के लिए कोई योजना हीं बनाने का सवाल है। इस बारे में मैं यह बताना चाहती हूं कि हमारी पार्टी की सरकार ने जिन भी संतों और महापुरूषों के नाम से योजनायें बनायी है उन सभी योजनाओं में सर्व-समाज का जो विकास है, सर्व समाज का विकास भी सुनिश्चित किया गया है। जो भी योजनायें बनायी हैं जैसे बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर के नाम डा0 भीमराव अम्बेडकर ग्राम विकास योजना या मान्यवर, कांशी राम जी के नाम से हमने नगर विकास योजना बनायी तो जब देहातों और कस्बों का विकास होगा तो उसमें केवल दलित, शोषित या पिछड़े वर्ग के लोग जिन सन्तों महापुरुषों के नाम से योजना बनाई गई हैं उसका लाभ क्या केवल उन्हीं वर्ग के लोगों को मिलेगा ? इसका लाभ देहात और कस्बों में रहने वाले समाज के सभी लोगों को मिलेगा। जो भी योजनाएं बनाई हैं इसका लाभ अकेले वीकर सेक्सन या पिछड़े वर्ग के लोगों को नहीं मिलेगा बल्कि सर्वसमाज के लोगों को मिलेगा। हमने दलित शोषित समाज में जन्मे सन्तों, गुरुओं और महापुरुषों के नाम से योजनाएं बनाई हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि इसका लाभ उन्हीं को मानने वालों को मिले। बल्कि इसका फायदा समाज के सभी वर्ग के लोगों को बराबर मिलेगा। प्राथमिकता जो सदियों से दबे कुचले लोग हैं उनको जरूर दी जाएगी इसमें कोई शक सुबहा नहीं।

इसके अलावा जहां तक विपक्ष की कुछ पार्टियों को यह ऐतराज है कि हमारी पार्टी की सरकार ने महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू या अन्य नेताओं के नाम पर किसी भी योजना का जिक्र नहीं किया है तो मैं उन पार्टियों से यह जानना चाहूंगी कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में महात्मा गांधी और पंडित जवाहर लाल नेहरू के नाम पर कितनी योजनाएं चलाई गईं और कितने स्मारक बनाए गए शायद इसका जवाब मैं समझती हूं दोनों पार्टियों के पास नहीं होगा। समाजवादी पार्टी की ओर से कुछ सदस्यों द्वारा लोहिया ग्राम विकास योजना बन्द कर दी गई है और समग्र ग्राम विकास योजना का नाम बदलकर डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना कर दिया गया है यह सवाल उठाया गया है ? इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहती हूं कि लोहिया ग्राम विकास योजना का जो आपने जिक्र किया है,

इस नाम की कोई योजना समाजवादी पार्टी के शासनकाल में भी बजट में पोषित नहीं रही है, इसलिए इसका उल्लेख बजट में होने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। इस प्रकार की एक योजना मण्डी परिषद् द्वारा अपने संसाधनों से प्रारम्भ जरूर की गई थी। जहां तक समग्र ग्राम विकास की योजना का सवाल है समाजवादी पार्टी खुद अपने गिरेबान में झांककर देखे उन्होंने सत्ता में आने के बाद डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के साथ क्या व्यवहार किया था। डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना को राजनीतिक दृष्टि से देखना मैं समझती हूं यह ठीक नहीं है यह बहुत ही दुःख की बात है। इस योजना से गांव में रहने वाले केवल दलित वर्ग को ही फायदा नहीं पहुंचेगा बल्कि सर्व समाज के लोगों को फायदा पहुंचेगा। मान लीजिए डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के तहत सड़क बनाते हैं, खड़न्जा लगाते, तो क्या उन सड़कों और खड़न्जों पर दलित, शोषित समाज के लोग ही चलेंगे, क्या और लोग नहीं चलेंगे। इस योजना से सबको फायदा होगा। डा0 अम्बेडकर के नाम पर चलाई जाने वाली योजनाओं पर आपने यह भी कहा खासतौर से समाजवादी पार्टी की ओर से कि डा0 अम्बेडकर के नाम पर चलाई जाने वाली योजनाओं पर कुछ कम धनराशि का प्राविधान किया गया है जिससे पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हुआ है पता नहीं कब से बाबा साहब अम्बेडकर के यह चहेते बन गये मुझे मालूम है जब हमने परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्मारक बनाया तो प्रतिपक्ष के लोगों ने और आप ही के नेता ने उसको ऐय्यासी का अड्डा कहा जिसकी पूरे देश के अन्दर लोगों ने निन्दा की थी ऐसे में आप बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में ऊपर से कुछ और है और अन्दर से कुछ और हैं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को यह अवगत कराना चाहती हूं कि डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना में इस साल लगभग 10,000 करोड़ की व्यवस्था की जायेगी। यह कम राशि नहीं है, यह बहुत ज्यादा राशि है, लेकिन आपने बजट साहित्य को पूरा पढ़ा नहीं है, इसका बजट के अन्दर पूरा जिक्र किया गया है। इसमें 10 हजार करोड़ रुपया व्यय किया जायेगा। जिससे सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आयेगा और इसके साथ-साथ समाजवादी पार्टी की ओर से बजट पर चर्चा के समय एक सवाल यह भी रखा गया था, उन्होंने अपनी शंका जाहिर की थी कि डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना में पिछले सालों की तुलना में इस साल 10-10 के स्थान पर प्रत्येक विधायक को मात्र 5 गांव चुनने का अधिकार दिया गया है। इसके बारे में महोदय मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि पहले इस योजना में विकास की इकाई राजस्व ग्राम थी लेकिन अब यह इकाई पूरी ग्राम सभा हो गयी है। जिसमें एक से अधिक राजस्व ग्राम होते हैं। इस प्रकार माननीय विधायकों के अधिकार में कोई कमी नहीं की गई है। समाजवादी पार्टी के ही कुछ माननीय सदस्यों के द्वारा यह भी कहा गया है कि विधायक निधि को एक करोड़ से बढ़ाकर सवा करोड़ किये जाने का फैसला पूर्व सरकार ने लिया था। समाजवादी

पार्टी का यह दावा कि यह फैसला उनके जमाने का है, मैं समझती हूं कि यह केवल भ्रम फैलाने वाला है।

पिछली सरकार ने विधायक निधि की धनराशि बढ़ाने की केवल कागजी बात कही थी परन्तु इसके लिए कोई वित्तीय व्यवस्था नहीं की थी। हमारी सरकार ने पहली बार विधायक निधि को सवा करोड़ किये जाने का प्राविधान बजट में किया है। केवल हवाई बातें नहीं की हैं। हमने बजट में इसका प्राविधान किया है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की ही ओर से कई माननीय सदस्यों ने यह भी कहा है कि प्रदेश पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। मान्यवर, मेरी सरकार के तो गठन के अभी दो महीने भी पूरे नहीं हो पाये हैं। मुझे तो यह कर्ज का बोझ विरासत में ही मिला है। इसके साथ-साथ मान्यवर, बजट पर चर्चा करते हुए माननीय नेता भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश जी ने यह कहा कि फसल बीमा बन्द कर दिया गया है। मान्यवर, इसके बारे में यह बताना चाहती हूं कि श्री ओम प्रकाश जी ने पूरे बजट साहित्य का अध्ययन किया होता तो वे अवश्य पाते कि इस साल फसल बीमा के लिये 29 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गई है, जब इतनी धनराशि की व्यवस्था की गई है तो इसको बन्द किये जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी यह कहा गया है कि पर्यटन की ओर सरकार द्वारा पर्यटन की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं यह अवगत कराना चाहती हूं कि हमारी पार्टी की सरकार ने 89 करोड़ रुपये की व्यवस्था इसके लिये की है। राष्ट्रीय लोक दल के माननीय श्री अनिल चौधरी जी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह नलकूप योजना समाप्त कर दी गई है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं उनको यह बताना चाहती हूं कि उनका आरोप सही नहीं है। इस साल इस योजना के लिये 84 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि इसको समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ माननीय सदस्यों द्वारा अवस्थापना विकास का उल्लेख बजट में न किये जाने की बात उठाई गई है। मैं इस बारे में माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहती हूं कि अवस्थापना का विकास मेरी सरकार की उच्च प्राथमिकता है। हमारा यह प्रयास होगा कि ग्रामीण, शहरी और औद्योगिक स्थापना का निरन्तर उर्ध्वीकरण हो। इसके लिये हम बड़े पैमाने पर निजी क्षेत्र की सहभागिता आमंत्रित करेंगे। हम शीघ्र ही इस सम्बन्ध में महत्वाकांक्षी वृहद् योजना लायेंगे, जिससे उत्तर प्रदेश का सम्पूर्ण चेहरा बदल जायेगा। मान्यवर, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह भी ऊर्जा विभाग के लिये उन्होंने अपनी कुछ शंका जाहिर की है कि ऊर्जा विभाग के जो लक्ष्य इंगित किये गये हैं उनके लिये कोई ठोस योजना नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्यों को यह भी बताना चाहूंगी कि ऊर्जा विभाग को [illegible]म्भीरता से मेरी सरकार ने लिया है, उसका अंश मात्र भी अगर पूर्व की सरकारों ने कि[illegible] तो आज प्रदेश का चेहरा ऊर्जा के मामले में कुछ और ही होता। ऊर्जा के नाम पर कुछ चुने हुए दोस्तों को बढ़ावा देने के अलावा पूर्व की सरकार ने

एक भी मेगावाट बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ाया है। अब समाजवादी पार्टी यह कहती है कि करछना और बारा की योजनायें पुरानी सरकार की हैं। यदि यह योजनायें आपकी सरकार की थीं, आपकी सरकार के जमाने की थीं तो आपने कुछ किया क्यों नहीं, इन योजनाओं के बारे में, ऊर्जा के मामले में, प्रदेश की खराब हालत को देखते हुए हमारी सरकार ने काफी महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं, जिसकी जानकारी मैंने बजट में दी है। इसलिए मैं उनको दोहराना नहीं चाहती हूं। इसी के साथ-साथ समाजवादी पार्टी की ओर से बजट पर चर्चा करते हुए यह भी कहा गया, एक यह भी सवाल उठाया गया कि बी0एस0पी0 की सरकार में यादव जाति के थानाध्यक्ष छांट-छांटकर हटाए जा रहे हैं। यादव जाति के थानाध्यक्ष हटाये जा रहे हैं तो इस बारे में मैं मा0 सदस्यों को यह बताना चाहती हूं कि जिन भी थानाध्यक्षों को हटाया गया है, उन्हें जाति के आधार पर नहीं, बल्कि उनके खराब रिकार्ड को ध्यान में रखकर हटाया गया है।

(मेजें थपथपाई गईं)

जिसकी जानकारी पूरे प्रदेश की आम जनता को है। जहां-जहां से हटाया गया है उस क्षेत्र की जनता को तो जरूर पता है। एक यह भी सवाल समाजवादी पार्टी की ओर से उठाया गया बजट पर चर्चा करते हुए कि सैफई की तर्ज पर सभी सदस्य अपने-अपने गांव का विकास करें यह भी कहा गया समाजवादी पार्टी की ओर से। स0पा0 के सदस्य खुद यह बतायें कि उनके शासनकाल में सैफई की तर्ज पर कितने गांवों का विकास हुआ। एक गांव को छोड़कर कितने गांवों का विकास हुआ। कितने और गांव सैफई बनाए गए हैं। मैं समझती हूं आप लोग मुझे जरूर बतायें। हो सकता है कि मुझे जानकारी न हो। कितने और गांव सैफई बनाये हैं। मुझे तो नहीं लगता एक गांव को छोड़कर और गांव सैफई बनाए हों। लेकिन मैं स0पा0 सरकार की तरह केवल एक गांव का विकास नहीं चाहती हूं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का विकास चाहती हूं।

(मेजें थपथपाई गईं)

उत्तर प्रदेश में जितने भी देहात हैं, उन सबका हमारी पार्टी विकास चाहती है। इसी के लिए मैंने पूरे उत्तर प्रदेश में गांव के विकास के लिए डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना बनाई है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के ही कुछ मा0 सदस्यों के द्वारा यह भी कहा गया कि गन्ना किसान के बकाए के भुगतान के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए हैं वर्तमान सरकार द्वारा। इस बारे में भी मा0 सदस्यों को यह बताना चाहती हूं कि आज आप गन्ना किसानों के बकाए की बात कर रहे हैं मैं मा0 अध्यक्ष के माध्यम से इनसे पूछना चाहती हूं कि यह बकाया किसके जमाने का हैं मेरी सरकार तो 13 मई को बनी है तब तक अधिकांश चीनी मिलें बन्द हो चुकी थीं और यह बकाया तो उस समय का है जब किसानों के तथाकथित हितैषी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल सत्ता में थे। अगर यह दल किसानों के इतने बड़े हितैषी थे तो गन्ना मूल्य का भुगतान क्यों नहीं कराया। इन्होंने अपनी सरकार के रहते गन्ने का जो बकाया था उसको क्यों नहीं

कराया। ऐसा क्यों है कि पूर्व सरकार के शासनकाल में दो हजार 600 करोड़ रुपये की धनराशि किसानों को नहीं दी गई। मुझे तो यह बकाये का बोझ विरासत में मिला। फिर भी गन्ना किसानों के दुख-दर्द को समझते हुए हमारी पार्टी की सरकार ने प्रभावी कदम उठाए हैं, ताकि किसानों की पाई-पाई का भुगतान हो सके।

(मेजें थपथपाई गईं)

मेरी सरकार ने चीनी मिल मालिकों को यह निर्देश दिये हैं कि 31 अगस्त तक सम्पूर्ण गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित करें। इसकी नियमित समीक्षा भी की जाएगी।

(मेजें थपथपाई गईं)

और किस तरह से वह भुगतान करेंगे इसके लिए भी हमने पूरा प्लान बनाकर दिया है। जहां तक सरकारी चीनी मिलों का सम्बन्ध है, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा दो सौ करोड़ रुपये की गारंटी भी दे दी गई है। इसके अलावा चीनी मिलों को लेकर समाजवादी पार्टी के कुछ सदस्यों ने यह भी कहा कि चीनी मिलों को बन्द करके निजी हाथों में सौंपने से गन्ना किसानों के सामने अनेक समस्यायें पैदा हो जाएंगी। यह सवाल भी आप लोगों ने सदन के अन्दर उठाया है। इस बारे में मैं माननीय सदन को यह बताना चाहती हूं कि नई सरकार की नीति किसानों के हितों की रक्षा करने की है। सरकारी मिलें खराब स्थिति के कारण किसानों के गन्ने की पेराई नहीं कर पा रही है। इसलिए प्रयास किया जा रहा है कि इसमें निजी सहभागिता प्राप्त करके उन्हें दक्षतापूर्वक चलाया जाए। ताकि गन्ने की पेराई हो सके। इसका उद्देश्य मिलों को बेचना नहीं बल्कि उसमें सुधार करने के लिए संसाधनों को तलाशना है। इसके साथ-साथ समाजवादी पार्टी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के कुछ मा0 सदस्यों ने एक यह भी सवाल उठाया, बजट पर चर्चा के समय कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थिति काफी खराब है, जर्जर है तथा इसके सुधार के लिए कुछ नहीं किया गया है। इस बारे में मैं यह बताना चाहती हूं कि मेरी सरकार इस बिन्दु पर पूरी तरह से गम्भीर है। इसको हमारी पार्टी की सरकार लाइटली नहीं ले रही है, गम्भीरता से ले रही है और इस बारे में माननीय सदन को पूरा विश्वास दिलाना चाहती हूं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मेरी सरकार समय से और सही कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध करायेगी। इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना चाहती हूं कि अभी सरकार के गठन को 2 माह भी पूरे नहीं हुए हैं, बहुत थोड़ी सी अवधि में व्यापक छापे इस क्षेत्र में डलवाए गये हैं और चोर बाजारी रोकने के व्यापक कदम भी उठाये गए हैं।

पिछले महीने एक जून से 15 जून के बीच में 304 व्यक्तियों के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज की गई हैं, 340 दुकानें निरस्त की गई हैं और 1527 दुकानें निलम्बित भी की गई हैं। यदि हमारी पार्टी की सरकार गम्भीर नहीं होती तो इतने कम समय में जो यह एक्शन लिया है, वह नहीं लिया होता। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा है कि बजट में खेती के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है।

इस बारे में मैं मा0 सदस्यों को बताना चाहती हूं कि आपने यदि ध्यान से मेरे बजट भाषण को पढ़ा होता तो उन्हें अवश्य ज्ञात होता कि मेरी सरकार ने कृषि को कितना अधिक महत्व दिया है। मान्यवर, इस वर्ष पिछले साल की तुलना में 2 गुना धनराशि की व्यवस्था की गई है जो स्पष्ट तौर पर हमारी सरकार की कृषि पर गम्भीरता को प्रदर्शित करती है। यह राशि कृषि की सही प्रगति और उसमें सुधार करने के लिए उपयोग में लाई जायेगी। इसके अलावा सदन में कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि मलिन बस्तियों पर, जो शहरों में है, उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं समझती हूं कि यह बात सही नहीं है। शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों के सुधार के लिए बजट में पर्याप्त धन की व्यवस्था की है। इसके लिए भारत सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाकर इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाया जायेगा और बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी और कांशीराम जी नगर विकास योजना के अन्तर्गत मलिन बस्तियों को सुधार कर विकास किया जायेगा।

कुछ मा0 सदस्यों ने यह भी कहा है कि मान्यवर, कांशीराम जी के नाम पर मलिन बस्तियों के सुधार के लिए बहुत कम पैसा रखा गया है, अर्थात जो 200 करोड़ है, वह बहुत कम है और कहा कि और धन की व्यवस्था होती तो अच्छा होता तो इस बारे में मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि यह केवल स्टेट गवर्नमेन्ट की ओर से है, इसमें भारत सरकार से भी अनुदान मिलता है। बड़े शहरों के लिए 50 प्रतिशत अनुदान मिलता है और छोटे शहरों के लिए 80 प्रतिशत तक भारत सरकार से अनुदान मिलता है। यदि छोटे शहरों में 200 करोड़ देते हैं, तो भारत सरकार 800 करोड़ रुपये अनुदान देती है। स्टेट और केन्द्र को मिलाकर एक हजार करोड़ अपने आप हो जाता है।

इसके अलावा समाजवादी पार्टी के कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी एक सवाल उठाया कि उत्तर प्रदेश में समय-समय पर होने वाली भयंकर बीमारियों से निपटने के लिए सरकार ने कोई ठोस व्यवस्था नहीं की है और न ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए बजट में पर्याप्त प्राविधान किया गया है। इस बारे में, मैं कहना चाहती हूं कि पूर्व की सरकार ने इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं ली थी, इसकी जानकारी मुझे है, लेकिन मेरी सरकार इस मामले में काफी गम्भीर है और जनस्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। हमारी सरकार पूरी तरह से प्रदेश के नागरिकों के लिए सजग ही नहीं बल्कि हर मामले में जागरूक है। इस बजट में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए 462 करोड़ रुपये की नई योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। इसके अलावा सदन में कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा है कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है। ज्यादातर सदस्यों ने यह सवाल उठाया। इस बारे में मैं पूरे सदन को बताना चाहती हूं कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना हमारी सरकार की उच्च प्राथमिकता है और इस दिशा में हम पूरी गम्भीरता से कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। समाजवादी पार्टी की पूर्व की सरकार बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में बड़े-बड़े दावे तो जरूर करती रही है लेकिन अध्यापकों की

नियुक्ति करने के मूलभूत काम में भी पूरी तरह से फेल हुई है, कामयाब नहीं हुई है। प्रदेश में लगभग 88 हजार नियमित शिक्षकों की रिक्तियां हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार केवल शिक्षा मित्रों को नियुक्त करके वाहवाही लूटती रही है। पूर्व की सरकार में अध्यापकों की परमानेन्ट नियुक्ति करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। लेकिन हमारी सरकार ने डेढ़ महीने के अन्दर ही भारत सरकार से इन सब नियुक्तियों को भरने की अनुमति प्राप्त कर ली है और हमारा लक्ष्य है कि आगामी 2 महीनों में यह नियुक्तियां पूरी कर ली जायेंगी। इससे न केवल बड़े पैमाने पर लोगों को स्थाई रोजगार मिलेगा, बल्कि शिक्षा के स्तर में भी मूलभूत सुधार होगा। यह बहुत बड़ा काम हमारी सरकार ने डेढ़ महीने में किया है जो पिछले कई वर्षों के अन्दर नहीं हो पाया था। इसके अलावा सदन में कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि पिछली सरकार में लोक निर्माण विभाग का बजट काफी बढ़ाया गया था, जबकि इस साल इसे कम कर दिया गया है। इस बारे में मैं बताना चाहती हूं कि आपका यह जो कथन है यह बिल्कुल गलत है क्योंकि पिछले साल लोक निर्माण विभाग का बजट 5 हजार 460 करोड़ रुपये था, जबकि इस वर्ष 6 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो गत वर्ष के प्रावधान से 540 करोड़ रुपये अधिक है। इसके अलावा कुछ माननीय सदस्यों द्वारा यह भी कहा गया है कि बजट में अल्पसंख्यक छात्रों को पिछले वर्ष से कम अनुदान का प्रावधान किया गया है। मैं सदन को अवगत करना चाहती हूं कि भारत में पहली बार मेरी सरकार द्वारा ही वर्ष 1995 में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का गठन किया गया था और पहली बार मेरी सरकार द्वारा ही अल्पसंख्यक छात्रों को वजीफा देने की व्यवस्था की गई थी और वर्ष 2006-07 में अल्पसंख्यक छात्रों के वजीफे के लिए 118 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी, जिसे वर्ष 2007-08 में बढ़ाकर 122.42 करोड़ रुपये कर दिया गया है। हमने इस मामले में पिछली सरकार से ज्यादा बजट में प्रावधान किया है। इसके अलावा बजट की चर्चा में कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि बजट में स्वतंत्रता संग्राम के 150वें वर्ष के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है, यह बात बिल्कुल सही नहीं है।

बजट साहित्य देखने से स्पष्ट है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की एक सौ पचासवीं वर्षगांठ के लिए बजट में तीन करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा चर्चा के दौरान हमारे बहुत से मा0 सदस्यों ने कुछ अपनी स्थानीय समस्याओं का जिक्र किया है। यह कहा कि उनके इलाके में विकास भी होना चाहिए, कुछ उन्होंने स्पेशल योजनाओं की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया है, तो ऐसे माननीय सदस्यों को मैं बताना चाहूंगी कि आपकी जो भी स्थानीय समस्याएं हैं, जो अपने क्षेत्र में डेवलपमेन्ट चाहते हैं, हमारी पार्टी की सरकार उन सभी योजनाओं पर सहानुभूतिपूर्वक सोच विचार करेगी और जितना भी बन पायेगा, उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए पूरा प्रयास करेगी कि आपकी स्थानीय समस्याओं का समाधान हो सके। मान्यवर, बजट चर्चा के दौरान जितने भी विषय उठाये गये हैं, मैं उनके सम्बन्ध में काफी हद तक स्थिति स्पष्ट कर चुकी हूं। वैसे तो बहुत से सवाल उठाये गये हैं, उनका जिक्र हमने बजट के अन्दर किया है, लेकिन जो जरूरी सवाल उठाये गये हैं, मैंने यह सोचा की कोई

शक सुबहा न रहे मा0 सदस्यों के दिल और दिमाग में इसलिए जो जरूरी विषय उठाये गये हैं उसके सम्बन्ध में यथा हद तक स्थिति स्पष्ट कर दी है। अन्त में, मैं आशा करती हूं कि यह पूरा सदन एक जुट होकर के प्रदेश के विकास में हमारा हाथ मजबूत करेगा ताकि प्रदेश के हर नागरिक को यह महसूस हो कि हम राजनीतिक विरोधों और स्वार्थों से ऊपर उठकर एक नियत और एक दृष्टि से उसके कल्याण के प्रति समर्पित है। इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

*श्री सतीश महाना-

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, आपने भाषण में बहुत सारी बातें कहीं हैं, जो महत्वपूर्ण हैं। विधायकों के सम्बन्ध में आपने गांव के सम्बन्ध में पांच-पांच गांव देने के लिए कहा गया तो क्या शहरी क्षेत्र में विद्युत के सुदृढ़ीकरण के लिए आप आदेश देंगी, तो बड़ी कृपा होगी। इसके अतिरिक्त गर्मी का मौसम है, विधायकों के लिए हैण्ड पम्प, दो-दो सौ या पांच-पांच सौ हैण्ड पम्प कर देंगी, तो इससे काफी लाभ मिलेगा।

सुश्री मायावती-

मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहती हूं कि जो मा0 सदस्य शहर क्षेत्र से चुनकर आते हैं, हमारी पार्टी की सरकार ने शहरों के डेवलपमेन्ट का पूरा ध्यान रखा है। इस हेतु हमने मान्यवर, कांशीराम जी के नाम से शहरी विकास योजना बनायी है और इस योजना से हम शहरों का ध्यान रखेंगे। नलकूप की बात कही गयी तो इसके बारे में कुछ न कुछ ठोस कदम उठायेंगे और इसकी घोषणा भी हम इसी सदन में करेंगे।

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक स्पष्टीकरण नहीं बल्कि अनुरोध करना चाहता हूं कि कुछ जल स्तर नीचे गिरता चला जा रहा है। आप हमें अच्छा पानी पिला दीजिये और जो विरोधी हो उनको कायदे वाले पानी पिला दें। मान्यवर, इस गर्मी में हैण्ड पम्प की ज्यादा जरूरत है। आप करेंगी, आपके मन में भी होगा, याद दिलाना मेरा काम है, मैंने याद दिला दिया है। आप जब भी ठीक समझें कम से कम दो-दो सौ हैण्ड पम्प दिला दें तो पानी के साथ आपको कुछ दुआएं भी मिल जायेंगी। मैं समझता हूं कि इससे सभी लोग सहमत होंगे और अगर आप हाथ मेज पर दबा देंगे तो और बात समझ में आ जायेगी। दूसरा आपने कहा कि पी0डब्लू0डी0 का बजट बढ़ाया है, हमारा काम सुझाव देना है।

हम सहमत भी हैं, आपने पी0डब्लू0डी0 का बजट बढ़ाया है। हमारा काम तो सुझाव देना है। अब जब बढ़ ही गया है तो हम उनका बोझ हल्का करने के लिए कह रहे हैं कि कहां खर्च करेंगे आप इतना पैसा ? तो मेरा सिर्फ इतना ही अनुरोध है कि सब विधायकों के यहां

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

सात-सात किमी0 सड़क पर भी खर्च कर दीजिए, आपका भी बोझ हल्का हो जायेगा और हम लोगों को भी कुछ मिल जायेगा। तो मेरा सिर्फ आपसे व्यक्तिगत अनुरोध है माननीय मुख्य मंत्री जी कि इन बातों पर आप विचार कर लें और मैं समझता हूं, देखिये हम लोग चुनाव लड़कर के आये हैं और जहां भी गये हैं मेरे ख्याल से कोई भी गांव शायद ऐसा बचा हो जहां सबसे ज्यादा समस्या पानी की थी और सड़कों की थी। इस पर अध्यक्ष जी माननीय मुख्य मंत्री जी अगर विचार कर लेंगी तो अच्छा रहेगा, इतना ही कह दीजिए अच्छा कि सही समय पर सही घोषणा कर देंगे। इसमें क्या दिक्कत है ?

सुश्री मायावती-

मैं माननीय श्री प्रमोद तिवारी जी को यह बताना चाहती हूं कि आपने यह जो सुझाव रखा है तो यह सुझाव आप चाहे नहीं भी रखते तो भी मै हर विधायक की मुश्किल को समझती हूं और उनकी मुश्किल के साथ-साथ जो प्रदेश की जो आम जनता है, उनकी क्या दिक्कते हैं पानी को लेकर, उनकी दिक्कत को भी मैं समझती हूं। इसलिए आपने जो सुझाव रखा है, उससे मैं 100 नहीं 101 परसेन्ट सहमत हूं, लेकिन आपने जैसा कि यह कहा तो इसकी घोषणा को उचित समय पर ही की जायेगी। लेकिन हम थोड़ा सा इसको और दिखवा लेते हैं। आप तो शायद कम के बारे में सोच रहे हैं, हम इस मामले को और अच्छी तरीके से दिखवा के हो सकता है, ज्यादा ही कोई फैसला ले लें वह ज्यादा ठीक रहेगा।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आपने एक करोड़ से बढ़ाकर विधायक क्षेत्र विकास निधि सवा करोड़ किया है इसके लिए मैं सदन की ओर से आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। मान्यवर, क्योंकि आप जो कहती हैं वह करती हैं तो माननीय मुख्य मंत्री जी आपने कह दिया कि आप हैण्ड पम्प की व्यवस्था कर रही है इसलिए मैं अभी से आपको धन्यवाद दिये दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

बस अब सब हो गया, अब मैं अगली मद ले रहा हूं।

## नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 06 जुलाई, 2007 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 31 सूचनायें प्राप्त हुई, स्वीकृत सूचनाओं का विवरण निम्न प्रकार है :-

पहली सूचना श्री पंकज मलिक जी की है जो जनपद मुजफ्फरनगर के थाना-बावरी अन्तर्गत ग्राम खानपुर में एक युवती की हत्या तथा थानाध्यक्ष एवं अन्य उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा प्रभावी कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी।

## बजट अनुदानों का साहित्य समय से मा0 सदस्यों को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में सदन का ध्यानाकर्षण

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आगामी 09 तारीख को विभागवार अनुदान मांगों पर बहस होनी है तो हम लोगों को अब तक बजट साहित्य मिल जाना चाहिए था लेकिन हम लोगों को अभी तक किसी विभाग का साहित्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। तो 09 तारीख को बहस होगी या नहीं होगी ? हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं।

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री दद्दू प्रसाद)-

मान्यवर, बजट साहित्य पटल पर आ गया है, जल्द ही आप लोगों को मिल जायेगा।

*श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, कल और परसों छुट्टी है और सोमवार के दिन कई विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा होनी है, श्रीमन् नियमों की बात तो अलग हो गई, व्यवहारिक कठिनाई तो यह है कि कल और परसों की छुट्टी में बजट साहित्य लेने के लिए कोई नहीं आ पायेगा। माननीय अध्यक्ष जी इसीलिए मैंने व्यक्तिगत रूप से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी से व्यक्तिगत मिल कर अनुरोध किया कि बजट साहित्य मंगवा दें। श्रीमन् अगर बजट साहित्य उपलब्ध नहीं होगा तो परसों कैसे इस पर कटौती होगी कैसे इस पर चर्चा होगी। यह व्यवहारिक कठिनाई है। मान्यवर, 72 घण्टे पहले, तीन दिन पहले साहित्य मिलता है, लेकिन हम लोगों को अभी तक नहीं मिला है और व्यवहारिक तौर पर कठिनाई है मान्यवर, बगैर साहित्य का अध्ययन किये कैसे हम रखेंगे इसको। इसकी व्यवस्था करायें। मान्यवर, मेरा एक अनुरोध है कि 9 और 10 तारीख को बजट की जितनी अनुदान मांगें रखी जानी है मान्यवर, उनका साहित्य आज अवश्य मिल जाना चाहिए हमको नहीं तो कैसे काम चलेगा।

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, हम इस बात को दिखवा लेते हैं और हम सुनिश्चित करेंगे कि आज साहित्य मिल जाय, हम इसके लिए पूरा प्रयास करते हैं।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

मान्यवर, हमेशा तीन दिन पहले बजट साहित्य मिल जाता है। अगर अभी तक नहीं मिला है तो आज दिला दें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं इसको दिखवा लेता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप इसको दिखवा लें। अब मैं नियम-51 की सूचनायें लेता हूं।

## नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं (क्रमागत)

दूसरी सूचना श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव की, जो प्रदेश के पेयजल स्रोतों में बढ़ते आर्सेनिक से शुद्ध पानी की दिनों-दिन गहराती समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्री गेंदालाल चौधरी की, जो हाथरस जनपद के श्रीमती हरप्यारी देवी इण्टर कालेज, रोहई में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं के बावजूद इस संस्था को पुनः परीक्षा केन्द्र बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

चौथी सूचना श्री प्रमोद तिवारी की, जो सहायक रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स द्वारा कथित रूप से किये जा रहे भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

पांचवीं सूचना श्री उदयभान करवरिया की, जो जनपद-इलाहाबाद के बारा तहसील अन्तर्गत बीकर (सारांपुर) निवासी श्रीमती कल्याणी देवी को मृतक आश्रित लाभ न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

छठी सूचना डॉ0 आर0 ए0 उस्मानी की, जो जनपद-लखीमपुर खीरी के तहसील गोला अन्तर्गत ग्राम-अलीगंज में चकबन्दी अधिकारी द्वारा कथित रूप से की जा रही जमीन के अभिलेखों की हेरा-फेरी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

सातवीं सूचना श्री मदन चौहान की, जो जनपद-गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंचायत-कल्याणपुर स्थित पौराणिक झील की नवैयुयत बदलकर अपात्र लोगों की पट्टे की कब्जेदारी से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है।

आठवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की, जो जनपद-प्रतापगढ़ के तहसील-पट्टी, वि0खं0-पट्टी अन्तर्गत दाऊदपुर झील/तालाब तथा कुण्डा धाम परिसर की भूमि पर अवैध कब्जेदारी कर तालाब के स्वरूप को नष्ट किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

नौवीं सूचना श्री अशोक कुमार कंसल की, जो जनपद-मुजफ्फरनगर की गुड़ मण्डी के व्यापारियों से दुकान किराया वसूली में विलम्ब शुल्क लगाने तथा इस हेतु पीड़ित किये जाने के सम्बन्ध में है तथा

दसवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की, जो प्रदेश में गेहूं की कम खरीद तथा कम्पनियों द्वारा गेहूं भण्डारित कर मण्डी शुल्क और व्यापार कर की चोरी कर शासन को क्षति पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

ग्यारहवीं सूचना श्री मिथिलेश कुमार की, जो जनपद-शाहजहांपुर की नगर पंचायत पुवायां के अध्यक्ष द्वारा नगर पंचायत की भूमि पर अवैध कब्जा कराने के सम्बन्ध में है।

बारहवीं सूचना श्री अशोक सिंह की, जो जनपद-रायबरेली के सरैनी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम समूह पेयजल योजना द्वारा समुचित जलापूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

तेरहवीं श्री अनुग्रह नारायण सिंह की, जो जनपद-इलाहाबाद के भीषण पेयजल संकट से प्रभावित क्षेत्रों में मिनी नलकूप/नलकूप लगवाने तथा वृहदुत्तर समस्या समाधान हेतु गंगा नदी की तलहटी में फ्रेंचवेल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

चौदहवीं सूचना श्री जयवीर सिंह की, जो जनपद-मैनपुरी के घिरौर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना के मन्द गति के क्रियान्वयन तथा अधोमानक स्तर के कार्यों के सम्बन्ध में है तथा

पन्द्रहवीं सूचना डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल की, जो गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत आवंटियों का आवंटन निरस्त के बिना ब्याज के मूलधन लौटाये जाने से उत्पन्न स्थिति से सम्बन्ध में है आदि सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अनुमोदित हुईं :-

1-श्री राम किशुन
2-श्री संजय कपूर
3-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव
4-डॉ0 राजेन्द्र सिंह
5-श्री जगन प्रसाद गर्ग
6-श्री शिवगणेश लोधी
7-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा
8-श्री पूरन प्रकाश
9-डॉ0 अजय तोमर
10-श्री अब्दुल वारिस खां
11-श्री विजय बहादुर यादव
12-श्री शम्भू चौधरी
13-श्री जोखू यादव
14-श्री जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह
15-श्री रमापति उर्फ रमाकान्त
16-श्री धर्मपाल यादव डी0पी0 यादव।

**प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उत्पन्न गम्भीर पेयजल संकट के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य**

नगर विकास मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, लखनऊ नगर के मध्य विधान सभा क्षेत्र में ...

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(संलग्न वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री नकुल दुबे-

[ वर्तमान में 48 नलकूप, 6 मिनी नलकूप, 7 इन्दारा कुआं तथा 873 हैण्डपम्प चालू हैं। वर्तमान जनसंख्या 7 लाख को ऐशबाग जलकल, बालागंज जलकल एवं नलकूपों/मिनी नलकूपों के माध्यम से कुल 135 एम0एल0डी0 जलापूर्ति, 155 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से की जा रही है जो भारत सरकार के मानक के अनुसार है और पर्याप्त है।

लखनऊ नगर तथा मध्य विधान सभा के कुछ क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की मांग बढ़ जाने, नलकूपों का स्राव कम हो जाने के कारण अन्तिम छोर एवं ऊंचाई के क्षेत्रों में कुछ समय के लिए पेयजल समस्या उत्पन्न होती है। मध्य विधान सभा क्षेत्र के समस्याग्रस्त क्षेत्रों के पेयजल व्यवस्था के सुधार हेतु मेंहदीगंज पेयजल योजना लागत रु0 212.95 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए शासनादेश दिनांक 30-3-2006 के द्वारा रु0 106.475 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। उक्त योजना के अन्तर्गत एक नग नये नलकूप, एक नग भूमिगत जलाशय, 1000 कि0ली0 क्षमता, वितरण प्रणाली, 3 कि0मी0, फीडरमैन/राइजिंगमैन 2.00 कि0मी0 तथा अन्य विविध कार्य आदि प्रस्तावित हैं, योजना के कार्य प्रगति पर हैं।

राजाजीपुरम् के बी-ब्लाक में 2 नलकूप खराब थे जिन्हें ठीक कराकर जलापूर्ति की जा रही है। इसी प्रकार राजाजीपुरम् के डी-ब्लाक में स्थित नलकूप से भारी मात्रा में मिट्टी और बालू आ रही थी तथा ग्रेवेल सिंक हो गयी थी जिसे ठीक कराकर समुचित जलापूर्ति की जा रही है। रिबोर योग्य 215 हैण्डपम्पों में से 27 हैण्डपम्पों की रिबोरिंग की जा चुकी है तथा शेष के सम्बन्ध में रिवाल्विंग फण्ड से धनराशि स्वीकृत करने हेतु विधि सम्मत प्रस्ताव जिलाधिकारी, लखनऊ से मांगा गया है।]

---

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मध्य क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु आंशिक कार्य जे0एन0एन0यू0 आर0एम0 के प्रथम भाग की योजना में प्रस्तावित किया गया है। मध्य विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गढ़ी कनौरा क्षेत्र की पेयजल योजना का कार्य भी जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के प्रथम भाग की योजना में प्रस्तावित किया जा रहा है। मध्य विधान सभा क्षेत्र में पेयजल का अभूतपूर्व संकट व्याप्त नहीं है। ]

**आगरा जनपद में फतेहाबाद फिरोजाबाद को जोड़ने वाला यमुना नदी पर अर्द्धनिर्मित पुल का निर्माण पूर्ण कराने के सम्बन्ध में डा0 राजेन्द्र सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य**

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 2-7-07 को मा0 सदन में ...

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[ नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी है कि फतेहाबाद व फिरोजाबाद को जोड़ने वाला यमुना नदी पर बना शंकरपुर घाट स्थित पीपों का पुल है। फतेहाबाद व फिरोजाबाद की दूरी मात्र 16 कि0मी0 है लेकिन पुल न हो तो यह दूरी 60 कि0मी0 हो जाती है क्योंकि फतेहाबाद के लोगों को सड़क मार्ग से आगरा होकर जाना पड़ता है। फिरोजाबाद व फतेहाबाद के लोग राजनैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक व आर्थिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर है। वर्षा ऋतु में नदी में जल स्तर बढ़ने के साथ पीपों का पुल उपयोगी नहीं रहता तथा दुर्घटना का कारण बन सकता है। क्षेत्र की जनता कई दशकों से पक्का पुल बनाने की मांग करती रही है। अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए चर्चा की मांग की है।

2-मा0 सदस्य द्वारा दी गयी सूचना के सम्बन्ध में उ0 प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार फतेहाबाद-फिरोजाबाद मार्ग के कि0मी0 11 में स्थित यमुना नदी के शंकरपुर घाट पर नियोजन विभाग की त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-1340/35-4-2005 दिनांक 08-05-2005 द्वारा रु0 1102.58 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमें सेतु अंश के लिए रु0 1026.90

---

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लाख तथा पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य के लिए लागत रु0 75.68 लाख है। उ0 प्र0 राज्य सेतु निगम द्वारा प्रश्नगत सेतु निर्माण का कार्य सितम्बर, 2005 में प्रारम्भ किया जा चुका है एवं सेतु कार्य की वर्तमान भौतिक प्रगति 90 प्रतिशत है। इस सेतु का निर्माण कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य सितम्बर, 2007 है।

3-प्रश्नगत सेतु के पहुंच मार्ग व सुरक्षात्मक कार्य के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता (आगरा क्षेत्र), लोक निर्माण विभाग, आगरा द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत कार्य के लिए रु0 75.68 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी हैं जिसके सापेक्ष पहुंच मार्ग पर अब तक 37.84 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है जिसके विरुद्ध रु0 20.80 लाख का व्यय करके पहुंच मार्ग पर 75 प्रतिशत मिट्टी का कार्य पूर्ण हो चुका है शेष कार्य प्रगति में है। प्रश्नगत सेतु के पहुंच मार्ग व सुरक्षात्मक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य मार्च, 2008 है। ]

**प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के सहायतार्थ भारत सरकार द्वारा जारी समाज कल्याण निधि की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मपाल यादव डी0पी0 यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का वक्तव्य**

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में मा0 विधायक जी द्वारा ...

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[ यह उल्लेख किया गया है कि मैं एक अत्यन्त ज्वलन्त एवं जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि समाज कल्याण निधि से भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की पूरी फीस माफ किये जाने हेतु करोड़ों रुपये की निधि प्रदेश सरकार को भेजी जाती है। पिछले वर्ष भी समाज कल्याण निधि से भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की पूरी फीस माफ किए जाने हेतु करोड़ों रुपये की निधि प्रदेश सरकार को भेजी गयी थी परन्तु आचार संहिता लागू हो जाने के कारण उक्त निधि का लाभ अभी तक छात्रों को नहीं प्राप्त हुआ है जिससे छात्रों

---

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

का भविष्य अधर में लटक गया है। मान्यवर से अनुरोध है कि पिछले वर्ष भारत सरकार द्वारा जारी की गयी निधि को तत्काल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों तक पहुंचाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश देने की कृपा करें।

इस सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति तथा प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ति की योजना संचालित की जा रही है। यह योजना भारत सरकार से शत-प्रतिशत अनुदानित योजना है। इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति के अतिरिक्त प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ति किये जाने की व्यवस्था है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत ऐसे छात्र/छात्राओं जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा रु0 1.00 लाख तक है को भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुसार छात्रवृत्ति दी जाती है। शासनादेश सं0-2160/26-3-2003, दि0 16-7-2003 द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों से इंजीनियरिंग कालेज, एम0बी0ए0, मेडिकल कालेज एवं विश्वविद्यालयों तथा प्रबन्धकीय संस्थानों एवं अन्य व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के समय शुल्क न लेकर उक्त शुल्क उनकी संस्थाओं को उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये दावे को विभाग द्वारा भुगतान कराये जाने की व्यवस्था की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2006-07 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत कुल रु0 28777.028 लाख की आवश्यकता थी, जिसमें से रु0 22285.028 लाख की धनराशि भारत सरकार से केन्द्रांश के रूप में प्राप्त होनी थी परन्तु भारत सरकार से मात्र रु0 11038.58 लाख ही प्रदेश सरकार को प्राप्त हुयी। भारत सरकार से प्राप्त धनराशि रु0 11038.58 लाख में से रु0 5936.21 लाख की धनराशि प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी होने के पश्चात् प्राप्त हुई है। इससे पूर्व भारत सरकार से केन्द्रांश रु0 5098.37 लाख की धनराशि आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी होने के पूर्व प्राप्त हुई थी जिसे निदेशक, समाज कल्याण द्वारा जनपदों को उपलब्ध करा दिया गया था। भारत सरकार से चुनाव अवधि के दौरान प्राप्त सहायता धनराशि रु0 5936.21 लाख में से रु0 3038.03 लाख की धनराशि निदेशक, समाज कल्याण द्वारा दिनांक 5-6-2007 को जनपदों को उपलब्ध करा दी गयी है। वित्तीय वर्ष समाप्ति तथा प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी होने के कारण रु0 2898.18 लाख की धनराशि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के पी0एल0ए0 में रक्षित कर ली गयी है जिसे अवमुक्त किये जाने हेतु पत्रावली वित्त विभाग को सन्दर्भित की गयी हैं वित्त विभाग की सहमति प्राप्त होते ही अवशेष धनराशि अवमुक्त हो जायेगी चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 में भी भारत सरकार से इस योजनान्तर्गत रु0 3567.00 लाख की धनराशि प्राप्त हुयी है, जो जनपदों को अवमुक्त कर दिया गया है। ]

**प्रदेश के राजकीय शिक्षकों (एल0टी0) की प्रदेश स्तरीय ज्येष्ठता सूची को शीघ्र जारी कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उदय राज द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य**

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मा0 सदस्य द्वारा दी गयी सूचना के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशालय.....

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[..... से प्राप्त आख्यानुसार प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के सी0टी0 ग्रेड के ऐसे शिक्षकों जिन्होंने दिनांक 19-2-1991 को सी0टी0 संवर्ग को मृत संवर्ग घोषित किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 19-2-1991 की तिथि या उसके बाद की तिथि जैसी भी स्थिति हो, को 5 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, को एल0टी0 ग्रेड में संविलीन किये जाने का निर्णय लिया गया।

तद्नुसार शिक्षा निदेशालय द्वारा मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों से उनके मण्डल के वर्ष 1992 से 2000 के मध्य नियुक्त शिक्षकों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची प्राप्त की गई। मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों से प्राप्त ज्येष्ठता सूची के आधार पर शिक्षा निदेशालय स्तर पर अनन्तिम प्रादेशिक ज्येष्ठता सूची तैयार की गई। शिक्षा निदेशालय स्तर पर तैयार की गयी उक्त अनन्तिम प्रादेशिक ज्येष्ठता सूची को मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को दिनांक 26-12-2006 को इस निर्देश के साथ भेजी गई कि वे इसे अपने मण्डल के सम्बन्धित समस्त शिक्षकों के बीच प्रसारित कर उनसे प्रसारण के एक माह के भीतर आपत्तियां प्राप्त करें। प्राप्त आपत्तियों पर वे समस्त साक्ष्यों सहित अपनी सुविचारित संस्तुतियां 15 दिन के भीतर शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध करायें ताकि प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण कर प्रश्नगत प्रादेशिक अन्तिम ज्येष्ठता सूची निर्गत की जा सके। मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों से वांछित आख्यायें अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं जिसके लिए उन्हें अनुस्मरण कराया गया है।

---

नोट :- । ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों से वांछित आपत्तियां/प्रत्यावेदन प्राप्त कर निदेशालय स्तर पर अन्तिम प्रादेशिक ज्येष्ठता सूची तीन माह में निर्गत कर दी जायेगी। ]

**जनपद प्रतापगढ़ के मंगरौरा विकास खण्ड के अन्तर्गत इन्दिरा आवास लाभार्थियों को निमार्ण हेतु अनुदान की दूसरी किश्त उपलब्ध न कराये जाने पर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य**

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मा0 सदस्य श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह उर्फ मोती सिंह ...

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[..... द्वारा दिनांक 02-07-2007 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में उल्लेख किया गया कि जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मंगरौरा में विगत साढ़े तीन वर्षों में जो इन्दिरा आवास लोगों को स्वीकृत किये गये थे उन्हें दूसरी किश्त आज तक उपलब्ध नहीं करायी गयी, उल्टे विकास खण्ड में कार्यरत वरिष्ट लिपिक श्री राम बहादुर सिंह, संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी मंगरौरा एवं उपरोक्त अवधि में जितने भी खण्ड विकास अधिकारी रहे सबने लाभार्थी से 5 हजार रुपया प्रति आवास रिश्वत के रूप में लेकर गरीबों को परेशान किया तथा पूर्व सांसद श्री सी0 एन0 सिंह से यथावत बनाये रखने हेतु अपने पक्ष में सिफारिशी-पत्र लिखा कर उसी ब्लाक में बार-बार स्थानान्तरण रुकवाकर इन्दिरा आवास के गरीब लाभार्थियों से अवैध धन लेकर भी शेष धन उपलब्ध नहीं कराया, जिससे आज तक सभी आवास अधूरे हैं और गरीब परेशान है, लोगों में गम्भीर जनाक्रोश है और कई सौ लोग प्रभावित हैं। अतः अवशेष धन अवमुक्त किये जाने एवं दोषियों का दायित्व निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में शासन से वक्तव्य दिलाने की मांग करता हूं।

2-आयुक्त, ग्राम्य विकास के माध्यम से प्राप्त जनपद की आख्यानुसार जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मंगरौरा में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2004-05 में कुल 42 ग्रामों में 161 इन्दिरा आवास स्वीकृत किये गये, जिनके सापेक्ष 159 लाभार्थियों को प्रथम एवं द्वितीय किश्तें दे दी गई हैं। सभी आवास पूर्ण हैं। शेष 02 लाभार्थियों की शिकायत हो जाने के कारण उन्हें द्वितीय किश्त निर्गत नहीं की गई। शिकायत की जांच विकास खण्ड के नोडल अधिकारी से करायी जा रही है।

---

नोट :-। ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

3-वित्तीय वर्ष 2005-06 में कुल 16 ग्रामों में 56 इन्दिरा आवासों की प्रथम किश्त निर्गत की गई। इनमें सामान्य योजनान्तर्गत बने 43 आवास पूर्ण हैं जिनकी द्वितीय किश्त निर्गत कर दी गई है। प्राकृतिक आपदा राहत की विशेष योजना के अन्तर्गत बने 13 आवासों की द्वितीय किश्त की धनराशि भारत सरकार से प्राप्त न होने के कारण निर्गत नहीं की जा सकी हैं। प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया जो वहां लम्बित है।

4- वित्तीय वर्ष 2006-07 के सापेक्ष 03 ग्रामों में 45 इन्दिरा आवासों की प्रथम एवं द्वितीय किश्तें निर्गत की जा चुकी हैं, जिनमें से 30 आवास पूर्ण हैं एवं शेष 15 निर्माणाधीन हैं।

5-जहां तक रु0 5000 रिश्वत लेकर इन्दिरा आवास दिये जाने की शिकायत का प्रश्न है, ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है। सहायक लेखाकार श्री रामबहादुर सिंह का स्थानान्तरण दिनांक 29 जून, 2007 को दूसरे विकास खण्ड में कर दिया गया है। माह अगस्त, 2006 से श्री सत्येन्द्र प्रकाश कनौजिया, संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी कार्यरत हैं। इनके द्वारा मा0 सांसद से उसी विकास खण्ड में रुकवाये जाने के सम्बन्ध में कोई पत्र लिखाया जाना प्रकाश में नहीं आया है। ]

**जनपद-बांदा के जसपुरा, तिंदवारी तथा बड़ोखर खुर्द विकास क्षेत्रों में तूफान से विद्युत पोलों के टूटने के सम्बन्ध में श्री विशम्भर प्रसाद निषाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य**

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, जून 2007 में बांदा जनपद .....

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[ ..... में आयी भयंकर आंधी के फलस्वरूप जशपुरा तथा तिंदवारी बड़ोखर खुर्द विकास खण्ड क्षेत्रों में लगभग 330 पोल, तार व अन्य सामग्री क्षतिग्रस्त हुई है। विद्युत व्यवस्था सुचारु रूप से चालू करने हेतु कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। यह कार्य दिनांक 28-07-2007 तक पूर्ण होने की सम्भावना है। टूटे हुए तार आदि सामग्री रास्तों से हटा दी गयी है, जिससे जानमाल को कोई खतरा न हो।]

---

नोट :- । ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

**जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज एवं कुण्डा के अन्तर्गत कतिपय थाना क्षेत्रों में कुख्यात माफियाओं द्वारा अवैध रूप से बेची जा रही जहरीली शराब के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर आबकारी मंत्री का केवल वक्तव्य**

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा ...

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[ .....दी गई उपर्युक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रदेश में नकली कारोबार करने वाले कालाबाजारियों द्वारा व्यापक पैमाने पर जहरीले केमिकल एवं प्रतिबन्धित दवाओं का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के जहरीले पेय पदार्थ बनाकर बेचने व उनका सेवन करने से हजारों की संख्या में प्रतिवर्ष मृत्यु होने के सम्बन्ध में कोई विशेष तथ्य प्रकाश में नहीं आये है तथा इन अवैध कार्यवाहियों में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध स्थानीय प्रशासन की मिली भगत के कारण कार्यवाही न हो पाने का तथ्य भी उचित नहीं है।

2-जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज के थानों एवं तहसील कुण्डा के थाना संग्रामगढ़ व थाना मानिकपुर के अन्तर्गत कुछ कुख्यात माफियाओं द्वारा अवैध रूप से जहरीली शराब बनाने का कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया हैं ऐसे कुख्यात अपराधियों/माफियाओं को प्रदेश के अपराधिक इतिहास वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री का खुला संरक्षण प्राप्त होने के कारण स्थानीय प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही न कर पाने का तथ्य प्रकाश में नहीं आया।

3-ग्राम-बिजईमऊ, थाना-संग्रामगढ़, जनपद-प्रतापगढ़ में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से जहरीली शराब बनाये जाने और इसे पैक करके स्थानीय स्तर पर विक्रय करने तथा मध्य प्रदेश में आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में सुरागरसी से ऐसे तथ्य प्रकाश में नहीं आये।

4-इसी जनपद के थाना-संग्रामगढ़ अन्तर्गत ग्राम-संग्रामगढ़,अरौं, सवना, सरैया, थाना-लालगंज के अन्तर्गत भटनी आदि तथा थाना-मानिकपुर के अन्तर्गत लालाबाजार सहित कई अन्य स्थानों पर उक्त माफियाओं द्वारा जहरीली शराब बेचे जाने विषयक तथ्यों की पुष्टि गहन पूछताछ एवं छानबीन के बावजूद भी नहीं हुई।

---

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

5-जहरीली शराब के कारोबार रोके जाने एवं उक्त कृत्य में लिप्त व्यक्तियों और उनके सहयोगियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा जहरीली शराब के पीने से होने वाली मृत्यु के सम्बन्ध में नागरिकों एवं माननीय सदस्य का चिन्तित होना स्वाभाविक है, किन्तु ऐसी घटनाओं के प्रति आबकारी विभाग पूर्णतया सजग है। ऐसी कोई भी सूचना प्राप्त होने पर तत्परता से कार्यवाही की जाती है। अभी हाल में ही मुख्य सचिव की ओर से पुलिस विभाग का सक्रिय सहयोग लेकर विशेष प्रवर्तन अभियान चलाये जाने के कठोर निर्देश भी दिनांक 4-6-2007 को दिये गये हैं। दिनांक 25-5-2007 से 10-6-2007 तक आबकारी विभाग द्वारा चलाये गये विशेष प्रवर्तन अभियान के मध्य थाना-लालगंज के अन्तर्गत ग्राम-जेवई, आगराखालसा, पूरेवंशी तथा थाना क्षेत्र-कुण्डा के अन्तर्गत विधासी एवं थाना-मानिकपुर के अन्तर्गत गिरधारी का पूरा में दबिश की कार्यवाही की गई, जहां पर 200 कुन्टल के लगभग लहन बरामद करके मौके पर नष्ट किया गया तथा 10 चढ़ी भट्टियां एवं उपकरण मौके पर नष्ट किये गये। उक्त के अतिरिक्त 157 लीटर कच्ची शराब भी बरामद की गई तथा 32 लोगों के विरुद्ध धारा-60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गई।

आबकारी विभाग द्वारा प्रभावी प्रवर्तन कार्य नियमित रूप से किया जाता है तथा विशेष प्रवर्तन अभियान प्रायः चलाये जाते हैं और दोषियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम/भारतीय दण्ड विधान की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही की जाती है।]

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इसमें केवल इतना आप दिखवा लें कि मध्य प्रदेश की शराब यहां पर बिकवायी जाती है और उनके नाम क्या हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, दिखवा लेता हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब हम उठते हैं। 09 तारीख को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 2 बजकर 55 मिनट पर सोमवार, 9 जुलाई, 2007 को दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 6 जुलाई, 2007

**राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,**
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

## नत्थी 'क'

देखिये अता0प्र0सं0-11 का उत्तर पीछे पृष्ठ 31 पर

**जनपद प्रतापगढ़ की जिला समन्वय समिति द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण हेतु चयनित 86 ग्रामों के विरुद्ध पूर्व में विद्युतीकृत ग्रामों की सूची**

| क्रम संख्या | विकास खण्ड का नाम | ग्राम का नाम | कोड संख्या | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | पट्टी | उमरपुर | 05234400 | पूर्व में विद्युतीकृत |
| 2 | पट्टी | सनूपुर | 05235200 | पूर्व में विद्युतीकृत |
| 3 | पट्टी | बहेलियापुर | 05236700 | पूर्व में विद्युतीकृत |
| 4 | मंगरौरा | गौरा | 05210100 | पूर्व में विद्युतीकृत |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

संलग्नक-ख

**जनपद प्रतापगढ़ की जिला समन्वय समिति द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण हेतु चयनित 86 ग्रामों के विरुद्ध पूर्व में विद्युतीकृत ग्रामों की सूची**

| क्रम संख्या | विकास खण्ड का नाम | ग्राम का नाम | कोड संख्या | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | पट्टी | जालपा केसर | 05228800 | कार्य की स्थिति |
| 2 | पट्टी | बासुपुर | 05228900 | पूर्ण |
| 3 | पट्टी | बाजिदपुर | 05229400 | पूर्ण |
| 4 | पट्टी | परदहा बासदेवा | 05229600 | पूर्ण |
| 5 | पट्टी | देवकली | 05230100 | पूर्ण |
| 6 | पट्टी | बेला | 05231800 | पूर्ण |
| 7 | पट्टी | सोनबरसा पट्टी | 05232100 | पूर्ण |
| 8 | पट्टी | पहलामपुर | 05232400 | पूर्ण |
| 9 | पट्टी | मजटी | 05233000 | पूर्ण |
| 10 | पट्टी | जैतापुर | 05233100 | पूर्ण |
| 11 | पट्टी | पुरेदूबे | 05233500 | पूर्ण |
| 12 | पट्टी | अलीपुर II | 05234200 | पूर्ण |
| 13 | पट्टी | रघुनाथपुर | 05235400 | पूर्ण |
| 14 | पट्टी | बजहरा | 05238500 | पूर्ण |
| 15 | पट्टी | हरिजामऊ | 05239500 | पूर्ण |
| 16 | पट्टी | जमाइन | 05239600 | पूर्ण |
| 17 | पट्टी | गोधोपट्टी | 05240500 | पूर्ण |
| 18 | पट्टी | सेवापट्टी | 05241900 | पूर्ण |
| 19 | पट्टी | देनवा | 05242000 | पूर्ण |
| 20 | पट्टी | दबौली सुरवत | 05242100 | पूर्ण |
| 21 | पट्टी | बहवापुर देवापट्टी | 05242200 | पूर्ण |
| 22 | पट्टी | बीरापुर खुर्द | 05242800 | पूर्ण |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 23 | पट्टी | उसरौली | 05243000 | पूर्ण |
| 24 | पट्टी | जगदीशपुर | 05243300 | पूर्ण |
| 25 | पट्टी | रसुलहा | 05240300 | पूर्ण |
| 26 | पट्टी | रामपुर बेला | 05231500 | पूर्ण |
| 27 | पट्टी | पुरे देवजानी | 05233300 | पूर्ण |
| 28 | पट्टी | गोगलापुर | 05233400 | पूर्ण |
| 29 | पट्टी | सैफाबाद | 05229500 | पूर्ण |
| 30 | मंगरौरा | चक गुटौली | 05207100 | पूर्ण |
| 31 | मंगरौरा | साल्वेशुक्ली | 05208200 | पूर्ण |
| 32 | मंगरौरा | लखनामऊ | 05207900 | पूर्ण |
| 33 | मंगरौरा | चन्द्रभानपुर | 05207800 | पूर्ण |
| 34 | मंगरौरा | उमर | 05208300 | पूर्ण |
| 35 | मंगरौरा | निमहां | 05210800 | पूर्ण |
| 36 | मंगरौरा | सोनबरसा | 05211800 | पूर्ण |
| 37 | मंगरौरा | भउसिया | 05213400 | पूर्ण |
| 38 | मंगरौरा | गोरका | 05215200 | पूर्ण |
| 39 | मंगरौरा | धरमपुर | 05217100 | पूर्ण |
| 40 | मंगरौरा | चकरामचन्द्र | 05217200 | पूर्ण |
| 41 | मंगरौरा | भउदीदीपुर | 05218700 | पूर्ण |
| 42 | मंगरौरा | दोमनपुर | 05218800 | पूर्ण |
| 43 | मंगरौरा | पेन्द्रा | 05219400 | पूर्ण |
| 44 | मंगरौरा | टिगुरी | 05220700 | पूर्ण |
| 45 | मंगरौरा | बीगा | 05221000 | पूर्ण |
| 46 | मंगरौरा | इटवा | 05222600 | पूर्ण |
| 47 | मंगरौरा | चकमहजनीपुर | 05222700 | पूर्ण |
| 48 | मंगरौरा | चकमुबारकपुर | 05222800 | पूर्ण |
| 49 | मंगरौरा | असलपुर | 05224400 | पूर्ण |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | मंगरौरा | किरतपुर | 05224500 | पूर्ण |
| 51 | मंगरौरा | पुरेबेर्नीराम | 05224600 | पूर्ण |
| 52 | मंगरौरा | उपधन पट्टी | 05226000 | पूर्ण |
| 53 | मंगरौरा | दूल्हेपुर | 05226500 | पूर्ण |
| 54 | मंगरौरा | जगदीशपुर | 05227100 | पूर्ण |
| 55 | मंगरौरा | नेवादा | 05227300 | पूर्ण |
| 56 | मंगरौरा | शिवगढ़ | 05217400 | पूर्ण |
| 57 | मंगरौरा | पूरे निरंजन | | पूर्ण |
| 58 | मंगरौरा | रामपुर कुरमियान | 05223400 | पूर्ण |
| 59 | आसपुर देवसरा | बीर्बापुर मुस्तरका | 05247200 | पूर्ण |
| 60 | आसपुर देवसरा | सुजानपट्टी | 05247300 | पूर्ण |
| 61 | आसपुर देवसरा | गोपालपुर मुस्तरका | 05247500 | पूर्ण |
| 62 | आसपुर देवसरा | भैरोपुर | 05249500 | पूर्ण |
| 63 | आसपुर देवसरा | गढइया | 05251900 | पूर्ण |
| 64 | आसपुर देवसरा | बाहरपट्टी | 05252600 | पूर्ण |
| 65 | आसपुर देवसरा | धरहवा | 05253300 | पूर्ण |
| 66 | आसपुर देवसरा | परिहरा | 05253900 | पूर्ण |
| 67 | आसपुर देवसरा | पुरे बालकिशन | 05255300 | पूर्ण |
| 68 | आसपुर देवसरा | अतरौरा | 05256700 | पूर्ण |
| 69 | आसपुर देवसरा | ड़फरा | 05255400 | पूर्ण |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

संलग्नक-ग

**जनपद प्रतापगढ़ की जिला समन्वय समिति द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण हेतु चयनित 86 ग्रामों के विरुद्ध उन ग्रामों की सूची जिनके विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है**

| क्रम संख्या | विकास खण्ड का नाम | ग्राम का नाम | कोड संख्या | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | पट्टी | ढेगुआ | 05242200 | कार्य प्रगति पर |
| 2 | पट्टी | दोनाई | 05264300 | कार्य प्रगति पर |
| 3 | मंगरौरा | चन्दनपुर | 05219500 | कार्य प्रगति पर |
| 4 | मंगरौरा | फतेहपुरइसान | 05223600 | कार्य प्रगति पर |
| 5 | मंगरौरा | ताला | 05225400 | कार्य प्रगति पर |
| 6 | मंगरौरा | राजापुर मुफरीद | 05222900 | कार्य प्रगति पर |
| 7 | आसपुर देवसरा | पहलामपुर | 05256000 | कार्य प्रगति पर |
| 8 | आसपुर देवसरा | पूरे दानी | 05258200 | कार्य प्रगति पर |
| 9 | आसपुर देवसरा | गौहानी | 05252900 | कार्य प्रगति पर |
| 10 | आसपुर देवसरा | पचौटी | | कार्य प्रगति पर |
| 11 | आसपुर देवसरा | दाही | 02524300 | कार्य प्रगति पर |
| 12 | आसपुर देवसरा | दमरी | 05254200 | कार्य प्रगति पर |
| 13 | आसपुर देवसरा | देवराखा | 05257100 | कार्य प्रगति पर |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0 एस0 यू0 पी0-एल0 346 विधान सभा (672)-11-12-2007-813 प्रतियां।